छत्तीसगढ़ विधान सभा
की
अशोधित कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

षष्ठम् विधान सभा **अष्टम् सत्र**

मंगलवार, दिनांक 24 फरवरी, 2026

(फाल्गुन 05, शक सम्वत् 1947)

[अंक 02]

Web copy

छत्तीसगढ़ विधान सभा

मंगलवार, दिनांक 24 फरवरी, 2026

(फाल्गुन 5, शक संवत् 1947)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई.

(सभापति महोदय (श्री धर्मजीत सिंह) पीठासीन हुए)

श्री अजय चन्द्राकर (कुरूद) :- माननीय सभापति महोदय, प्रश्नकाल में बहुत दिनों बाद सभापति महोदय के दर्शन हो रहे हैं, वह भी आपके स्वरूप में। इसके लिए आपको बहुत-बहुत बधाई।

सभापति महोदय :- धन्यवाद।

समय: 11.01 बजे **<u>निधन का उल्लेख</u>**

श्री दीनदयाल पोर्ते, अविभाजित मध्यप्रदेश विधान सभा के पूर्व सदस्य

सभापति महोदय :- मुझे सदन को सूचित करते हुए अत्यंत दु:ख हो रहा है कि अविभाजित मध्य प्रदेश विधान सभा के पूर्व सदस्य, श्री दीनदयाल सिंह पोर्ते का दिनांक 30 दिसंबर, 2025 को निधन हो गया है। श्री दीनदयाल सिंह पोर्ते का जन्म 25 अगस्त, 1949 को डोंगरिया, जिला गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही में हुआ था। उन्होंने बी.ए., एल.एल.बी. की शिक्षा प्राप्त की थी। वे प्रारंभ में ग्राम पंचायत के पंच तथा मरवाही जनपद पंचायत के अध्यक्ष रहे। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की टिकट पर सन् 1985 में मरवाही विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से अविभाजित मध्यप्रदेश विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए। उनकी समाज सेवा तथा कृषि कार्य में विशेष अभिरूचि थी। उन्होंने अपने क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके निधन से प्रदेश ने एक वरिष्ठ राजनेता तथा समाजसेवी को खो दिया है।

मुख्यमंत्री (श्री विष्णुदेव साय) :- माननीय सभापति महोदय, हम सब अत्यंत दु:ख के साथ स्वर्गीय श्री दीनदयाल सिंह पोर्ते जी को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। स्वर्गीय पोर्ते जी

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

जनजातीय समाज के वरिष्ठ नेता रहे। उन्होंने अविभाजित मध्यप्रदेश में सन 1985 से 1990 तक मरवाही क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। वे जनपद पंचायत मरवाही के अध्यक्ष भी रहे। पोर्ते जी राजनीति में बहुत सक्रिय रहे। उन्होंने जनजातीय समाज के अधिकार और सम्मान के लिए निरंतर संघर्ष किया। उन्होंने सदन में क्षेत्र की समस्याओं को प्रमुखता से रखा। वे समाज के उत्थान के लिए सदैव समर्पित रहे। वे अपने समय में उच्च शिक्षित नेताओं में गिने जाते थे। वे कानून के अच्छेजानकार थे। इसकी झलक उनके राजनीतिक जीवन में भी दिखाई देती थी। उनकी उच्च शिक्षा और अनुभव का लाभ समाज को लंबे समय तक मिला। उनका जीवन सादगी, समर्पण और संघर्ष का उदाहरण था। उनके निधन से छत्तीसगढ़ को अपूरणीय क्षति हुई है। एक कर्मठ राजनेता आज हमारे बीच नहीं हैं। मैं स्वर्गीय पोर्ते जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें और शोक संतप्त परिवार को दु:ख सहने की शक्ति दें।

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरणदास महंत) :- माननीय सभापति महोदय, हम लोग हर बार सत्र के पहले दिन से ही अपने परिवार से बिछड़े हुए व्यक्ति को इस प्रकार की श्रद्धांजलि देने के लिए खड़े होते हैं। आज दीनदयाल जी हमारे बीच नहीं रहे। वे एक सीधे, सरल और शुद्ध आदिवासी किस्म के व्यक्ति थे। वर्ष 1985 में जब वे विधान सभा में हमारे साथ आये तो हंसी-मजाक के साथ ही साथ गांव, घर और किसान के बारे में चिंता करते थे और उनसे पहली मुलाकात में ही यह चर्चा शुरू हो जाती थी। वे बहुत अच्छे व्यक्तित्व के धनी थे। वे आज हमारे बीच नहीं रहे। मैं सांसद होने के नाते उनके क्षेत्र में हमेशा जाता रहा, मेरी उनसे मुलाकात होती रही और उन्होंने हमेशा और बार-बार किसानों की चिंता की, गांव की चिंता की। चूंकि उनको सरपंच से लेकर जनपद अध्यक्ष तक की पूरी जानकारी थी। वे एक कुशल वक्ता भी थे और एक कुशल समाजसेवी भी थे। वे आज हमारे बीच नहीं है। मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूं और उनके परिवार के प्रति गहरा शोक प्रकट करते हुए यह प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। धन्यवाद।

सभापति महोदय :- मैं सदन की ओर से शोकाकुल परिवार के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं। दिवंगत के सम्मान में अब सदन कुछ देर का मौन धारण करेगा।

(सदन द्वारा खड़े रहकर मौन धारण किया गया)

सभापति महोदय :- दिवंगत के सम्मान में सदन की कार्यवाही 5 मिनट तक के लिए स्थगित।

(11.05 से 11.13 बजे तक कार्यवाही स्थगित रही)

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

समय 11.13 बजे

(सभापति महोदय (श्री धर्मजीत सिंह) पीठासीन हुए)

<u>तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर</u>

जल संसाधन विभाग के अंतर्गत निर्माण कार्यो की प्रशासकीय स्वीकृति

[जल संसाधन]

1. (*क्र. 276) श्री भोलाराम साहू : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) खुज्जी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत बजट 2024-2025 एवं 2025-26 में जल संसाधन विभाग के किन-किन कार्यो को बजट में सम्मिलित किया गया था ? जानकारी देवें ? (ख) प्रश्नांक ''क'' अनुसार बजट में सम्मिलित किन-किन कार्यो को प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है तथा प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त किन-किन कार्यो की निविदा जारी हो चुकी है? यदि नहीं तो क्यों? कार्यों के नामवार जानकारी देवें? (ग) खुज्जी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जल संसाधन विभाग द्वारा जर्जर कार्यो की मरम्मत, नहर लाइनिंग एवं रखरखाव हेतु वर्ष अप्रैल, 2024 से 31 जनवरी, 2026 तक कितनी राशि व्यय की गई है? कार्यो के नामवार व्यय की गई राशि बतावें?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) :(क) खुज्जी विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत बजट वर्ष 2024-25 में 16 कार्य एवं वर्ष 2025-26 में 01 कार्य बजट में सम्मिलित किया गया है। जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ[1] अनुसार है। (ख) खुज्जी विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत बजट वर्ष 2024-25 में सम्मिलित कार्यों में से 01 कार्य को प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है एवं निविदा जारी कर कार्य पूर्ण करा लिया गया है। शेष 15 कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति विभाग में प्रक्रियाधीन है। बजट वर्ष 2025-26 में शामिल कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति विभाग में प्रक्रियाधीन है। विस्तृत जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार है। (ग) खुज्जी विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत जल संसाधन विभाग द्वारा जर्जर कार्यों की मरम्मत, नहर लाईनिंग एवं रखरखाव हेतु वर्ष अप्रैल 2024 से 31 जनवरी 2026 तक रू. 76.30 लाख व्यय की गई। नामवार व्यय राशि की जानकारी संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार है।

---

[1] परिशिष्ट- एक

श्री भोलाराम साहू :- माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से खुज्जी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जल संसाधन विभाग के अंतर्गत निर्माण कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति के संबंध में प्रश्न लगाया था जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने जानकारी दी है कि खुज्जी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत बजट वर्ष 2024-25 से लेकर अभी तक 16 कार्यों की स्वीकृति कर बजट में शामिल किया गया है और उसमें से केवल 01 कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं 16 कार्य में एक केवल 1 काम 4 करोड़ 9 लाख रुपये की स्वीकृति किये हैं तो इसकी निविदा कब जारी की गई और इसकी निविदा ओपन कब हुई, उसकी तारीख बतायेंगे और कार्यादेश किस तारीख को दिया गया?

श्री विष्णु देव साय :- माननीय सभापति महोदय, माननीय विधायक जी ने प्रश्न किया है और उनके विधानसभा क्षेत्र का वर्ष 2024-2025 के बजट में 16 कार्य सम्मिलित थे जिसमें से एक कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति हुई है और उसकी प्रशासकीय स्वीकृति दिनांक 13.08.2025 को हुई है । यह कुल 4 करोड़ 9 लाख रूपये का है और यह पाईप लाईन का काम था और यह कार्य पूर्ण हो चुका है।

श्री भोलाराम साहू:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि इसकी प्रशासकीय स्वीकृति किस तारीख को हुई?

श्री विष्णु देव साय:- माननीय, मैंने आपको बताया न कि दिनांक 13 अगस्त, 2025 को हुई । यह फरवरी, 2026 में पूर्ण हुआ है।

श्री भोलाराम साहू:- माननीय मुख्यमंत्री जी, यह कार्य पूर्ण करने का, काम कम्प्लीट करने की समयावधि क्या थी और आप यह बता दीजिये कि उन्होंने इसे कितने दिन में कर दिया?

श्री विष्णु देव साय:- सभापति महोदय, यह काम पाईपलाईन का था, कैनाल डेमेज था तो उसको पाईपलाईन से जोड़े हैं जिसमें वाटर लॉसेस भी कम होगा तो आपको तो धन्यवाद देना चाहिए कि इतने कम समय में आपका काम पूरा हो गया। (मेजों की थपथपाहट)

सभापति महोदय :- और कुछ पूछेंगे?

श्री भोलाराम साहू :- माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से दूसरा प्रश्न पूछना चाहता हूं कि ग्राम खोआडभरी, नदी किनारे पेचिंग कार्य का बजट में है, जो दिनांक

21.06.2024 को मुख्य अभियंता के ऑफिस में लंबित है तो कृपया आप मुझे यह बता दीजिये कि मुख्य अभियंता कितने दिन तक अपने ऑफिस में लंबित रख सकता है?

श्री विष्णु देव साय :- सभापति महोदय, अब आपके जो बाकी काम बजट में शामिल हैं वह सब विभिन्न स्तर में प्रक्रियाधीन हैं और आपको बताते हुए गौरव भी हो रहा है कि हमारी सरकार किसानों के खेत में पानी पहुंचाने के लिये वचनबद्ध है । (मेजों की थपथपाहट) और आपकी सरकार ने 5 साल में 5793 करोड़ रूपये की स्वीकृति दी थी लेकिन हम लोगों ने मात्र दो साल में वर्ष 2024 से वर्ष 2026, दो साल में 10,712 करोड़ रूपये की स्वीकृति दी है। (मेजों की थपथपाहट) तो इसलिये आप भी धैर्य रखिये, पूरे प्रदेश में हर किसानों के खेत में पानी पहुंचायेंगे।

श्री भोलाराम साहू :- माननीय सभापति महोदय।

सभापति महोदय :- आप स्पेसिफिक कुछ पूछ लीजिये न।

श्री भोलाराम साहू :- माननीय सभापति महोदय, स्पेशली नहीं। अभी जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के वर्ष 2025 के बजट में 8 कार्य जो हैं, प्रशासकीय स्वीकृति के लिये प्रमुख अभियंता के ऑफिस में लंबित हैं तो आप यह बता दीजिये कि उसको लंबित रखने की कोई समय-सीमा है या नहीं है ?

श्री विष्णु देव साय :- मैंने बताया न कि आपके 16 में से 15 काम प्रोसेस में हैं, प्रक्रियाधीन हैं।

श्री भोलाराम साहू :- माननीय सभापति महोदय, मैं वही तो पूछ रहा हूं कि यह कब तक पूरा होगा?

सभापति महोदय :- चलिये, प्रक्रियाधीन है। आपने ध्यान आकृष्ट कर दिया, प्रक्रियाधीन है।

श्री भोलाराम साहू :- माननीय सभापति महोदय, मैं वही पूछ रहा हूं कि प्रमुख अभियंता के ऑफिस में जो 8 कार्य लंबित हैं तो इसको लंबित रखने की कोई प्रक्रिया है? प्रमुख अभियंता कितने दिन तक उसको लंबित रख सकता है? या इसकी स्वीकृति कब करेगा?

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

सभापति महोदय :- उन्होंने बता दिया न कि वह प्रक्रियाधीन है, प्रक्रिया में चल रहा है।

श्री भोलाराम साहू :- माननीय सभापति महोदय, जब वह 16 कार्य बजटेड था और बजट में आने के बाद केवल एक काम स्वीकृत हुआ और बाकी शेष 15 कार्य स्वीकृत नहीं हुए और माननीय मुख्यमंत्री जी यह जवाब दे रहे हैं कि हमारी सरकार किसानों के हित में काम करेगी तो जब 16 में से एक काम हो रहा है तो किसान हित में तो काम ही नहीं हुआ।

सभापति महोदय :- आप ऐसा पूछ लीजिये न कि यह जो 15 काम नहीं हुए हैं वह कब तक होंगे, ऐसा पूछ लीजिये न।

श्री भोलाराम साहू :- जो शेष 15 काम हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं वही पूछ रहा हूं कि जो शेष 15 कार्य हैं, यह कब तक पूरा होगा ? यह तो इस साल ऐसे ही निरस्त हो जायेगा।

सभापति महोदय :- हो गया न । आपने पूछ लिया ।

श्री भोलाराम साहू :- माननीय मुख्यमंत्री जी, आप यह बता दीजिये कि 16 में से...।

श्री विष्णु देव साय :- प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो होगा, धैर्य रखिये । समय-सीमा बताना संभव नहीं है ।

सभापति महोदय :- श्री सुशांत शुक्ला ।

श्री भोलाराम साहू :- माननीय सभापति महोदय, यह किसानों के हित की बात है ।

सुशांत शुक्ला :- माननीय सभापति महोदय ।

सभापति महोदय :- हो गया । आपका जवाब पूरा आ गया ।

श्री भोलाराम साहू :- माननीय सभापति महोदय, पूरा जवाब नहीं आया है ।

श्री रामकुमार यादव :- भैया, 2047 तक हो जही ।

सभापति महोदय :- रामकुमार जी बैठिए न ।

श्री भोलाराम साहू :- माननीय सभापति महोदय, यह किसानों से जुड़ा हुआ मामला है और किसान हित में काम करने की बात कही जा रही है लेकिन किसान केवल एक ही काम में संतुष्ट हो जाये ऐसा नहीं होता ।

अप्राधिकृत/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री सुशान्त शुक्ला :- माननीय सभापति महोदय, प्रश्न क्रमांक 204 ।

सभापति महोदय :- आपका प्रश्न हो गया।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय भोलाराम साहू जी, आप ज्यादा प्रश्न पूछते हैं इसलिए भूपेश बघेल जी ने आपकी टिकट काट दी थी।

श्री भोलाराम साहू :- माननीय सभापति महोदय, नहीं। उन्होंने मुझे लोकसभा की टिकट दी थी।

श्री अजय चन्द्राकर :- फिर अभी ...।

श्री उमेश पटेल :- आप ज्यादा बोलते हैं इसलिए मंत्री पद से आपका भी टिकट कट गया।

सभापति महोदय :- माननीय भोलाराम साहू जी आपने अपना प्रश्न पूछ लिया। यह माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में आ गया है। वह कार्यवाही करेंगे। अब आप बैठिए।

<u>जिला बिलासपुर में मोबाईल टावर स्थापना हेतु प्राप्त आवेदन</u>

[इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी]

2. (*क्र. 204) श्री सुशांत शुक्ला : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) प्रदेश में मोबाईल टावर लगाने हेतु आवेदन किस विभाग द्वारा स्वीकार किया जाता है?कैलैंडर वर्ष 2024 से जनवरी, 2026 अवधि तक जिला बिलासपुर में मोबाईल टावर लगाने हेतु कितने आवेदन किस-किस सेवा प्रदाता कंपनी से प्राप्त हुए ?प्राप्त आवेदनों में से कितने को कहाँ-कहाँ टावर लगाने हेतु अनुमति प्राप्त हुई?वर्षवार कंपनी के नाम सहित जानकारी उपलब्ध करावें ? (ख) क्या प्रश्नांश "क" की कंपनी को अनुमति प्रदान करने से पूर्व/पश्चात विभाग द्वारा स्थल पर जाकर सघन आबादी एवं टावर के रेडियेशन के दुष्प्रभाव संबंधी निरीक्षण किया गया?यदि हां तो ऐसे क्षेत्रों में कंपनी को प्रदाय अनुमति वापस ली गई?अनुमति निरस्त किए गए क्षेत्रों/स्थलों के नाम सहित जानकारी उपलब्ध करावें? (ग) क्या मोबाईल टावर लगाने के पूर्व ग्राम पंचायतों/नगरीय निकायों से अनापत्ति/सहमति प्रमाण पत्र प्राप्त किए जाने का प्रावधान है?यदि

हां तो उक्तक अवधि में कितनी कंपनियों द्वारा अनापत्ति/सहमति प्राप्त की गई?यदि नहीं तो जिन क्षेत्रों में मोबाईल टावर लगाने के विरुद्ध आपत्ति प्राप्त होती है, उनके निराकरण के क्या प्रावधान हैं?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) :(क) मोबाइल टावर लगाने हेतु भारत सरकार, दूरसंचार विभाग द्वारा विकसित Right of Way पोर्टल के माध्यम से संबंधित सार्वजनिक इ[2]काई द्वारा ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किया जाता हैं। कैलेंडर वर्ष 2024 से जनवरी 2026 अवधि तक बिलासपुर में मोबाइल टावर लगाने हेतु कुल 426 आवेदन प्राप्त हुए जिसके विरुद्ध कुल 18 अनुमति जारी की गई तथा 246 आवदेन निजी भूमि पर होने से सेवा प्रदाता द्वारा सूचना दी गयी । सेवाप्रदाता वार प्राप्त आवेदन, प्रदाय अनुमति एवं टावर लगाने हेतु प्राप्त सूचना का वर्षवार विवरण संलग्न प्रपत्र अनुसार है। (ख) छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विकसित RoW (Right of Way) पोर्टल के माध्यम से 4 दिसम्बर 2025 तक प्राप्त सभी आवेदनों का निरीक्षण जिला में गठित, जिला स्तरीय RoW समिति द्वारा किया गया है एवं उसके पश्चात 5 दिसम्बर 2025 से प्राप्त आवेदनों का निरीक्षण भारत सरकार, दूरसंचार विभाग द्वारा विकसित RoW (Right of Way) पोर्टल के माध्यम से तार मार्ग का अधिकार नियम 2024 के अनुसार सम्बंधित सार्वजनिक इकाई द्वारा किया जाता है । टावर से निकलने वाले रेडियेशन के सम्बन्ध में भारत सरकार, संचार मंत्रालय के पोर्टल (https://tarangsanchar.gov.in/) में उपलब्ध जानकारी अनुसार "बहुत कम एक्सपोजर के स्तर और रिसर्च परिणाम को ध्यान में रखते हुए आज तक कोई ऐसा विश्वसनीय वैज्ञानिक साक्ष्य नहीं मिला है, जिससे साबित हो कि बेस स्टेशन और बेतार नेटवर्क से निकलने वाले कमजोर रेडियो आवृत्ति सिग्नल से स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।" शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है । (ग) वर्तमान में भारत सरकार द्वारा जारी दूरसंचार (मार्ग के अधिकार) नियम -2024 के अंतर्गत टेलिकॉम टावर स्थापना एजेंसी द्वारा मोबाइल टावर स्थापना के पूर्व ग्राम पंचायतों/नगरीय निकायों से अनापत्ति/सहमति के प्रावधान नहीं है । इन नियमों के अंतर्गत दूरसंचार विभाग, भारत सरकार द्वारा प्रशासित Right of Way पोर्टल के माध्यम से सम्बंधित सार्वजनिक इकाई द्वारा केवल RoW की अनुमति दी जाती है। RoW

[2] "परिशिष्ट - दो"

सम्बन्धी समस्त अनुमति प्राप्त होने तथा भूमि/संपत्ति स्वामी की सहमति उपरांत मोबाइल टावर लगाने पर आपत्ति स्वीकार करने का प्रावधान नहीं है।

श्री सुशान्त शुक्ला :- माननीय सभापति महोदय, प्रश्न क्रमांक 204 पर बिलासपुर जिले में मोबाईल टावर की स्थापना संबंधी विषय पर माननीय मुख्यमंत्री जी से यह प्रश्न है और मेरा प्रश्न यह है। बिलासपुर सहित प्रदेश के सभी बड़े शहर पुरानी बसाहट है और वहां पर भवन निर्माण की जो गुणवत्ता है वह धीरे-धीरे क्षण होती जा रही है, परन्तु उसके बावजूद भी ऐसे भवनों में जो टावरों का निर्माण हुआ है या स्थापना की गयी है, उनमें उपयोगिता की जांच किये बगैर ही या उनकी अधोसंरचना या संरचना के सर्टीफिकेट के प्रमाणीकरण के बावजूद भी वहां पर टावर स्थापित कर दिये गये तो मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि क्या उनकी जांच करके, संबंधित टावर की अनुमति को निरस्त करेंगे?

श्री विष्णु देव साय :- माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्य को यह अवगत करना चाहूंगा कि ऐसे टावर जो भवन की उपयोगिता की जांच के बिना लगाए गये होंगे और आपको कहीं की particular जानकारी है तो हमें अवगत करा दें। हम निश्चित रूप से उसका परीक्षण करवायेंगे और आप नगरीय निकाय स्तर पर भी इसकी शिकायत करवा कर, कार्यवाही करवा सकते हैं।

श्री सुशान्त शुक्ला :- माननीय सभापति महोदय, इसमें मेरा एक पूरक प्रश्न और है। ऐसे टावर जिनकी कोई वैध अनुमति नहीं ली गयी है, जो अवैध रूप से लगाये गये हैं आप उनकी भी जांच करके, कार्यवाही करेंगे क्या? जो सुविधा प्रदाता एजेंसी है।

सभापति महोदय :- माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि आप लिखकर दे दीजिए, वह उसमें जांच करवा देंगे।

श्री सुशान्त शुक्ला :- माननीय सभापति महोदय, जो अनुमति ली गयी है पहले उसके स्ट्रक्चर की बात हुई है।

श्री विष्णु देव साय :- माननीय सभापति महोदय, इस पर भी लिखकर दे दीजिए।

सभापति महोदय :- उसमें भी परीक्षण करवा देंगे।

श्री विष्णु देव साय :- माननीय सभापति महोदय, हम उसमें भी परीक्षण करवा लेंगे और इसकी भी नगरीय निकाय स्तर पर करके, वहां से भी कार्यवाही करवा सकते हैं।

श्री सुशान्त शुक्ला :- माननीय सभापति महोदय, आपको धन्यवाद्।

सभापति महोदय :- श्री सुनील कुमार सोनी।

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदय, मैं इसी प्रश्न में एक पूरक प्रश्न करना चाहता हूँ।

सभापति महोदय :- ठीक है। आप पूछ लीजिए।

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि जब यह मोबाईल टावर लगाया जाता है तो एक criteria बनाया होगा कि सघन आबादी से इतनी दूर होगा या इतनी दूरी होगी क्योंकि उसमें भी रेडियेशन निकलता है और उससे आम लोगों को खतरनाक बीमारी हो सकती है। उसमें आपने क्या criteria सेट किया है, वह बता दीजिए?

सभापति महोदय :- उन्होंने इस उत्तर में भी रेडियेशन के संबंध में लिखित में जवाब दिया है।

श्री विष्णु देव साय :- माननीय सभापति महोदय, इसमें लिखित में जवाब आया है। इसमें मामूली होता है मतलब कोई चिन्ता वाली बात नहीं रहती है।

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदय, मेरा सरल सा प्रश्न यह है कि जैसे आप यह बोलेंगे कि मैं किसी आबादी से 15 मीटर, 20 मीटर, 25 मीटर या 1 किलोमीटर दूर रखूंगा, आपने जो भी criteria तय किया होगा, वह बता दीजिए ?

श्री विष्णु देव साय :- माननीय सभापति महोदय, भारत सरकार संचार मंत्रालय के पोर्टल के अनुसार बहुत कम एक्सपोजर के स्तर और रिसर्च परिणामों को ध्यान में रखते हुए, आज तक कोई ऐसा विश्वसनीय, वैज्ञानिक साक्ष्य नहीं मिला है, जिससे यह साबित हो की, बेस स्टेशन और बेतार नेटवर्क से निकलने वाले कमजोर रेडियो आउटी सिगनल से स्वास्थ्य पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो।

अप्रमाणित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री उमेश पटेल :- माननीय मुख्यमंत्री जी, उसका कोई criteria नहीं है।

सभापति महोदय :- यह जवाब में है।

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदय, उसको क्लियर कर दूं कि इसका मतलब यह है कि इसका कोई criteria नहीं है, वह कहीं पर भी लगाया जा सकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी, इसका अर्थ यही है।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप जो अर्थ निकाल लें।

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदय, मैं इसका अर्थ समझना चाहूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, इसका अर्थ यही है कि वह कहीं पर भी लगाया जा सकता है।

श्री विष्णु देव साय :- माननीय सभापति महोदय, वह कवरेज के आधार पर ही लगेगा। उसे कोई एकदम सघन थोड़ी लगाएगा।

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदय, मतलब उससे कोई बीमारी नहीं होगी तो इसलिए उसको इस point of view से कि किसी का स्वास्थ्य खराब हो, इसकी कोई जांच नहीं होगी, वह कहीं पर भी लगाया जा सकता है।

श्री विष्णु देव साय :- माननीय सभापति महोदय, हमने उसका उत्तर तो बता दिया है।

सभापति महोदय :- ठीक है।

<u>रायपुर में सुगम यातायात हेतु प्रस्ताववित नीति</u>

[परिवहन]

3. (*क्र. 318) श्री सुनील कुमार सोनी : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के सुगम यातायात को लेकर क्या नीति है ? प्रदेश में विगत 1 वर्ष में सड़क दुर्घटनाओं के चलते कितनी मृत्यु हुई है? जिलेवार ब्यौरा प्रदान करें ?सड़क दुर्घटना की रोकथाम को लेकर विभाग द्वारा क्या उपाय किये गये हैं? सड़क दुर्घटनाओं में मृतकों के परिजनों को क्या मुआवजा का प्रावधान है?यदि हां तो कृपया ब्यौरा प्रदान करें?

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) :राजधानी रायपुर में सुगम यातायात हेतु रणनीति की जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार है। विगत 01 वर्ष में सड़क दुर्घटना में कुल 6898 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है।जिलेवार जानकारी संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार है। सड़क दुर्घटना की रोकथाम हेतु उपाय की जानकारी संलग्न प्रपत्र-स अनुसार है। जी हाँ मुआवजा का प्रावधान है। जानकारी संलग्न प्रपत्र-द अनुसार है।

श्री सुनील कुमार सोनी :- माननीय सभापति महोदय, आपको धन्यवाद्। माननीय परिवहन मंत्री जी से मेरा प्रश्न है। हम देश के अंदर लगभग टॉप 10 में दुर्घटना के करीब-करीब पहुंच गये हैं और यहां सड़क दुर्घटनाएं तेजी के साथ बढ़ रही हैं। मेरा प्रश्न यह है कि क्या आपने कोई ऐसा मास्टर प्लान बनाया है, सड़क दुर्घटनाएं रोकने के लिए हमारा कोई ऐसा मास्टर प्लान बना है और दूसरा, जिसकी दुर्घटना होती है, जो घायल होता है जिसकी मृत्यु होती है उसको मुआवजा देने का क्या प्रावधान है ? केन्द्र सरकार के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने भी इस बात की चिन्ता करके, छत्तीसगढ़ का उल्लेख किया है। मेरा प्रश्न यह है कि आपका उसको मुआवजा देने का क्या प्रावधान है?

श्री केदार कश्यप :- माननीय सभापति महोदय, मैंने प्रश्न के उत्तर में स्पष्ट तरीके से उनको जानकारी उपलब्ध कराई है । पूरे देश में लगभग साढ़े चार लाख से ज्यादा दुर्घटनाएं होती हैं और छत्तीसगढ़ में भी लगभग 6800 से ऊपर दुर्घटनाएं होती हैं, जिसमें लगभग 3000 के समकक्ष मौतें भी होती हैं । दुर्घटना को कम करने की दृष्टि से राज्य सरकार लगातार कार्यक्रम चलाती है, उस कार्यक्रम के तहत में लोगों को जागरूक करने का काम करती है । अभी केन्द्र ने जो तय किया गया है, उसमें रायपुर जिले को उन्होंने जीरो फैटलिटी डिस्ट्रिक्ट के रूप में तय किया है, जिसके तहत में हमें ज्यादा से ज्यादा प्रयास करना है क्योंकि रायपुर राजधानी भी है। राजधानी होने के नाते यहां दुर्घटना की स्थिति कम हो, उसके लिए लगातार हमारे माध्यम से प्रयास भी किए जा रहे हैं । उन प्रयासों के कारण दुर्घटना की स्थिति भी अब कम होने की संभावना है । यदि मैं बात करूं तो पीएम राहत योजना जो केन्द्र सरकार ने चालू की है, जिसमें ट्रामा सेन्टर, हॉस्पिटल और अलग से एम्बुलेंस की व्यवस्था करते हैं । इस योजना को 13 फरवरी, 2026 से लांच किया गया है। इसमें सात दिनों तक लगभग डेढ़ लाख रूपए के उपचार की व्यवस्था सरकार के माध्यम से की जाएगी । इसके तहत हमारे यहां पर यह योजना लागू है । उसके अलावा 5 मई, 2025 से 2026 तक दुर्घटना में जो पीड़ित है, उसमें गुड्स एवं अन्य सुविधा

सिहत 76 व्यक्तियों को लगभग 5 हजार रूपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से उनको राशि दी गई है।

श्री सुनील कुमार सोनी :- सभापति जी, मेरा निवेदन है।

सभापति महोदय :- आप बैठिए न। मंत्री जी को बोलने दीजिए।

श्री सुनील कुमार सोनी :- वह मैंने पढ़ लिया है।

सभापति महोदय :- एक मिनट।

समय: 11.28 बजे

<u>अध्यक्षीय दीर्घा में अतिथि</u>

माननीय सांसद, श्री विजय बघेल

सभापति महोदय :- अध्यक्षीय दीर्घा में माननीय सांसद श्री विजय बघेल जी उपस्थित हैं। सदन उनका स्वागत करता है। (मेजों की थपथपाहट)

समय: 11.29 बजे

<u>तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर (क्रमश:)</u>

श्री सुनील कुमार सोनी :- सभापति महोदय, मेरा सीधा प्रश्न है। देश में इतनी घटनाएं घटीं, ठीक है, पर हमारे प्रदेश में मृत्यु न हो, एक्सीडेंट न हो, घटना कम घटे, इसके लिए हमने कुछ किया है क्या? कल ही हम एक कार्यक्रम में जा रहे थे, माननीय मुख्यमंत्री जी भी जा रहे थे, भाटागांव ओव्हर ब्रीज के ऊपर में गाड़ी स्लिप हुई, बच्चा ट्रक के नीचे आया और हमारे सामने मर गया । यह स्थिति ठीक नहीं है। मैं दूसरा प्रश्न पूछता हूं। रायपुर राजधानी है और राजधानी के अंदर में हमने ऐसा कोई मास्टर प्लान बनाया क्या, हमने क्या प्रावधान रखा है, जिससे रायपुर शहर के अंदर में एक्सीडेंट कम हो?

असंपादित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री केदार कश्यप :- माननीय सभापति महोदय, रायपुर जिले में यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए लगभग 19 चौक-चौराहों को प्राथमिकता में रखा गया है, उसमें सुधार और निर्माण के कार्य किए जा रहे हैं । उसमें भारतमाता चौक, फाफाडीह चौक, जय स्तंभ चौक हैं, ऐसे लगभग 19 चौक-चौराहों को इसमें रखा गया है और 14 ऐसे स्थान हैं, जिसमें लेफ्ट टर्न फ्री कराया गया है और उसके साथ में यातायात के परिवहन की जो व्यवस्था है, उसको सुधार करने की दृष्टि से सरकार के माध्यम से लगातार प्रयास किये जा रहे हैं और रायपुर जिले में 27 जंक्शन में विभिन्न प्रकार के कैमरे लगाये गये हैं। रायपुर जिले में आई.टी.एम.एस. के माध्यम से विस्तार भी किया जा रहा है। रायपुर जिले में परिवहन विभाग के द्वारा ओव्हर स्पीड रोकने के लिए ३ स्थानों पर लिडार कैमरा भी स्थापित किया गया है। हमारे विभाग के माध्यम से ऐसे अनेक कार्य किए जा रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, माननीय विधायक जी की चिंता है कि रायपुर में दुर्घटना कम हो और इसकी चिंता राज्य सरकार की भी है। हम लोग इसके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं तथा आने वाले समय में हमारी बैठक भी होगी कि किस तरह से रणनीति बनाई जाये। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो यह भी कहा कि केवल रायपुर, संभाग मुख्यालय की दृष्टि से ही नहीं बल्कि हमारे प्रदेश के पांचों संभाग मुख्यालयों में इसका विस्तार किया जायेगा।

श्री सुनील सोनी :- माननीय सभापति महोदय, इसमें भांटागांव अण्डर ब्रिज को भी जोड़ लीजिये।

सभापति महोदय :- यह आपका आखिरी प्रश्न है।

श्री सुनील सोनी :- माननीय सभापति जी, मेरा सिर्फ 02 प्रश्न है और बहुत आवश्यक है।

सभापति महोदय :- आखिरी प्रश्न पूछ लीजिये। मैं बिलकुल मौका दे रहा हूं।

श्री सुनील सोनी :- मेरा प्रश्न लगा है और मैंने बहुत मन से रायपुर की चिंता करके इस प्रश्न को लगाया है। रायपुर शहर के अंदर एक भांटागांव को पढ़ा, लेकिन इसकी समय-सीमा क्या है ? इस अण्डर ब्रिज को ठीक करके ट्रैफिक को ठीक करेंगे।

परिवहन मंत्री जी, मेरा दूसरा सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि आज रायपुर राजधानी में सस्ते परिवहन की आवश्यकता है। आपके माध्यम से शहर में कितनी सिटी बस रायपुर शहर के अंदर चल रही है ? क्योंकि जब मैं महापौर था तो सन् 2008 में प्रायवेटर-पार्टनरशीप के तहत ४० बस

का संचालन प्रारंभ किया था, यह मैं आपको जानकारी के लिए बता रहा हूं। आज रायपुर शहर के अंदर कितनी सिटी बस संचालित हो रही है और किनके द्वारा हो रही है ? आने वाले समय में सिटी बस चलाने की क्या योजना है?

माननीय सभापति महोदय, मैं एक और जानकारी के बाद अपने प्रश्न को खत्म करता हूं। राइट्स कम्पनी भारत सरकार का उपक्रम है, हमने उससे सर्वे कराया था। सर्वे कराकर सन् 2025 तक 450 सिटी बस चलना था तो अभी कितनी बसें चल रही हैं?

सभापति महोदय :- आप प्रश्न पूछ लिए हैं, जवाब के लिए मंत्री जी को बोलने दीजिये।

श्री केदार कश्यप :- माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, वह दुर्घटना के सम्बन्ध में जानकारी का है। सिटी बस के सन्दर्भ में जानकारी नहीं चाही है। सिटी बस के सम्बन्ध में जानकारी दे देंगे।

श्री सुनील सोनी :- सभापति जी, यह मेरा प्रश्न है। मैंने प्रश्न में ही लिखा है कि रायपुर राजधानी में सुगम यातायात को लेकर क्या रणनीति है ? तो सुगम यातायात का मतलब सस्ता परिवहन उपलब्ध कराना। सभापति जी, मेरा आपसे निवेदन है कि आप मेरा प्रश्न देख लीजिये। आज की तारीख में शहर के अंदर कितनी सिटी बसें चल रही हैं ? मैंने सन् 2008 में 40 सिटी बस प्रारंभ करवाया था तो आज की तारीख में राजधानी रायपुर में कितनी सिटी बसें चल रही हैं?

श्री केदार कश्यप :- माननीय सभापति महोदय, मैं इसकी अलग से जानकारी उपलब्ध करा दूंगा।

सभापति महोदय :- श्री अजय चन्द्राकर जी।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, माननीय जोगी जी मुख्यमंत्री थे तो प्राइस वाटर हाऊस कूपर्स को रायपुर के यातायात के लिए और दुर्घटनाओं के अध्ययन के लिए एक कमेटी बनाई थी, तब से हम इस विषय को लेकर लड़ रहे हैं। दुर्भाग्य यह है कि दुर्घटना घटने के बजाय बढ़ रहा है। इसमें आसंदी ने नियम 139 के तहत चर्चा स्वीकृत की थी। दुर्घटना में मृत्यु यह विषय परिवहन विभाग का विषय नहीं है। स्थानीय शासन विभाग, लोक निर्माण विभाग जैसे अन्यान्य विभाग हैं, जो इसमें जुड़े हुए हैं। नियम 139 की चर्चा में जो आश्वासन

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

आया था, दुर्भाग्य है कि वह पूरा नहीं हुआ है। यह दुर्भाग्य है। इसमें आपने उत्तर दिया। आपने जो उत्तर दिया है, मैं तो उसी में ही प्रश्न पूछूंगा। आप भी पढ़िये, जो महत्वपूर्ण रणनीतियां हैं, उसमें प्रस्तावित रणनीतियां क्रं. 9 में सिर्फ काम हो रहा है। बाकी कागज में हैं। आप 8 को पढ़ लीजिये, बाकी 8 रणनीतियां प्रस्तावित हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि यह रणनीतियां किस विशेषज्ञ ने बनाई, कब बनाई, कब क्रियान्वित होगी? इसको क्रियान्वित करने में क्या लागत आयेगी? फिर मैं ऐसे ही छोटे-छोटे प्रश्न कर लूंगा। आप इसका उत्तर बता दीजये।

श्री केदार कश्यप :- एक प्रश्न रिपीट कर दीजिये।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, आपने अन्य प्रस्तावित रणनीतियां बनाई हैं। उसमें से सिर्फ एक ही क्रियान्वित हो रही है। ये रणनीतियां किनके द्वारा कितनी अवधि के लिए बनाई है ? कब क्रियान्वित होगी और क्रियान्वयन के लिए कितने बजट की आवश्यकता है?

श्री केदार कश्यप :- माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो कहा है, इसके लिए रणनीति के तहत में हमको स्थानीय जिला प्रशासन के माध्यम से, स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से, गृह विभाग के माध्यम से, इन सबके सहयोग से ही हमको इस गतिविधि को आगे बढ़ाना है। सभापति महोदय, इसकी एक लंबी प्रक्रिया है कोई शॉर्ट टाइम तो है नहीं कि एक दिन में कर लें या एक महीने भर में हो जाए और उसके बाद फिर दुर्घटना ख़त्म हो जाए, ऐसी स्थिति नहीं है। हमारे यहां पर जो नीति बनायी गयी है, उसमें सभी विभाग मिलकर इसको क्रियान्वित कर रहे हैं और आने वाले समय में इसके बेहतर परिणाम आएं, इसके लिए हम लोग सभी प्रयास कर रहे हैं ताकि स्थितियां बेहतर हों और बजट की जो उपलब्धता है, उसके संदर्भ में भी हम लोग सुनिश्चित कर रहे हैं कि इसमें कहीं कोई दिक्कत न हो।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैंने जो पूछा था, मेरे ख्याल से इसमें उत्तर नहीं आया। आप यदि संतुष्ट हैं, मैंने बहुत स्पेसिफिक पूछा है, जितने विभागों का आपने नाम लिया, उसमें कोई ट्रांसपोर्ट विशेषज्ञ नहीं है। ये कागज़ी रणनीति है, छत्तीसगढ़ को मौत के मुंह में खड़े करने की रणनीति है। आप बताइए कि जिन लोगों ने इसको रोकने के लिए रणनीति बनाई है, उसकी विशेषज्ञता क्या है ? दूसरी बात, आप यदि उसको रणनीति मानते हैं तो कार्यावधि में यदि वह संपादित नहीं

होती है, उसके फाइनेंसियल aspect आपके पास नहीं हैं, तो वह कागज़ी है और इसके बारे में आप निर्णय करें, मैं आपके विवेक पर छोड़ता हूं, मैं आपसे दूसरी चीजें पूछ लेता हूं । आपने उत्तर में ही लिखा है, आप 12 जिलों में ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर (डी.टी.सी.) बना रहे हैं। उसके बाद आप 5-6 जिले में ए.टी.एस. बना रहे हैं और आई.डी.टी.आर. है, माने आपका ड्राइविंग इंस्टिट्यूट है । माननीय सभापति महोदय, ये जो निर्माणाधीन हैं, ये कब से निर्माणाधीन हैं, कब पूरे होंगे और इसके लिए क्या सेटअप है, क्योंकि निर्माणाधीन है, बन रहा है, तो उसके लिए क्या सेटअप स्वीकृत किया गया है और उस सेटअप में क्या विशेषज्ञता है? ड्राइविंग सिखाने के लिए किस तरह के मास्टर ट्रेनर हैं विशेषज्ञता है? एक इसी से संबंधित, दूसरा आप मेरे साथ चल कर अभी ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट का निरीक्षण करेंगे क्या? मेरे साथ चल के अभी बजट के बाद इंस्टिट्यूट का निरीक्षण करेंगे क्या, वहाँ क्या-क्या उपलब्ध है?

सभापति :- वह मंत्री जी जवाब देंगे न।

श्री केदार कश्यप :- माननीय सभापति महोदय, जो आई.डी.टी.आर. है, वह हमारी राजधानी रायपुर में स्थापित है और मैंने स्वयं उस आई.डी.टी.आर. का निरीक्षण किया है। लगभग आज की डेट तक वहां पर आई.डी.टी.आर. में जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है, उस प्रशिक्षण के तहत में हमारे पूरे प्रदेश के हमारे जितने भी वाहन चालक हैं, लगभग 38,573 वाहन चालकों को इसमें प्रशिक्षण दिया गया है, जिसमें हल्के मोटर वाहन चालक हैं, भारी मोटर वाहन चालक हैं...

श्री अजय चन्द्राकर :- मैंने वह सब पढ़ लिया है। मैं निरीक्षण की बात कह रहा हूं, मेरे साथ करेंगे?

श्री केदार कश्यप :- मैं स्वयं जा चुका हूँ।

श्री अजय चन्द्राकर :- नहीं, मेरे साथ चलिए न।

श्री केदार कश्यप :- आप भी चलिएगा। आप मेरे साथ चलिए, मैं जाने को तैयार हूं और बहुत अच्छे तरीके से वहां पर काम चल रहा है।

सभापति महोदय :- ठीक है मंत्री जी, आपका हो गया। श्री दलेश्वर साहू जी।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अनुज शर्मा :- माननीय सभापति महोदय...।

श्री दिलीप लहरिया :- माननीय सभापति महोदय..।

श्री अनुज शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, बहुत महत्वपूर्ण विषय है।

सभापति महोदय :- इसी में प्रश्नकाल खत्म हो जाएगा, एक क्वेश्चन में 11 लोग थोड़ी पूछते हैं।

श्री अनुज शर्मा :- माननीय चन्द्राकर जी, एक छोटा सा प्रश्न है।

श्री अजय चन्द्राकर :- संगीता जी। माननीय सभापति महोदय जी, मैंने दो बातें कहीं।

सभापति महोदय :- आपको ले जाएंगे।

श्री अजय चन्द्राकर :- एक मिनट, एक तो पूरक प्रश्न है। मैंने यह कहा कि दो-तीन संस्थान के बारे में पूछा, दो संस्थान कब से निर्माणाधीन हैं, कब तक बनेंगे, उसमें क्या सेटअप स्वीकृत है, उसकी विशेषज्ञता क्या है? उसका उत्तर नहीं आया, मैं उससे भी आगे बढ़ जाता हूं। मेरा मतलब तो ये है, मैं ध्यान में ला दूं। जब 139 की चर्चा फॉलो नहीं हुई तो बाकी तो छोड़ दीजिये। दूसरी बात, मेरे साथ निरीक्षण करने के लिए प्रश्नकाल या बजट के बाद चलेंगे क्या? कब जाएंगे, मैंने यह नहीं कहा । मैं आगे बढ़ जाता हूं।

श्री अनुज शर्मा :- माननीय सभापति जी..।

सभापति महोदय :- वे ले जायेंगे। मंत्री जी, इनको साथ में ले जाइये।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप इसके बाद पूछ लेना। यह आखिरी प्रश्न है। छोटा सा प्रश्न है।

सभापति महोदय :- बहुत से लोग प्रश्न पूछना चाह रहे हैं। आगे भी लोगों का बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं।

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति जी, यह आखिरी प्रश्न है। मैं एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी, आप संसदीय कार्य मंत्री भी हैं। संसदीय कार्य मंत्री सदन में घोषणा के प्रति जवाबदेह होते हैं। इस प्रश्न के जवाब के परिशिष्ट में 'ब्लैक स्पॉट' का उल्लेख है। आपने लिखा है कि संबंधित निर्माण एजेंसी विभागों को सर्वसहमति से कार्यवाही कराया गया है। कार्यवाही करवाया गया है, वह तो ठीक है, लेकिन क्या कार्यवाही हुई है, यह नहीं लिखा है। कब तक कार्यवाही होगी, सिर्फ यह लिखा है। आपने जवाब में ब्लैक स्पॉट का उल्लेख किया है। क्या माननीय मुख्यमंत्री जी ने नियम 139 की चर्चा में सभी ब्लैक स्पॉट को खत्म करने की घोषणा की थी? यदि मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी तो उनमें से कितने ब्लैक स्पॉट खत्म हो गए हैं? कितने ब्लैक स्पॉट चिन्हित हुए हैं और अब तक कितने ब्लैक स्पॉट बचे हैं? यदि ब्लैक स्पॉट खत्म नहीं हुए हैं तो उसके क्या कारण हैं?

सभापति महोदय :- मंत्री जी, आप एक बार में सब प्रश्न का जवाब दीजिये। मैं अगला प्रश्न लेना चाहता हूं।

श्री केदार कश्यप :- जी। माननीय सभापति महोदय, पूरे प्रदेश में 167 ब्लैक स्पॉट हैं, जिनमें से 101 ब्लैक स्पॉट को खत्म किया गया है। वर्तमान में लगभग 66 ब्लैक स्पॉट पर कार्यवाही चल रही है। माननीय सदस्य ने Regional Driving Training Centre के संदर्भ में जानकारी मांगी थी, जिसके जवाब में यह है कि हमारे प्रदेश में 02 Regional Driving Training Centre हैं और 12 District Driving Training Centre अन्य जिलों में हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- उससे आगे बढ़ गये हैं, आप उसको बता दीजियेगा।

श्री केदार कश्यप :- हाँ। उसके बाद और भी जिलों में हैं, जहां पर ..।

सभापति महोदय :- चलिये, अब आगे बढ़ने दीजिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, 66 ब्लैक स्पॉट बाकी हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा एक साल पहले की घोषणा है। माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि 101 ब्लैक स्पॉट में 66 बाकी है।

सभापति महोदय : श्री दलेश्वर साहू जी।

श्री अनुज शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है।

अशोधित/अप्रमाणित के लिए नहीं

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति जी, एक शब्द कहना चाहूंगी।

श्री अजय चनद्राकर :- माननीय सभापति जी, यदि हम मृत्यु दर को नहीं रोक पाए तो किसी भी कल्याणकारी योजना का कोई मतलब नहीं है। आप 66 ब्लैक स्पॉट्स को कब तक खत्म करेंगे?

सभापति महोदय :- चन्द्राकर जी, आपका बहुत लंबा प्रश्न हो गया।

श्री अनुज शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है।

सभापति महोदय :- आप जल्दी से एक प्रश्न पूछ लीजिये।

श्री अनुज शर्मा :- माननीय सभापति जी, मैं बिल्कुल जल्दी प्रश्न पूछ रहा हूं। इसी से संबंधित मेरा सवाल था कि 1 अप्रैल, 2024 से जनवरी, 2026 तक कितने ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए गए हैं? माननीय सभापति जी, कुल 1,46,308 आवेदनों में से 1,46,307 लोगों को लाइसेंस जारी किया गया। इस पूरी प्रक्रिया में केवल एक व्यक्ति फेल हुआ। यह बहुत चिंता का विषय है।

सभापति महोदय : आपका प्रश्न क्या है? आप जल्दी प्रश्न पूछिये।

श्री अनुज शर्मा :- सभापति महोदय, मैं सवाल कर रहा हूं। मेरा कहने का मतलब यह है कि ड्राइविंग में इतने पारंगत लोग हैं, लेकिन दुर्घटना का सबसे बड़ा कारण खराब ड्राइविंग और परिवहन के नियमों का पालन न करना होता है। अगर दो साल में 1,46,307 लोग पास हो रहे हैं और सिर्फ एक व्यक्ति फेल हो रहा है तो यह चिंता का विषय है?

सभापति महोदय :- आप जानकारी दे रहे हैं या प्रश्न पूछ रहे हैं?

श्री अनुज शर्मा :- नहीं, मेरा इसी से जुड़ा सवाल है।

सभापति महोदय :- आप सीधा प्रश्न पूछिये।

श्री अनुज शर्मा :- सभापति महोदय, मैंने इसमें सवाल पूछा था कि जब ड्राइविंग लाइसेंस की परीक्षा दी जाती है, उस वक्त क्या कोई वीडियोग्राफी की जाती है? इसका जवाब आया था कि वीडियोग्राफी नहीं की जाती है। सभापति महोदय, मेरा यही मांग है कि इसकी वीडियोग्राफी होनी चाहिए, ताकि स्पष्ट हो कि उस परीक्षा में कौन पास हो रहा है और कौन फेल हो रहा है।

अप्रकाशित/प्रकाशन के लिए नहीं

सभापति महोदय :- आप बैठिये, आपका प्रश्न आ गया। मंत्री जी, जवाब दे दीजिये।

श्री केदार कश्यप :- माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य का सुझाव अच्छा है। हम उस पर आगे विचार करेंगे।

श्री अनुज शर्मा :- सभापति महोदय, क्या माननीय मंत्री जी अभी इसकी घोषणा कर रहे हैं?

सभापति महोदय :- एक मिनट। अब दलेश्वर साहू जी प्रश्न पूछेंगे।

मरवाही वनमंडल अंर्तगत गोबर खाद आपूर्ति हेतु प्रस्तुत प्रमाणकों में फर्जी हस्ताक्षर की जांच

[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

4. (*क्र. 272) श्री दलेश्वर साहू: क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- (क) क्या वर्ष जनवरी, 2022 से जनवरी, 2026 तक मरवाही वनमंडल अंर्तगत गोबर खाद आपूर्ति हेतु प्रस्तुत प्रमाणकों में फर्जी हस्ताक्षर किये जाने के संबंध में किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त हुई है एवं क्या कोई जांच समिति गठित की गई है? यदि हाँ, तो प्रमाणक बनाने एवं भुगतान की अवधि में पदस्थ अधिकारी के नाम/पदनाम पदस्थी दिनांक सहित जानकारी देवें? (ख) दिनांक 17.10.2022 से 21.09.2023 तक गोबर खाद आपूर्ति हेतु प्रस्तुत प्रमाणकों के लिये किये गये भुगतान, भुगतानकर्ता, सत्यापनकर्ता, सामग्री प्राप्तकर्ता स्टाक पंजी में दर्ज दिनांक सहित जांचकर्ता के नाम/पदनाम सहित दिनांकवार जानकारी देवें?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) मरवाही वनमण्डल अंतर्गत वर्ष जनवरी, 2022 से जनवरी, 2026 तक गोबर खाद आपूर्ति हेतु प्रस्तुत प्रमाणकों में फर्जी हस्ताक्षर किये जाने के संबंध में केवल 01 शिकायत प्राप्त हुई है। उक्त शिकायत की जांच हेतु जांच समिति गठित किया गया है। प्रमाणक बनाने एवं भुगतान की अवधि में पदस्थ अधिकारी के नाम/पदनाम पदस्थिति दिनांक सहित जानकारी संलग्न[3] "प्रपत्र" में दर्शित है। (ख) मरवाही वनमंडल अंतर्गत दिनांक 17.10.2022 से 21.09.2023 तक गोबर खाद आपूर्ति नहीं की गई है। अतः प्रमाणकों के लिये किये गये भुगतान, भुगतानकर्ता, सत्यापनकर्ता, सामग्री प्राप्तकर्ता, स्टाकपंजी में दर्ज दिनांक

[3] "परिशिष्ट - चार"

सहित जांचकर्ता के नाम/पदनाम सहित दिनांकवार जानकारी दिये जाने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

श्री दलेश्वर साहू :- माननीय सभापति महोदय, मेरे प्रश्न के जवाब के कॉलम-6 में यह उल्लेख है कि शिकायत की जांच हेतु जांच समिति गठित की की गई है। कैम्पा मद अंतर्गत 2 मई, 2022 से 11 मई, 2022 तक कुल 10 दिनों में मरवाही परिक्षेत्र में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण पीपरिया, चूवा, बहर द्विदिवसीय वर्ष हेतु गोबर खाद आपूर्ति के संबंध में एक जांच कमेटी गठित की गई थी और 14 लाख रूपये का गबन भी कर दिया गया था। मैं इसके संबंध में माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा। माननीय मंत्री जी, आप थोड़ा गंभीरतापूर्वक सुनियेगा।

सभापति महोदय :- वह तो गंभीर हैं।

श्री दलेश्वर साहू :- माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी, प्रश्न के जवाब में उल्लेखित व्हाऊचर निर्माण अवधि के संबंध में यह बताने का कष्ट करेंगे कि गोबद खाद आपूर्ति की भुगतान से संबंधित व्हाऊचर प्रमाणक समायोजन दिनांक 21.10.2024, जिसका निर्माण दिनांक 04.05.2024 यह प्रमाणिक के साथ अंकित है, जो कम्प्युटर में स्वत: जनरेट होता है या उल्लेखित व्हाऊचर में गोबर खाद आपूर्ति के भुगतान के संबंध में वन मंडल कार्यालय पेंड्रा द्वारा वन मंडल मरवाही को भेजा गया प्रपत्र 3 व्हाऊचर सूची, व्हाऊचर प्रमाणक, जावक क्रमांक 538, 532 दिनांक 27-6-2022 व्हाऊचर निर्माण दिनांक के संबंध में 04-05-2024 सही है...।

सभापति महोदय :- इतना लम्बा प्रश्न मत पूछिये ना ? शार्ट कट में पूछिये।

श्री दलेश्वर साहू :- सभापति महेादय, दोनों में कौन सही है? जो उपमंडलाधिकारी द्वारा भेजा गया व्हाऊचर सही है या आपके कम्प्यूटर में जनरेट हुआ है, वह व्हाऊचर सही है?

श्री केदार कश्यप:- सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, उसमें 06-01-2026 को ही शिकायत प्राप्त हुई है, जिसमें फर्जी हस्तारक्षर को लेकर शिकायत है । इसे दिनेश पांडे, प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ जन सहयोग संस्थान, माता चौरा, बिलासपुर के द्वारा किया गया है । इसके शिकायत के संदर्भ में जांच चल रही है और हमारे मुख्य वन संरक्षक बिलासपुर के माध्यम से 03 सदस्यीय समिति बनी हुई है, जिसमें वनमंडलाधिकारी कटघोरा, आई.एफ.एस. कुमार निशांत है और अविनाश तथा हितेश ठाकुर उपमंडलाधिकारी पाली हैं । इस तरीके से

समिति इसकी जांच कर रही है। सभापति महोदय, जब समिति जांच करके अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी तो जो गुण-दोष होगा, उसके आधार पर कार्यवाही होगी।

श्री दलेश्वर साहू :- सभापति महोदय, जांच के पद नाम, हस्ताक्षर और व्हाऊचर है, उसके बयान हो गये हैं क्या ? बयान में क्या इन्होंने अपना हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है ? यदि नहीं तो कितने फर्जी हस्ताक्षर के बिल को पास किया गया है?

श्री केदार कश्यप :- माननीय सभापति महोदय, मैंने उत्तर में ही कहा है कि जांच चल रही है और जैसे ही जांच की रिपोर्ट आयेगी, यदि उसमें कोई दोषी होगा तो उसको बख्शा नहीं जायेगा और उस पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जायेगी।

सभापति महोदय :- श्री धरमलाल कौशिक ।

श्री दलेश्वर साहू :- सभापति महोदय, मेरा आखिरी क्वेश्चन है । इसमें जांच हो गई है, मंत्री जी को सिर्फ गुमराह किये हैं, मैं इस सारी प्रक्रिया को पटल पर रख देता हूँ । जांच प्रक्रियाधीन है ऐसा कहकर सदन को गुमराह किया जा रहा है । यदि फर्जी हस्ताक्षर जांच में कंपलीट आ गई है तो इस पर माननीय मंत्री जी कार्यवाही करेंगे क्या ? मैं जांच कमेटी का दस्तावेज पटल पर रख देता हूँ । सभापति महोदय, आपको सिर्फ गुमराह किया जा रहा है कि जांच कमेटी के प्रक्रियाधीन है। यह प्रक्रियाधीन नहीं है, मेरे पास पटल में रखने के लिये है। जांच रिपोर्ट आ गई है और डी.एफ.ओ. के ऊपर कार्यवाही होना तय है। माननीय मंत्री जी उसमें कार्यवाही करेंगे क्या?

सभापति महोदय :- आप मंत्री जी से मिल लीजिएगा ना, आप उनको दे दीजिएगा ।

श्री केदार कश्यप :- माननीय सभापति महोदय, अभी रिपोर्ट नहीं आई है, जैसे ही रिपोर्ट आयेगी, उस पर कार्यवाही की जायेगी ।

सभापति महोदय :- श्री धरमलाल कौशिक ।

श्री दलेश्वर साहू :- सभापति महोदय, मैं सदन के पटल पर रख देता हूँ ।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- सभापति महोदय, जवाब सही नहीं आ रहे हैं..। (व्यवधान)

सभापति महोदय :- आप मंत्री जी से मिल लीजिएगा ।

असंशोधित/प्रूफ पठन के लिए नहीं

श्री केदार कश्यप :- जांच की रिपोर्ट आयेगी, तब तो कार्यवाही होगी ?

श्री दलेश्वर साहू :- सभापति महोदय, सदन को गुमराह किया जा रहा है ।

श्री केदार कश्यप :- कोई गुमराह नहीं किया जा रहा है । यह आपके सरकार के समय का है...। (व्यवधान)

श्री देवेन्द्र यादव :- कार्यवाही कीजिए...। (व्यवधान)

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य बहुत जिम्मेदारी से बोल रहे हैं, वह सदन के पटल पर रखना चाहते हैं । उनके पास परीक्षण और रिपोर्ट है । आप निरीक्षण कर लीजिए, उनको आदेश दे दीजिए कि कार्यवाही करें ।

श्री सुशांत शुक्ला :- सभापति महोदय, पटल में रखने की भी एक प्रक्रिया है और व्यवस्था है...। (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- पटल में रखने का आदेश दे दीजिए...। (व्यवधान)

सभापति महोदय :- एक मिनट-एक मिनट। बिना आसंदी की अनुमति से कोई भी कागज पटल पर नहीं रखा जा सकता। माननीय मंत्री जी, एक बार इनकी चिंता के बारे में फिर से जवाब दे दीजिए। इसमें जांच जारी है या जांच हो चुकी है, यह बता दीजिए।

श्री केदार कश्यप :- माननीय सभापति महोदय, मैंने अपने उत्तर में ही कहा है कि इसकी जांच जारी है और इसके संदर्भ में हमारे 3 अधिकारियों की कमेटी गठित है। उसकी रिपोर्ट जैसे ही आएगी, उसमें जो भी गुण दोष होगा, जो भी प्रावधान होगा, उसके तहत उस पर कार्रवाई की जाएगी।

सभापति महोदय :- श्री धरमलाल कौशिक।

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदय, मेरा आपसे एक निवेदन है। हमारे जो सदस्य हैं, वह पटल पर रखना चाहते हैं, आपसे अनुमति मांग रहे हैं, वे बोल रहे हैं कि जांच रिपोर्ट आ गई है, आप स्वयं देख लीजिए। आप एक बार निरीक्षण कर लीजिए, उसके बाद मंत्री जी को आदेशित कर दीजिए।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

सभापति महोदय :- नियम ये है, बिना पूर्व सूचना के और बिना आसंदी की अनुमति के सदन के पटल पर कोई भी कागज कोई भी सदस्य नहीं रख सकता।

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय सभापति महोदय, हम लोग अनुमति तो मांग रहे हैं।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय सभापति महोदय, हम लोग अनुमति तो मांग रहे हैं।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- सभापति महोदय, आपसे अनुमति ही मांग रहे हैं।

सभापति महोदय :- मैंने पहले ही आपसे निवेदन किया, आपके पास जो भी तथ्य हों, आप मंत्री जी से मिल लीजिए और उनसे बात करके उनको बता दीजिए, अगर उनके संज्ञान में नहीं है तो वे उसको जान जाएंगे, जो उनके संज्ञान में हैं, जो आपको नहीं मालूम है, वे आपको बता देंगे। लेकिन यहां बिना परमिशन के बिना पूर्व सूचना के कोई भी कागज आसंदी में नहीं रखा जा सकता।

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरणदास महंत) :- सभापति महोदय, हमारे विधायक जी कह रहे हैं कि जांच हो गई है। जांच में जो बयान दिया गया है, वह भी उनके पास है। ये पूरी जवाबदारी के साथ कह रहे हैं जांच हो गई है, अधिकारी दोषी पाया गया है, तो उस बात को स्वीकार कर लीजिए। अगर अधिकारी दोषी पाया गया है, तो उसको सस्पेंड कर देंगे। इसमें मंत्री जी का क्या जाता है? हम और कुछ तो चाह नहीं रहे हैं।

श्री केदार कश्यप :- माननीय सभापति जी, मैंने अपने जवाब में स्पष्ट किया कि रिपोर्ट जैसे ही आएगी, जो विधिसम्मत होगा, जो उसमें प्रावधान होगा, उसके ऊपर कार्रवाई होगी। अभी तो बयान दिया है, किसने बयान दिया है, उनके पास क्या तथ्य हैं, वह तो अलग विषय है। आप बयान उपलब्ध करा दीजिए।

सभापति महोदय :- आपके पास रिपोर्ट नहीं आई है न?

श्री केदार कश्यप :- हमारे पास कोई रिपोर्ट नहीं आई है।

सभापति महोदय :- जब रिपोर्ट आएगी तो विधिसम्मत कार्रवाई करिएगा, इनको आश्वस्त कर दीजिए।

श्री केदार कश्यप :- बिल्कुल।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री भूपेश बघेल :- रिपोर्ट कब तक आएगी?

सभापति महोदय :- हां, बघेल साहब पूछ रहे हैं कि रिपोर्ट कब तक आएगी बता दीजिए।

श्री दलेश्वर साहू :- मंत्री जी, रिपोर्ट कब तक आएगी यह बता दीजिए, यह तो आपके ही डिपार्टमेंट का है।

श्री केदार कश्यप :- सभापति महोदय, मैंने इसके संदर्भ में अपने अधिकारियों से बैठक की है, जल्द से जल्द इसकी रिपोर्ट भी आ जाएगी।

श्री दलेश्वर साहू :- समय सीमा बता दीजिए।

श्री केदार कश्यप :- मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि अगले सत्र के पूर्व ही हम इसमें जो भी कार्रवाई होगी करेंगे।

सभापति महोदय :- श्री धरमलाल कौशिक जी।

<u>अरपा भैंसाझार परियोजना में अनियमितता के दोषियों पर कार्यवाही</u>

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन]

5. (*क्र. 200) श्री धरमलाल कौशिक : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) क्या यह सही है कि तारांकित प्रश्न संख्या 09 (क्रमांक 218) व अतारांकित प्रश्न संख्या 42 (क्रमांक 220), दिनांक 14 जुलाई, 2025 के उत्तर में अरपा भैंसाझार परियोजना में अनियमितता पाए जाने का उल्लेख किया गया है? इस परियोजना में किस-किस प्रकार की अनियमितता पाई गई है? इसमें कौन-कौन व किन-किन कारणों से दोषी पाए गये हैं तथा इनके विरूद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई है? यदि नहीं की गई तो क्यों व कब तक की जावेगी? इसमें किन-किन खसरों के संबंध में भुगतान संबंधी, असिंचित/पड़त/एक-फसली भूमि को दो-फसली बता कर किसको-कितना अधिक भुगतान किन-किन को किनके-किनके द्वारा किये जाने संबंधी एवं अन्य किस-किस प्रकार की अनियमितता किस-किस के द्वारा की गई है तथा अनियमितता एवं अनियमित भुगतान करने किन-किन अधिकारियों/कर्मचारियों के द्वारा अनुंशसा की गई है? पदनाम व नामवार विवरण देवें? (ख) क्या कंडिका क अनुसार प्रश्नों के उत्तर में ईओडब्ल्यू से

जांच कराए जाने हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन बताई गई है? क्या माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में दिनांक 12/05/2025 को जल संसाधन विभाग की बैठक में परियोजना में हुई अनियमितता की जांच हेतु ईओडब्ल्यू को प्रकरण भेजने हेतु निर्देशित किया गया? यदि हॉ तो कब भेजा गया तथा उसमें किन-किन अनियमितताओं का उल्लेख किया गया तथा ईओडब्ल्यू में पंजीकरण की अद्यतन प्रगति क्या है?

राजस्व मंत्री (श्री टंक राम वर्मा) : (क) जी हां, तारांकित प्रश्न संख्यास 09 (क्रमांक 218) व अतारांकित प्रश्न संख्या 42 (क्रमांक 220), दिनांक 14 जुलाई 2025 के उत्तर में अरपा भैंसाझार परियोजना में अनियमितता पाए जाने का उल्लेख किया गया है। इस परियोजना में संरेखण एवं मुआवजा भुगतान में अनियमितता पाई गई है। शेषांश के संबंध में जानकारी प्रपत्र[4] - अ, ब, स, द एवं ई में संलग्न है। (ख) जी हां, राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूबरो (ई.ओ.डब्ल्यू.) में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में दिनांक 12-05-2025 को जल संसाधन विभाग की बैठक में निर्देशानुसार परियोजना में हुई अनियमितता की जांच हेतु ई.ओ.डब्ल्यू. को प्रकरण प्रेषित किया गया है। छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक GRNCOR/5038/2025-GAD-7 के माध्यम से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर ई.ओ.डब्ल्यू. में प्रारंभिक जांच क्रमांक 07/2025, दिनांक 16-07-2025 को पंजीबद्ध कर जांच की जा रही है। शेष जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, मुझे जो परिशिष्ट दिया गया है, उसमें आपने स्वीकार किया है कि उसमें अनियमितता हुई है। गिरोह बना करके उसमें नहर में जो जमीन नहीं आ रही है, उसका भी भुगतान कराया गया है। असिंचित को सिंचित बनाकर उसका भुगतान हुआ है, कम जमीन का ज्यादा भुगतान हुआ है। जो परिशिष्ट दिया गया है, वह पढ़ने में नहीं आ रहा है। पेज नंबर 12 परिशिष्ट 1 (अ) को थोड़ा सा पढ़कर बता दीजिए, कितने खसरा नंबर का है जो उन लोगों से वापस पैसा लिया जाना है जिसमें करप्शन हुआ है।

[4] परिशिष्ट ''पांच''

श्री टंकराम वर्मा :- माननीय सभापति महोदय, अरपा भैंसाझार बैराज बिलासपुर जिले की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसमें 25 हजार हेक्टेयर भूमि की सिंचाई किया जाना प्रस्तावित है। इस जांच में तीन चार तरह की अनियमितता पाई गई है।

श्री धरमलाल कौशिक :- थोड़ा नाम पढ़कर बता दीजिए न, वही तो समझ में नहीं आ रहा है। प्रपत्र अ को पढ़कर बता दीजिए।

श्री टंकराम वर्मा :- सबसे पहले इसमें एलाईमेंट में जो बाहर की जमीन उस परिधि में नहीं आ रही थी, उसको भी खरीदी गई है, इसमें कार्रवाई हुई है और इसमें पूर्णत: वसूली योग्य बताया गया है। इसमें 10 लोग निम्न हैं:-मनोज कुमार अग्रवाल पिता पवन, मनोज कुमार अग्रवाल पिता पवन, शारदा देवी पिता पवन अग्रवाल, मुकेश अग्रवाल पिता पवन अग्रवाल, पवन अग्रवाल पिता शंकर लाल अग्रवाल, शारदा देवी पति पवन अग्रवाल।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय मंत्री जी, यह टोटल कितने लोगों की भूमि के भुगतान की जानकारी है?

श्री टंकराम वर्मा :- माननीय सभापति महोदय, यह टोटल 10 लोगों की भूमि के भुगतान की जानकारी है, जो पूर्णत: वसूली योग्य है।

श्री धरमलाल कौशिक :- सभापति महोदय, यह 11 करोड़ 37 लाख रूपये की राशि है। दूसरा, इस परिशिष्ट के प्रपत्र-ब में वसूली योग्य राशि 5 करोड़ 46 लाख रूपये की जानकारी दी गई है। तीसरा, प्रपत्र-स में 6 करोड़ 72 लाख रूपये की जानकारी दी गई है। 46 करोड़ रूपये की मुआवजा राशि का भुगतान हुआ है। उसमें 23 करोड़ 56 लाख रूपये की अनियमितता पाई गई है। आप इसको 50 प्रतिशत समझ लीजिये। 46 करोड़ रूपये में 23 करोड़ रूपये की अनियमितता हुई है और उसमें 56 लाख रूपये की वसूली करनी है। यह महत्वपूर्ण परियोजना है। अभी तक वहां पानी नहीं पहुंच पा रहा है। उसका कारण यह है कि जो जमीन नहर से बाहर है, उसका भी मुआवजा लिया गया है। जो जमीन सिंचित नहीं है, उसको दो फसली बताकर उसका मुआवजा लिया गया है। कम जमीन को ज्यादा जमीन बताकर मुआवजा लिया गया है। आपने कुल 46 करोड़ रूपये के मुआवजे का भुगतान किया है, उसमें 23 करोड़ 56 लाख रूपये का फर्जी भुगतान पाया गया। जिसको वसूल करना है, लेकिन उसकी वसूली आज तक नहीं हुई है। इसमें दो बातें हैं। एक तो जो अधिकारी उसमें संलग्न थे, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है और

दूसरी बात, यह जो राशि वसूल की जानी है, उसकी आज की तारीख में क्या स्थिति है? फिर मैं अपना अगला प्रश्न करता हूं।

श्री टंकराम वर्मा :- माननीय सभापति महोदय, भूमि अर्जन में 3-4 तरह की अनियमितताएं बरती गई हैं। एक तो एलाइनमेंट से बाहर की जमीन को लिया गया है, दूसरा जो जमीन असिंचित थी, उनको सिंचित व दो फसली बताया गया और तीसरा कम रकबे को अधिक रकबा बताकर उनको भू-अर्जन का लाभ दिया गया है और चौथा किसी अन्य की जमीन को किसी अन्य व्यक्ति का बताकर उनको मुआवजा दिया गया है। यह जितनी तरह की गड़बड़ियां हुई हैं तथा संबंधित जो अधिकारी इसमें लिप्त थे, उनमें से कुछ को निलंबित किया गया है और कुछ पर कार्रवाई हुई है और जिनको गलत ढंग से मुआवजा मिला है, उनसे मुआवजा राशि को वापस लेने के लिए उस पर कार्रवाई हो रही है। कुछ व्यक्ति मुआवजा वापसी के विरूद्ध कोर्ट से स्टे लेकर आ गये हैं और बाकी के ऊपर अभी वसूली की कार्रवाई चल रही है।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय सभापति महोदय, इसमें द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 में एक संशोधन किया गया है और वह संशोधन दिनांक 01.10.2018 को किया गया है। जिसमें संशोधन करके धारा-20 ''क'' का प्रावधान किया गया है, जिसके अनुसार किसी भी परियोजना के प्रकरणों में भी न्यायालय द्वारा कोई स्थगन नहीं दिया जाना प्रावधानित है। जल संसाधन विभाग भी उस परिधि के अंतर्गत आता है। आप कृपया मुझे यह बताये कि जो लोग बता रहे हैं कि उनको हाई कोई से स्टे मिला, आपके विभाग के वकील भी इसमें होंगे तो यह जो एक्ट है कि इसमें स्टे नहीं दिया जाना चाहिए, इस प्रावधान के अंतर्गत इसकी वसूली कब तक की जायेगी और जो प्रावधान नहीं है तो आप वकील लगाकर तत्काल उस स्टे को वैकेट करायें।

श्री टंकराम वर्मा :- माननीय सभापति महोदय, वसूली की प्रक्रिया अभी जारी है और जो लोग इसमें लिप्त थे, चाहे वह राजस्व विभाग के हो, चाहे जल संसाधन विभाग के हो, जो इसमें पूर्णतः दोषी पाये गये हैं, उनको निलंबित किया गया है और यह जो विषय है।

सभापति महोदय :- प्रश्नकाल समाप्त।

(प्रश्नकाल समाप्त)

समय : 12.00 बजे

सदन को सूचना

भोजन अवकाश का स्थगन एवं आय-व्ययक के उपस्थापन की सूचना

सभापति महोदय :- आज भोजन अवकाश नहीं होगा। मैं समझता हूं कि सदन सहमत है।

(सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई)

सभापति महोदय :- भोजन की व्यवस्था माननीय श्री ओ.पी. चौधरी, वित्त मंत्री की ओर से माननीय सदस्यों के लिए लॉबी स्थित कक्ष में, पत्रकारों के लिए प्रथम तल में तथा विधान सभा सचिवालय के अधिकारी-कर्मचारी, स्टॉफ एवं अन्य संबंधितों हेतु निर्धारित स्थल पर की गई है। कृपया सुविधानुसार भोजन ग्रहण करें।

वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक का उपस्थापन आज मध्यान्ह 12.30 बजे माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा किया जायेगा। अत: सभा की कार्यवाही मध्यान्ह 12.30 बजे तक के लिये स्थगित।

(सभा की कार्यवाही अपराह्न 12.01 से 12.31 बजे तक स्थगित रही)

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

समय: 12.31 बजे

(सभापति महोदय (श्री धर्मजीत सिंह) पीठासीन हुए)

<u>पृच्छा</u>

संसदीय कार्यमंत्री (श्री केदार कश्यप) :- माननीय सभापति महोदय, नई विधान सभा में हमारा पहला बजट प्रस्तुत होगा। (मेजों की थपथपाहट) हमारे युवा मंत्री, जो वित्त का प्रभार देख रहे हैं, उनके माध्यम से बजट प्रस्तुत किया जाएगा। यह बजट छत्तीसगढ़ प्रदेश की रजत जयंती के अवसर पर प्रस्तुत होगा, इसके लिए भी हम उनको बधाई देते हैं। (मेजों की थपथपाहट)

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरणदास महंत) :- माननीय सभापति महोदय, अभी वित्त मंत्री जी नहीं आये है।

श्री रामविचार नेताम :- आ गये, आ गये।

डॉ. चरणदास महंत :- संसदीय कार्यमंत्री जी, इसके पहले मूणत जी वित्त मंत्री जी को बुलाने के लिए गाना गा रहे थे और आप समय काटने के लिए बातें कर रहे हैं।

श्री केदार कश्यप :- सभापति महोदय, मैं बातें नहीं कर रहा हूं। आपको तो सराहना करनी चाहिए, वे हमारे युवा मंत्री हैं।

डॉ. चरणदास महंत :- कहां आये हैं ?

सभापति महोदय :- प्रतीक्षा कर लेंगे।

डॉ. चरणदास महंत :- कहां आये हैं, यह बताईये न ?

सभापति महोदय :- आप प्रतीक्षा कर लीजिए। वित्त मंत्री जी आ रहे हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी के बोलने के लिए यह सबसे अच्छा अवसर है। ऐसे ही अवसर में माननीय नेता प्रतिपक्ष जी मुखर रहते हैं।

अप्रमाणित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री भूपेश बघेल :- सभापति महोदय, इनके वित्तीय प्रबंधन का क्या होगा जो समय का प्रबंधन नहीं कर पा रहे हैं। (हंसी)

श्री रामविचार नेताम :- आप चिंता मत करिये, ऐसा प्रबंधन होगा कि आपका यहां से भागना मुश्किल हो जायेगा।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- सभापति महोदय, दो साल में तो कुछ हुआ ही नहीं है।

श्री भूपेश बघेल :- रामविचार जी, सदन में समय का बहुत महत्व होता है। अभी 12.33 बज गये हैं। आप समय में बजट प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं तो काम क्या करेंगे ? वित्त मंत्री जी दौड़ते-भागते पहुंच रहे हैं।

श्री रामकुमार यादव :- सभापति महोदय, बजट में कुछ है ही नहीं तो राजेश मूणत जी गाना नहीं गायेंगे तो क्या नाचेंगे ?

श्री रामविचार नेताम :- सभापति महोदय, आसंदी की अनुमति से..।

सभापति महोदय :- आप बैठिये।

श्री रामविचार नेताम :- सभापति महोदय, मैं आपको ही बधाई देने खड़ा हो रहा हूं।

श्री रामकुमार यादव :- सभापति महोदय, पहले ज्ञान, फिर गति और फिर दुर्गति।

श्री रामविचार नेताम :- सभापति महोदय, आज इस रजत जयंती वर्ष में आपको हमारी अध्यक्षता करने का वैकल्पिक अवसर मिला है। आपको बहुत-बहुत बधाई।

सभापति महोदय :- आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति महोदय, हमारे नियम प्रक्रिया में वैकल्पिक अध्यक्ष की कोई व्यवस्था नहीं है।

सभापति महोदय :- मैं अभी सभापति के रूप में हूं। श्री ओ.पी. चौधरी साहब। (मेजों की थपथपाहट)

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

समय: 12.34 बजे

<u>वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक का उपस्थापन</u>

वित्त मंत्री (श्री ओ.पी. चौधरी) :- माननीय सभापति महोदय,

ना चंदन से न कुमकुम से,
श्रृंगार करा कर आया हूं।
ना रोली से ना वंदन से,
मस्तक सजा कर आया हूं।
स्वयं ईश्वर भी जो कामना करें,
वह सौभाग्य जगा कर आया हूं।
अपने छत्तीसगढ़ की माटी से,
मैं तिलक लगाकर आया हूं। (मेजों की थपथपाहट)

सभापति महोदय, मैं धन्य हूं कि प्रदेश के "विकास की गंगोत्री" में जो नवनिर्मित विधान सभा है, जिसका लोकार्पण देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के द्वारा किया गया, मुझे हमारी सरकार का तीसरा बजट प्रस्तुत करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता-जनार्दन के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने हम पर भरोसा किया तथा प्रदेश की बागडोर हमारे हाथों में सौंपी। मैं इन 3 करोड़ भाई-बहनों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि उनके विश्वास की कसौटी पर हम खरा उतरेंगे और छत्तीसगढ़ को नई ऊंचाई तक पहुंचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। (मेजों की थपथपाहट)

विकसित छत्तीसगढ़ 2047 हमारा दीर्घकालिक लक्ष्य है, जिसकी प्राप्ति के लिये हमने 2030 तक के मध्यकालिक लक्ष्य को भी निर्धारित किया है, हम एक स्पष्ट रोड-मैप के साथ इस ओर आगे बढ़ रहे हैं। इसी पथ पर हमारा प्रत्येक बजट आगे बढ़ता हुआ एक-एक कदम है।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

सभापति महोदय, हमारे विकास यात्रा का केन्द्र बिन्दु GYAN रहा है, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी जिसके उत्थान के लिये GATI की रणनीति पिछले बजट में अपनाई गई थी तथा GYAN के कल्याण के लिये इस बार हमारे बजट का थीम SANKALP है, (मेजों की थपथपाहट) जो कि जनता-जनार्दन के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को, निष्ठा को, समर्पण और दृढ़संकल्प को रेखांकित करता है।

सभापति महोदय, कोई भी लक्ष्य पूरा होता है संकल्प से; क्षमता कम या थोड़ी ज्यादा हो लेकिन यदि दृढ़ इरादा हो, संकल्प मजबूत हो, तो कोई भी लक्ष्य संकल्पवान के सामने नतमस्तक हो जाता है। (मेजों की थपथपाहट)

सभापति महोदय, SANKALP का आशय है :-

S - समावेशी विकास

A - अधोसरंचना

N - निवेश

K - कुशल मानव संसाधन

A - अन्त्योदय

L - लाइवलीहुड

P - पॉलिसी से परिणाम तक (मेजों की थपथपाहट)

सभापति महोदय, अब मैं SANKALP थीम के "S" अर्थात समावेशी विकास की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा।

सभापति महोदय, हमारे प्रदेश में विष्णुराज है। साय सरकार समावेशी, सर्वस्पर्शी, सर्वव्यापक एवं सर्वग्राही होने के लिये दृढ़संकल्पित है। हमारा लक्ष्य न केवल तेजी से विकास करना है, बल्कि इस बात का भी ध्यान रखना है कि विकास की इस दौड़ में समाज का कोई भी वर्ग या प्रदेश का कोई भी अंचल पीछे न रह जाये।

सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ ने अपनी विकास यात्रा में कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय कीर्तिमान स्थापित किये हैं। 5 हजार करोड़ के बजट से शुरू हुआ यह सफर, आज 35 गुना

शैक्षणिक/प्रकाशन के लिए नहीं

बढ़कर 1 लाख 72 हजार करोड़ का आकार ले रहा है। (मेजों की थपथपाहट) और इस सफर में राज्य के हर व्यक्ति, गरीब, युवा, अन्नदाता, महिला, उद्यमी सबका योगदान रहा है।

सभापति महोदय, समावेशी विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू तुलनात्मक रूप से पीछे रह गये क्षेत्रों का विकास भी होता है। हमने सदैव यह प्रयास किया है कि राज्य के दुरस्थ, ग्रामीण एवं वनांचल क्षेत्र भी, विकास-पथ पर मैदानी क्षेत्रों से कंधे से कंधा मिलाकर चलें। इस दृष्टि से हमारे प्रदेश में बस्तर एवं सरगुजा अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाते हैं।

बस्तर एवं सरगुजा :-

सभापति महोदय, जब हम बस्तर की बात करते हैं तो उसके प्राकृतिक सौंदर्य या सांस्कृतिक वैभव के साथ ही उसके इतिहास के अंधेरे अध्याय का भी स्मरण हो जाता है जिससे होकर यह अंचल गुजरा है।

दंतेवाड़ा में कलेक्टर रहते हुए मैंने स्वयं देखा कि कैसे स्कूल, हॉस्पिटल, छात्रावास, बैंक, सरकारी कार्यालयों को तबाह कर दिया गया था और वहां के लोगों के सपनों को, आकांक्षाओं को एक विध्वंशकारी नकारात्मक विचारधारा के पैरों तले कुचल देने का दुष्प्रयास किया गया था। नक्सलवाद का यह दौर केवल भौतिक विनाश का नहीं, बल्कि विश्वास के क्षरण का भी दौर था।

सभापति महोदय, बस्तर में नक्सलवाद से मुक्ति किसी की भी कल्पनाओं से परे थी, लेकिन नये भारत के लौहपुरूष देश के माननीय गृहमंत्री श्री अमित शाह जी ने मार्च 2026 की तारीख देकर मार्च 2026 तक नक्सलवाद को समाप्त करने का संकल्प लिया और इसे करके दिखा रहे हैं। (मेजों की थपथपाहट)

श्री भूपेश बघेल :- मतलब 31 मार्च तक पैरामिलिट्री फोर्स वापस हो जायेगी?

श्री ओ.पी. चौधरी :- अब जब नक्सलवाद का सूर्यास्त हो रहा है और बस्तर की पावन धरती शांति, पुनर्निर्माण और भरोसे की ओर लौट रही है। ऐसे में हमारा कर्तव्य है कि हम क्षेत्रीय विषमताओं को समाप्त करते हुए बस्तर के विकास पर अपने प्रयासों को केन्द्रित करें। विकास का यही मॉडल सच्चे अर्थों में समावेशी विकास होगा।

सभापति महोदय, बस्तर के उत्थान के प्रति हमारी संकल्पबद्धता को इन पंक्तियों के साथ मैं दोहराना चाहूंगा-

इस माटी के संस्कारों ने,

गुण्डाधुर को जन्म दिया था,

इन्द्रावती का पानी तो,

श्री राम ने भी पीया था,

प्रण करो मॉ दंतेश्वरी का,

आंगन फिर खुशहाल करेंगे,

इस झूठी विचारधारा को नकार,

मुख्यधारा मैं विश्वास करेंगे। (मेजों की थपथपाहट)

माननीय सभापति महोदय, हमारी सरकार बस्तर ओलम्पिक और बस्तर पंडुम जैसे आयोजन कर रही है। इन आयोजनों से लाखों लोग मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं और नक्सलवाद के विध्वंसकारी मार्ग को छोड़कर राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे रहे हैं । (मेजों की थपथपाहट) बस्तर ओलम्पिक के आयोजन से हमारे वनांचल के युवाओं से जो प्रतिसाद मिला उससे प्रेरित होकर हम सरगुजा ओलम्पिक का भी आयोजन कर रहे हैं । (मेजों की थपथपाहट) बस्तर-सरगुजा ओलम्पिक की निरंतरता को बनाए रखने के लिए हमने बजट में इनके लिए 5-5 करोड़ रूपये का प्रावधान किया है । माननीय सभापति महोदय, दंतेवाड़ा में पहली बार Education City की परिकल्पना की गई थी । जहां से आज बच्चे Medical एवं Engineering जैसी प्रवेश परीक्षाएं पास करके प्रतिष्ठित संस्थानों में दाखिला प्राप्त कर रहे हैं। इसी अनुभव से प्रेरित होकर हम नक्सलवाद के गढ़ कहे जाने वाले अबूझमाढ़ एवं जगरगुंडा में Education City की स्थापना करने जा रहे हैं, जिससे भावी पीढ़ी के लिए आकांक्षी से अग्रणी होने का मार्ग प्रशस्त होगा। (मेजों की थपथपाहट) जो जगह नक्सलियों का गढ़ हुआ करता था अब वह शिक्षा के केंद्र का पर्याय बनेगा । बस्तर के युवाओं के सिर पर गौर-सींग भी दिखेगा और गले में स्टेथोस्कोप भी दिखेगा । हमने दोनों Education City के लिए 100 करोड़ रूपये का प्रारंभिक प्रावधान किया है । (मेजों की थपथपाहट) Education City में प्राथमिक शाला से लेकर उच्चतर माध्यमिक शाला, आई.टी.आई., प्री मैट्रिक एवं Post मैट्रिक बालक-बालिका छात्रावास, शिक्षक आवास इत्यादि स्थापित किया जाएगा। एक Ecosystem Develop किया जाएगा । यह महज कुछ संस्थानों का समुच्चय मात्र नहीं होगा बल्कि प्रेरणा का एक बड़ा केंद्र बनेगा । मुख्यधारा से जुड़कर कैसे अपनी ज़िंदगी को बदला जा

सकता है, इसका यह एक बड़ा उदाहरण प्रस्तुत करेगा। अबूझमाड़ और जगरगुंडा से आदिवासी भाई-बहनों की लगाई गयी छलांग आने वाले दशकों में, रायपुर या दिल्ली तक नहीं रूकेगी बल्कि बस्तर का युवा अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक अपनी दहाड़ मारेगा । (मेजों की थपथपाहट) आज कुछ लोगों को यह महज एक सपना लग सकता है मगर लोकतंत्र के प्रदेश के इस सबसे बड़े मंदिर में खड़ा होकर पूरे विश्वास के साथ मैं इसे कहने का साहस कर पा रहा हूं । महोदय, एक समय था जब बस्तर-सरगुजा नेटवर्क, टेलीकॉम नेटवर्क, Banking Network सभी के लिए मोहताज हुआ करता था लेकिन हमने 2 वर्षों में बस्तर के जगरगुंडा, पानीडोबीर, ओरछा, पामेड़, किस्टाराम तथा सरगुजा के डिंडो एवं आरा जैसी जगहों पर प्रयास कर Bank Branch खुलवाए । केंद्र सरकार ने Digital भारत निधि योजना के तहत राज्य में 500 मोबाईल टावरों की स्वीकृति प्रदान की है, जिसका सबसे ज़्यादा लाभ बस्तर और सरगुजा अंचल को मिलने वाला है। (मेजों की थपथपाहट) सभापति महोदय, बस्तर में विश्वसनीय Internet सेवा बनाए रखने के लिए बस्तरनेट परियोजना के तहत बजट में 5 करोड़ रूपये का अतिरिक्त प्रावधान भी किया गया है।

अध्यक्षीय दीर्घा में अतिथि

श्री बृजमोहन अग्रवाल, सांसद एवं श्रीमती रूप कुमारी चौधरी, सांसद

सभापति महोदय :- अध्यक्षीय दीर्घा में माननीय श्री बृजमोहन अग्रवाल, सांसद एवं श्रीमती रूप कुमारी चौधरी, सांसद उपस्थित हैं। मैं सदन की ओर से उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। (मेजों की थपथपाहट)

वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक का उपस्थापन (क्रमश:)

श्री ओ.पी. चौधरी :- माननीय सभापति महोदय, बस्तर और सरगुजा दोनों ही संभाग भौगोलिक दृष्टि से काफी बड़े हैं तथा आबादी का घनत्व कम होने से यहां Transport की सुविधाएं पर्याप्त नहीं हैं । हमने पिछले बजट में यह वादा किया था कि हम इस समस्या का समाधान करेंगे । आज मुख्यमंत्री बस योजना अंतर्गत लगभग 70 बसों के परिचालन से बस्तर के पूवर्ती, बुर्कापाल, भेज्जी और पामेड़ तथा सरगुजा के चंपा, अबीरा, डूभापानी, मड़कडोल जैसे

स्थानों के रहवासी बस सेवा का लाभ उठा पा रहे हैं। (मेजों की थपथपाहट) इस योजना हेतु 10 करोड़ रूपये का इस बजट में भी प्रावधान किया गया है । (मेजों की थपथपाहट) माननीय सभापति महोदय, भय के कारण जिस बस्तर में जाने से लोग परहेज करते थे, आज उसी बस्तर के चित्रकोट, तीरथगढ़, धुड़मारास, टाटामारी, दोड़काल इत्यादि अनेक स्थान आकर्षण के केंद्र बन रहे हैं । हमारी सरकार के प्रयास से आज बस्तर टूरिज्म हब के रूप में विकसित हो रहा है । हमने पिछले बजट भाषण में छत्तीसगढ़ Home Stay Policy लाने का वायदा किया था, जिसे अमल में लाया जा चुका है। इसका सर्वाधिक लाभ बस्तर-सरगुजा को होगा। इसके लिए भी बजट में 10 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है । (मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हमने पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया है । बस्तर एवं सरगुजा क्षेत्र में Hotel इत्यादि क्षेत्र में निवेश करने पर औद्योगिक नीति अंतर्गत अतिरिक्त लाभ मिलेंगे । हमारी नीति का लाभ स्थानीय लोगों को भी मिले इसके लिये पात्रता हेतु निवेश के मापदंड भी कम रखे गए हैं।

सरगुजा अंचल के लिए छत्तीसगढ़ का शिमला कहे जाने वाले, मैनपाट हेतु 5 करोड़ तथा जशपुर के कोतेबिरा में धार्मिक पर्यटन हेतु भी बजटीय प्रावधान किया गया है। बस्तर एवं सरगुजा के नैसर्गिक सौंदर्य, मेला, मड़ई, उत्सव, धार्मिक स्थलों की राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान बने, इसके लिए देश के प्रतिष्ठित tour operator एवं social media influencers की कार्यशाला आयोजित करने के लिए भी बजट प्रावधान किया गया है।

सभापति महोदय, बस्तर और सरगुजा में आजीविका के अवसर सृजित करने के लिए हम एक नई सोच के साथ नया प्रयास करने जा रहे हैं। बस्तर और सरगुजा में अलाईड कृषि सेक्टर, एग्रो एवं एग्रोफॉरेस्ट प्रोसेसिंग जैसे रोज़गार आधारित सेक्टर्स में हम विशेष focus करेंगे, जो स्थानीय जीवन से सीधे जुड़े हुए हैं, वहाँ rice mill, poultry farm, बकरी पालन farm, वनोपज संस्करण जैसी गतिविधियों के लिए बड़े केंद्र खुलें, इसके लिए हम योजना ला रहे हैं। इससे न केवल इन क्षेत्रों की उत्पादन क्षमता बढ़ेगी बल्कि बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। इस योजना अंतर्गत हम निवेशकों को निवेश अनुदान देंगे, जिसके लिए इस budget में सौ करोड़ का प्रावधान किया गया है।

इसके साथ साथ व्यक्तिमूलक आजीविका के अवसरों को व्यापक करने हेतु छोटी इकाइयों में भी बकरी पालन, सुकर पालन और मधुमक्खी पालन को प्रोत्साहित किया जाएगा, जिसके लिए कुल 15 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

सभापति महोदय, हमने स्वास्थ्य सुविधाओं के स्तर में उन्नयन करने के लिए जगदलपुर में सुपर स्पेशिलिटी हॉस्पिटल की शुरूआत की है तथा बस्तर एवं सरगुजा में स्वास्थ्य सुविधाओं का और विस्तार हो, इसके लिए कुनकुरी, मनेन्द्रगढ़ एवं दंतेवाड़ा में मेडिकल कॉलेज प्रारंभ करने का निर्णय लिया है। (मेजों की थपथपाहट) जिनके संचालन के लिए 50 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है।

सभापति महोदय, बस्तर एवं सरगुजा में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने के लिए हम डॉक्टर एवं विशेषज्ञों की भर्ती करेंगे।

सभापति महोदय, हम बस्तर और सरगुजा क्षेत्र में रोड नेटवर्क को बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास कर रहे हैं। जिससे कि दूर-दराज के अंदरूनी सड़कों को NH या State Highway से कनेक्टिविटी मिल सके। बजट में शामिल:-

- नारायणपुर के जाटलूर से इतामपारा-भैरमगढ़-28 करोड़
- नारायणपुर के कुतुल से ओरछा-20 करोड़
- बीजापुर के इतुलवाड़ा से तुमनार-20 करोड़
- बीजापुर के चेरपाल से गुटुमपाली-20 करोड़
- दंतेवाड़ा के मुचनार से बारसूर- 9 करोड़
- कांकेर के ज्ञानी ढाबा चौक से दुधावा-बिरगुड़ी-11 करोड़
- सुकमा के कुन्ना से मिचवार पुल-7 करोड़
- एन.एच.-43 लुचकी घाट से एन.एच.-343 रामानुजगंज- 7 करोड़
- बलरामपुर-रामानुजगंज रिंग रोड-10 करोड़
- जशपुर के आगडीह नीमगांव-8 करोड़
- जशपुर के पण्ड्रापाठ से भड़िया-12 करोड़
- भैयाथान के तेलगांव से बुंदिया चौक-7 करोड़
- कोरिया से चिरमिरी 10 करोड़ जैसे सैकड़ों सड़कों का हम निर्माण करेंगे (मेजों की थपथपाहट)

रोड नेटवर्क को बढ़ाने के साथ-साथ सिंचाई, नहर, बांध जैसी संरचनाएं जो आर्थिक समृद्धि एवं खुशहाली के प्रतीक होते हैं, इनके लिए भी बजट में विशेष प्रावधान किया गया है।

सभापति महोदय, बस्तर की प्राणदायिनी इन्द्रावती के जल का उपयोग आज तक उपयुक्त संरचनाओं के अभाव में अपनी क्षमताओं के अनुकूल नहीं हो पाया है। हमने इन्द्रावती पर

मटनार और देऊरगांव में 2024 करोड़ की लागत से बैराज निर्माण के साथ 68 किलोमीटर नहर की स्वीकृति प्रदान की है, जिससे बस्तर में लगभग 32 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा का विस्तार होगा, (मेजों की थपथपाहट) बस्तर अपनी हरियाली, उन्नति और समृद्धि की नई ऊंचाईयों को छुएगा। साथ ही इस बजट में

- कांकेर में मेढकी बैराज निर्माण-400 करोड़
- बीजापुर में मट्टीमारका डायवर्सन योजना-110 करोड़
- बस्तर में महादेवघाट बैराज निर्माण-100 करोड़
- जशपुर के पंचमशाला एनीकट में लिफ्ट इरिगेशन-60 करोड़
- अंबिकापुर के सरगंवा में बैराज निर्माण-20 करोड़
- बैकुण्ठपुर में गेज डैम उन्नयन-10 करोड़ के कार्य शामिल हैं। जैसे अनेक प्रावधान बस्तर एवं सरगुजा की दृष्टि से इस बजट में शामिल हैं। (मेजों की थपथपाहट)

सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री के घोषणा के अनुरूप सरगुजा-जशपुर विकास प्राधिकरण की राशि 50 करोड़ से बढ़ाकर 75 करोड़ तथा बस्तर विकास प्राधिकरण के लिए भी 75 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है। (मेजों की थपथपाहट)

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी एवं मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में बस्तर और सरगुजा का भाग्योदय हो रहा है और इन क्षेत्रों में, सभी तरह के नेटवर्क का विकास, खेल, स्वास्थ्य, शिक्षा के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं, वो सब हमारे समावेशी विकास के संकल्प का चित्रण करते हैं।

सभापति महोदय, समावेशी विकास के माध्यम से हम क्षेत्रीय असमानता को दूर करने के प्रयास के साथ-साथ समाज के सभी वर्गों को सम्मान, समान अवसर और संसाधन उपलब्ध कराने हेतु संकल्पित हैं।

महिला एवं बाल विकास :-

सभापति महोदय, हमने संकल्प पत्र में छत्तीसगढ़ की नारी शक्ति को महतारी वंदन योजना से जोड़करसामाजिक एवं आर्थिक पहचान दिलाने की बात कही थी। योजना अंतर्गत 70

लाख माताओं-बहनों को अभी तक 24 किश्तों में, 14 हजार करोड़ से अधिक की राशि हमारी सरकार ने जारी की है । बजट में इसके लिए 8,200 करोड़ का प्रावधान किया गया है ।

सभापति महोदय, लखपति दीदी योजना ने महिलाओं को आत्मनिर्भरता का जो मंच दिया है, उसमें छत्तीसगढ़ अग्रणी रहा है तथा लगभग 5 लाख बहनें आर्थिक तरक्की कर लखपति दीदी बन चुकी हैं। लखपति दीदियों के व्यावसायिक एवं आर्थिक अनुभव विस्तार हेतु एक नई योजना लखपति दीदी भ्रमण योजना के लिए भी बजटीय प्रावधान किया जा रहा है। इस योजना के माध्यम से लखपति दीदियों के लिए देश-प्रदेश के विभिन्न व्यावसायिक एवं आर्थिक केंद्रों के भ्रमण की व्यवस्था की जाएगी, साथ ही चूंकि, हमारी बहनों का धार्मिक भावनाओं से गहरा जुड़ाव होता है, इसलिए इन्हें शक्ति पीठों का भ्रमण भी कराया जाएगा।

सभापति महोदय, प्रदेश में 250 महतारी सदन बनाने के लिए भी बजट में 75 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

सभापति महोदय, समावेशी विकास वही है जो किशोरियों, नौनिहालों, धात्री माताओं एवं कुपोषित बच्चों को ममत्व भाव से स्पर्श करता है। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रदेश की आंगनबाड़ियों के संचालन हेतु 800 करोड़, पूरक पोषण आहार योजना हेतु 650 करोड़, पोषण अभियान एवं कुपोषण मुक्ति योजनाओं हेतु 235 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

हमने शहरी क्षेत्रों में 250 तथा ग्रामीण क्षेत्रों में अभिसरण के माध्यम से 500 आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण हेतु 42 करोड़ का प्रावधान किया है।

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत 120 करोड़ तथा मिशन वात्सल्य योजना के लिए 80 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

हमने संकल्प पत्र के अंतर्गत मोदी की गारंटी में बालिकाओं के जन्म होने पर उन्हें गरिमामयी आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने का वादा किया था। इस बजट में हम रानी दुर्गावती योजना प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से नोनी के 18 वर्ष पूरे होने पर उसे 1.5 लाख रूपये दिया जाएगा। इसके लिए 15 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा :-

सभापति महोदय, समावेशी समाज की परिकल्पना तब तक नहीं की जा सकती जब तक स्वास्थ्य सुविधाएं सभी वर्गों के लिए Available, Accessible एवं Affordable ना हो। हमने सदैव यह प्रयास किया है कि उच्च गुणवत्ता की स्वास्थ्य सुविधाएं बिना वित्तीय बोझ के जनता को उपलब्ध हों।

हम शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना के माध्यम से न केवल शासकीय अस्पताल बल्कि गैर शासकीय अस्पतालों में भी 5 लाख रूपये तक निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। इस योजना के लिए 1,500 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

अध्यक्ष महोदय, हमने 25 विकासखण्डों में डायलिसिस केन्द्र तथा 50 विकासखण्डों में जनऔषधि केन्द्र के लिए भी बजटीय प्रावधान किया है।

इसके अतिरिक्त, राज्य भर में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण के लिए हमने महत्वपूर्ण प्रावधान किये हैं जैसे :-

- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए 2,000 करोड़
- 25 से अधिक SHC, PHC तथा CHC के लिए भवन निर्माण
- 220 बिस्तर जिला चिकित्सालय, अम्बिकापुर तथा 200 बिस्तर जिला चिकित्सालय, धमतरी के लिए भवन निर्माण
- जीएनएम प्रशिक्षण केन्द्र दुर्ग, कोण्डागांव, जशपुर तथा रायपुर के भवनों का निर्माण
- रामनगर, रायपुर तथा कुण्डा, कबीरधाम के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में उन्नयन तथा भवन निर्माण
- 200 बिस्तर मातृ-शिशु अस्पताल कालीबाड़ी, रायपुर एवं 200 बिस्तर जिला अस्पताल चिरमिरी के लिए सेटअप

सभापति महोदय, प्रदेश में खाद्य पदार्थों एवं दवाईयों की शुद्धता और गुणवत्ता की जांच क्षमता बढ़ाने के लिए इंटीग्रेटेड खाद्य एवं औषधि परीक्षण लैब हेतु 25 करोड़ का प्रावधान भी किया गया है।

सभापति महोदय, हमने राजधानी रायपुर में प्रदेश के पहले होम्योपैथी कॉलेज के साथ-साथ-

अशासकीय/प्रकाशन के लिए नहीं

- राज्य कैंसर संस्थान बिलासपुर के लिए सेट-अप
- मेडिकल कॉलेज दंतेवाड़ा, मनेन्द्रगढ़, कबीरधाम, जांजगीर-चांपा एवं जशपुर के संचालन हेतु सेट-अप एवं
- नर्सिंग कॉलेज कांकेर, कोरबा, मनेन्द्रगढ़ एवं महासमुंद के लिए प्रावधान किया है।

एडवांस कार्डियक इंस्टीट्यूट मेकाहारा, रायपुर में उपकरण, बिस्तर एवं अन्य सुविधाओं के विस्तार तथा AI के उपयोग से उपचार इत्यादि के लिए 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

हमने मेडिकल कॉलेज रायपुर, मेडिकल कॉलेज राजनांदगांव, आयुर्वेदिक कॉलेज रायपुर में मेडिकल छात्र-छात्राओं एवं इंटर्न्स के लिए हॉस्टल निर्माण हेतु 35 करोड़ प्रावधान किया है। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत:-

- मितानिन कल्याण निधि के लिए 350 करोड़
- PM ABHIM के लिए 190 करोड़
- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए 183 करोड़
- राष्ट्रीय आयुष मिशन के लिए 120 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
-

सहकारिता विकास :-

सभापति महोदय, आपके नेतृत्व में भा.ज.पा. सरकार ने किसानों के लिए देश में सबसे पहले क्रांतिकारी कदम उठाते हुए ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने की योजना प्रारंभ की थी, जो आज तक किसानों के लिए अत्यंत लाभप्रद सिद्ध हो रही है। इस योजना के लिए हमने 300 करोड़ का प्रावधान किया है।

हमारी सरकार, सहकार की भावना को और समृद्ध करते हुए सहकारी समितियों के काम-काज में विविधता लाने के लिए, उन्हें **कॉमन सर्विस सेंटर (CSC)** के रूप में विकसित कर रही है।

सहकारी समितियों को स्वावलंबी और संसाधन पूर्ण करने के उद्देश्य से 50 नए गोदाम हेतु 150 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

अप्रकाशित/प्रकाशन के लिए नहीं

A - अधोसंरचना

सभापति महोदय, अब मै SANKALP थीम के दूसरे पड़ाव "A" अर्थात अधोसंरचना की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा।

अधोसंरचना आर्थिक विकास की नींव के साथ-साथ उसकी उत्प्रेरक भी होती है, इसलिए हमारी सरकार ने प्रत्येक बजट में अधोसंरचना को विशेष स्थान दिया है। छत्तीसगढ़ में रेल सुविधाओं के विस्तार के लिए आज लगभग 47 हजार करोड़ के कार्य हो रहे हैं, जो 2013-14 की तुलना में लगभग 24 गुना अधिक है। यह डबल इंजन की सरकार के कारण संभव हो पा रहा है।

यही नहीं, आज छत्तीसगढ़ में अनेक बड़े-बड़े इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जैसे कि रायपुर-रांची-धनबाद एक्सप्रेस-वे, रायपुर से विशाखापट्टनम एक्सप्रेस-वे, खरसिया से परमालकसा रेलवे लाईन, केंदरी में नया कोचिंग टर्मिनल, रायपुर से सारंगढ़-बिलाईगढ़ तक फोरलेन, कोरबा-अंबिकापुर नई रेल लाइन, डोंगरगढ़-कटघोरा रेल लाईन इत्यादि अगर आकार ले रहे हैं, तो यह केवल और केवल छत्तीसगढ़ की जनता के प्रति माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का स्नेह है।

लोक निर्माण :-

सभापति महोदय, अधोसंरचना के क्षेत्र में हम एक नई योजना द्रुतगामी सड़क संपर्क योजना इस बजट में लेकर आ रहे हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के आर्थिक केन्द्रों को जोड़ने वाली सड़कों का कम से कम 2-लेन सड़कों में उन्नयन करना है। इसमें – राजनांदगांव से गीदम, भनपुरी से दोरनापाल, शंकरगढ़ से सुहेला व्हाया कांसाबेल, कसडोल से गरियाबंद व्हाया बागबाहरा सहित हमारे छत्तीसगढ़ की कुल 36 सड़कें शामिल हैं, जिसके लिए 200 करोड़ का प्रारंभिक प्रावधान किया गया है।

समय : 1.00 बजे

श्री ओ.पी. चौधरी :- सभापति महोदय, हमारा राज्य भौगोलिक दृष्टिकोण से वृहद् है, आबादी का घनत्व कम है तथा काफी बड़ा क्षेत्र वनांचल, नदी-नाले, पहाड़ इत्यादि से आच्छादित है। इसके कारण अभी भी कुछ गांव बारहमासी सड़कों से कनेक्टेड नहीं है। कई बार हम अखबारों में स्कूली बच्चों को नाव से नदी- नाले पार करने की तस्वीरें देखते हैं। हमारी सरकार ने ऐसे

अप्रमाणित/प्रकाशन के लिए नहीं

206 गांवों को चिन्हांकित किया है, जिन्हें जोड़ने के लिए इस बजट में 50 करोड़ का शुरुआती प्रावधान भी हमने किया है। (मेजों की थपथपाहट)

सभापति महोदय, इस वर्ष लोक निर्माण विभाग अंतर्गत लगभग 9,450 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है, (मेजों की थपथपाहट) जिसमें बिलासपुर एवं दुर्ग संभाग के अनेकों महत्वपूर्ण अधोसंरचना जैसे -

- बिलासपुर के राजीव गांधी चौक से सीपत चौक फ्लाईओवर - 15 करोड़
- बिलासपुर के मेलनाडीह से मस्तुरीनगर तक सड़क - 30 करोड़
- मुंगेली के फास्टरपुर-झलियापुर सड़क - 10 करोड़
- बिलासपुर के उसलापुर गीता पैलेस से अमेरी अंडर ब्रिज - 4 करोड़
- मुंगेली के बिटकुली से भटगांव सेंवार पहुँच मार्ग - 4 करोड़
- बिलासपुर के चकरभाटा बस्ती से धमनी पहुँच मार्ग - 2 करोड़
- कवर्धा से खम्हरिया मार्ग उन्नयन एवं चौड़ीकरण - 23 करोड़
- दुर्ग के महाराजा चौक में फ्लाईओवर - 3 करोड़
- बालौद-राजनांदगांव से अंतागढ़ कच्चे मार्ग - 24 करोड़ के कार्य बजट में शामिल हैं।
  इसके अलावा रायपुर संभाग के कुछ प्रमुख सड़क -

- महासमुंद के झलप-रायतुम-अचानकपुर मार्ग - 15 करोड़
- बलौदाबाजार-भाटापारा सड़क चौड़ीकरण - 25 करोड़
- धमतरी-नगरी-बोरई सड़क - 20 करोड़
- धमतरी के पुरूर गंगरेल सड़क चौड़ीकरण - 11 करोड़ भी शामिल हैं।

सभापति महोदय, रायपुर राजधानी होने के साथ-साथ आर्थिक सांस्कृतिक शैक्षणिक तथा प्रशासनिक गतिविधियों का पूर्णतः केंद्र बिंदु है, जिसके कारण यहां ट्रैफिक व्यवस्था एक स्वाभाविक चुनौती है। इस चुनौती से निपटने के लिए हमने रायपुर के लिए राजधानी पैकेज के तहत महत्वपूर्ण सड़कों :-

- मोवा से सेरीखेड़ी - 100 करोड़
- लाभांडी से सड्डू - 100 करोड़
- भनपुरी चौक फ्लाईओवर - 20 करोड़
- मोवा से दलदल सिवनी ब्रिज तक सड़क - 8 करोड़

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

- शारदा चौक से तात्यापारा चौक फ्लाईओवर - 10 करोड़
- वीआईपी रोड पर श्रीराम मंदिर के पास फुट ओवरब्रिज - 7 करोड़
- अशोका रतन से कोया कचना में वृहद पुल - 8 करोड़ जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाएं शामिल की गई हैं। (मेजों की थपथपाहट)

साथ ही रायपुर शहर में विद्युत लाइनों को अंडरग्राउंड किए जाने के लिए 100 करोड़ रुपये का विशेष प्रावधान किया गया है। (मेजों की थपथपाहट) रायपुर में ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने हेतु भी जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन एवं नगर निगम मिलकर कार्य करेंगे एवं इसके लिए सरकार से वित्तीय रूप से अतिरिक्त फंड भी प्रदाय किया जाएगा।

नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण :-

सभापति महोदय, नवा रायपुर अटल नगर आधुनिक अधोसंरचना, नागरिक सेवा तथा इन्वेस्टर फ्रेंडली शहर होने के कारण देश में तेजी से उभर रहा है। नवा रायपुर में आज मेडिसिटी, एडुसिटी, स्पोर्ट्स सिटी, फिल्मसिटी जैसे कॉन्सेप्ट के कारण यहां शासकीय निवेश के साथ-साथ निजी निवेश भी आ रहे हैं, जिसमें - AI डेटा सेंटर, सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाई जैसे आधुनिक तकनीक संबंधी निवेश के साथ-साथ बॉम्बे हॉस्पिटल तथा नरसी मोंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज जैसे प्रतिष्ठित संस्थान भी शामिल हैं।

नवा रायपुर की अधोसंरचना को और मजबूत करने के लिए ऑप्टिकल फाईबर केबल सुविधा हेतु 10 करोड़, विद्युत अधोसंरचना हेतु 35 करोड़, IIIT में अधोसंरचना विकास हेतु 20 करोड़ एवं सत्य साईं संजीवनी अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं हेतु अधोसंरचना विस्तार हेतु 25 करोड़ का प्रावधान इस बजट में है।

सभापति महोदय, हमने अपने संकल्प पत्र में तथा पिछले बजट भाषण में स्टेट कैपिटल रीजन बनाने की घोषणा की थी, जिसे मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में पूरा किया गया है। महोदय, बढ़ती हुई आबादी एवं शहरीकरण के कारण आवश्यकता है कि हमारी प्लानिंग वृहद स्तर पर हो, जहां न केवल रायपुर बल्कि इसके आस-पास के क्षेत्रों को भी शामिल कर, इकोनॉमिक मास्टर प्लान बने। हमारे राज्य राजधानी क्षेत्र में छत्तीसगढ़ के साथ-साथ पूरे मध्य भारत का फुटप्रिंट होगा, इसलिए SCR में क्षेत्रीय स्तर की परियोजनाओं की प्लानिंग एवं क्रियान्वयन के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए शुरूआती बजटीय प्रावधान के रूप में 68 करोड़ का प्रावधान किया गया है। (मेजों की थपथपाहट)

सभापति महोदय, हमने पिछले बजट में SCR में मेट्रो रेल परियोजना की बात की थी, जिसके संबंध में मैं अवगत कराना चाहूँगा कि हमने सर्वे के लिए एजेंसी का निर्धारण कर लिया है तथा मेट्रो रेल परियोजना के काम को आगे बढ़ाने के लिए बजटीय प्रावधान भी किया गया है।

जल संसाधन :-

सभापति महोदय, भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सदैव नदियों को जोड़ने पर जोर दिया था और इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए हमने सिकासार-कोडार नहर लिंकिंग परियोजना का अत्याधुनिक लिडार सर्वे कार्य पूर्ण किया है तथा इस परियोजना के लिए 3,047 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। (मेजों की थपथपाहट) इस परियोजना का लाभ मैदानी छत्तीसगढ़ को प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त महानदी पर मोहमेला-सिरपुर बैराज निर्माण हेतु 690 करोड़ की स्वीकृति भी दी गई है।

जल संसाधन विभाग के पूंजीगत प्रावधान में ऐतिहासिक वृद्धि करते हुए 3,500 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी :-

सभापति महोदय, सिंचाई व्यवस्था के साथ-साथ हमने शुद्ध पेयजल उपलब्धता के लिए भी आवश्यक प्रावधान किये हैं।

धमतरी जिले के ग्राम सिर्री तथा कबीरधाम जिले के सुतियापाट जलाशय से ठाठापुर तक 54 गांवों में एवं भीरा क्षीरपानी जलाशय से 66 गांवों में पेयजल आपूर्ति किए जाने हेतु बजटीय प्रावधान किया गया है।

इस बजट में ओ. एण्ड एम. की नई पॉलिसी के तहत लोक स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत पेयजल सुविधाओं के संचालन एवं संधारण के लिए 50 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। (मेजों की थपथपाहट)

विमानन :-

सभापति महोदय, आज छत्तीसगढ़ में चहुंमुखी विकास हो रहा है और हमारा राज्य आर्थिक गतिविधियों का केन्द्र बनने के साथ-साथ मेडिकल टूरिज्म, इको टूरिज्म, कॉन्फ्रेंस

अप्रकाशित/प्रकाशन के लिए नहीं

डेस्टिनेशन तथा वेडिंग डेस्टिनेशन के पसंदीदा स्थान के रूप में उभर रहा है। इन क्षेत्रों के भावी विकास में हवाई सेवाओं की उपलब्धता का बहुत बड़ा योगदान रहेगा।

सभापति महोदय, क्षेत्रीय आकांक्षाओं को सम्मान देते हुए हम यह प्रयास कर रहे हैं कि बिलासपुर, जगदलपुर एवं अंबिकापुर एयरपोर्ट को विकसित करने में राज्य की ओर से अधोसंरचना में कोई कमी न रह जाए, इसके लिए 80 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। साथ ही कोरबा में भी एयरस्ट्रिप के उन्नयन हेतु बजटीय प्रावधान किया गया है। (मेजों की थपथपाहट)

सभापति महोदय, हमारा प्रयास है कि बिलासपुर, जगदलपुर एवं अंबिकापुर की एयर कनेक्टिविटी और व्यापक हो। हमारी कोशिश है कि बिलासपुर से नियमित फ्लाइट की संख्या और बढ़े एवं अंबिकापुर से भी अगले वित्तीय वर्ष में नियमित फ्लाइट एवं जगदलपुर से रायपुर के बीच भी फ्लाइट की पुनः शुरुआत हो।

इन प्रयासों को सार्थक करने के लिए हम राज्य सरकार की एक नयी योजना CG VAYU (Chhattisgarh Viability Assistance for Yatri Udaan) प्रावधानित कर रहे हैं। (मेजों की थपथपाहट) योजना अंतर्गत एयरलाईन्स को Viability Gap Funding हेतु इस बजट में 30 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। (मेजों की थपथपाहट)

ऊर्जा :-

सभापति महोदय, विकास की कहानी ऊर्जा की स्याही से लिखी जाती है। ऊर्जा केवल एक सेक्टर मात्र नहीं है, बल्कि यह समस्त मानव गतिविधियों का केन्द्र बिंदु है।

यह हमारे लिए गर्व का विषय है कि छत्तीसगढ़ देश का पॉवर हब है तथा राष्ट्रीय स्तर पर ऊर्जा आपूर्ति में अहम भूमिका निभा रहा है। इसमें अग्रणी बने रहने के लिए निवेश के लिए माकूल माहौल बनाने के उद्देश्य से हमने माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में एनर्जी समिट का आयोजन किया, जिसमें 3 लाख 50 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। (मेजों की थपथपाहट)

इस बजट में मुख्यमंत्री विद्युत अधोसंरचना विकास के अंतर्गत 33/11 KV के 90 नए उपकेंद्र सहित अन्य कार्यों हेतु 100 करोड़ का बजटीय प्रावधान किया गया है।

अधोषित/प्रकाशन के लिए नहीं

सार्वजनिक स्थानों तथा चौक-चौराहों में सोलर हाईमास्ट की स्थापना के लिए 35 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

क्रेडा के कार्य विस्तार को देखते हुए नए भवन के निर्माण के लिए 10 करोड़ का प्रावधान है।

घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली बिल में राहत देने के लिए 800 करोड़ का प्रावधान है।

बी.पी.एल. उपभोक्ताओं को निःशुल्क बिजली देने के लिए 354 करोड़ का प्रावधान है।

नियद नेल्लानार योजना में विद्युतीकरण हेतु भी 50 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान है।

सभापति महोदय, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना अंतर्गत केन्द्रीय अनुदान के साथ राज्य सरकार के अतिरिक्त अनुदान हेतु 400 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। (मेजों की थपथपाहट)

नगरीय प्रशासन :-

सभापति महोदय, नगरीय विकास में अधोसंरचना जैसे कि सड़कें, जलापूर्ति, सीवरेज, आवास और परिवहन को आधुनिक एवं सुदृढ़ करना, हमारे लिए एक अवसर भी है और चुनौती भी है।

सभापति महोदय, नगरीय निकायों में होने वाला विकास भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किया जाना आवश्यक है, जिससे कि हमारे शहर नियोजित एवं व्यवस्थित हो सकें। पिछले बजट में नगर निगमों में विकास के लिए हमने मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना प्रारंभ की थी।

इस बजट में नगरपालिकाओं एवं नगर पंचायतों के समग्र विकास के लिए नगरोत्थान योजना की तर्ज पर, एक नई योजना मुख्यमंत्री आदर्श शहर समृद्धि योजना प्रस्तावित है, जिसके लिये 200 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है।

(मेजों की थपथपाहट)

अप्रकाशित/प्रकाशन के लिए नहीं

इसके अतिरिक्त समस्त नगरीय निकायों में अधोसंरचना विस्तार के लिए 750 करोड़, नगरोत्थान योजना के लिये 450 करोड़, प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 शहरी हेतु 800 करोड़ तथा मिशन अमृत योजना अंतर्गत 512 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

(मेजों की थपथपाहट)

सभापति महोदय, युवाओं के द्वारा पिछले 2 वर्षों में हमारे द्वारा 33 नालंदा लाईब्रेरी स्वीकृत किये गये हैं। इस वर्ष तखतपुर, पण्डरिया, भाटापारा सहित 5 नालंदा लाइब्रेरी हेतु 22 करोड़ का प्रावधान किया गया है ।

(मेजों की थपथपाहट)

N - निवेश

सभापति महोदय, SANKALP थीम की अगली कड़ी "N" अर्थात निवेश है ।

छत्तीसगढ़ की आबादी का लगभग 60 प्रतिशत कार्यशील जनसंख्या की श्रेणी में आता है, इनके लिये रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकता है । वर्तमान में देखा जाये तो हमारी अर्थव्यवस्था में उद्योग क्षेत्र का लगभग 48 प्रतिशत और सेवा क्षेत्र का लगभग 35 प्रतिशत योगदान है । हमारा यह प्रयास है कि निवेश के माध्यम से विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तरह उद्योग एवं सेवा क्षेत्र का विस्तार हो, जिससे न केवल प्रत्यक्ष एवं औपचारिक रोजगार के अवसर सृजित होंगे, बल्कि अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन की भी असीम संभावनायें निर्मित होंगी।

हमारी औद्योगिक विकास नीति वर्ष 2024-30 रोजगार पर केन्द्रित है तथा विगत् वर्ष लगभग 1 हजार उद्योगों को उत्पादन प्रमाण पत्र जारी किया गया है तथा इन उद्योगों के द्वारा 8 हजार करोड़ से अधिक के निवेश के साथ-साथ 15 हजार से अधिक रोजगार के अवसर सृजित हुये हैं । धमतरी के कचना में 17 एकड़ क्षेत्र में प्रदेश की पहली चार-मंजिला प्लग-एण्ड-प्ले फैक्ट्री विकसित की जा रही है ।

सभापति महोदय, देश और दुनिया के निवेशकों को छत्तीसगढ़ में आकर्षित करने के लिये माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में रायपुर, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरू, अहमदाबाद और जापान के ओसाका तक इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसके परिणामस्वरूप लगभग 8 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

(मेजों की थपथपाहट)

औद्योगिक क्षेत्रों की वृद्धि करने हेतु इस वित्तीय वर्ष में मटिया (कसडोल), बिरकोनी (महासमुंद), छाती (धमतरी), बनगांव-बी (पत्थलगांव) सहित 23 औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना के लिये 250 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।

सभापति महोदय, ग्राम तूता नवा रायपुर अटल नगर में कन्वेंशन सह एग्जिबिशन सेंटर के निर्माण हेतु 25 करोड़, भिलाई में व्यावसायिक परिसर के निर्माण हेतु 10 करोड़, पटेवा राजनांदगांव में Electronic Manufacturing Cluster 2.0 के लिये 10 करोड, नवा रायपुर अटल नगर तथा राजनांदगांव में इंडस्ट्रियल फेसिलिटेशन कॉम्पलेक्स के लिये 20 करोड़ का प्रावधान किया गया है । पिछले बजट में हमने छत्तीसगढ़ चेंबर्स ऑफ कामर्स के भवन के लिये प्रावधान किया था तथा इस बजट में हमने छत्तीसगढ़ चेंबर्स ऑफ कामर्स के भवन के लिए प्रावधान किया गया है।

सभापति महोदय, निवेश को बढ़ावा देने के लिये Ease of Doing Business के तहत अनेकों सुधार जैसे Single Window System छत्तीसगढ़ जन विश्वास अधिनियम इत्यादि लाकर यह प्रयास किया गया है कि हम रेगुलेटर से ज्यादा फेसिलिटेटर की भूमिका में रहे।

हमने उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु उद्योगों की सब्सीडी हेतु प्रावधानित बजट में तीन गुना वृद्धि की है, इस बार अनुदान एवं प्रतिपूर्ति हेतु 750 करोड़ का प्रावधान रखा गया है । (मेजों की थपथपाहट) नवीन औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना हेतु लैंड बैंक तैयार करने के लिये 200 करोड़ रूपये का अतिरिक्त प्रावधान भी किया गया है।

(मेजों की थपथपाहट)

सभापति महोदय, वर्ष 2024-25 में उद्योग विभाग का बजट 648 करोड़ था जो बढ़कर इस वर्ष 1,750 करोड़ हो रहा है । (मेजों की थपथपाहट) इस तरह उद्योग विभाग के बजट में लगातार उत्तरोत्तर वृद्धि, निवेश प्रोत्साहन एवं रोजगार वृद्धि के प्रति हमारी सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।

खनिज साधन :-

सभापति महोदय, मौजूदा जिओ-पॉलिटिकल एवं जिओ इकोनॉमिक परिदृश्य में क्रिटिकल तथा स्ट्रैटेजिक मिनरल के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ अग्रणी भूमिका निभा सकता है, इसलिये नवीन क्षेत्र में संभावनाओं को तलाशने के लिये हम माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में NMET, ISM धनबाद एवं CIL जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं।

सभापति महोदय, प्रदेश में खान एवं खनिजों के ऑनलाईन एवं डिजिटाईज्ड प्रबन्धन हेतु खनिज ऑनलाईन 2.0 के लिये 35 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

सोनाखान भवन के उन्नयन एवं निर्माण हेतु 20 करोड़ रूपये का प्रावधान शामिल है।

K - कुशल मानव संसाधन

सभापति महोदय, अब मैं SANKALP थीम की अगली कड़ी "K" अर्थात कुशल मानव संसाधन के बारे में जिक्र करना चाहूंगा।

आज की प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था में विकास एवं रोजगार का आधार उद्योग, निवेश, अधोसंरचना के साथ-साथ कुशल एवं प्रशिक्षित मानव संसाधन होता है।

उच्च शिक्षा :-

सभापति महोदय, कुशल मानव संसाधन के लिए उच्च शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है, जहाँ छात्र अपनी रुचि, कौशल और टैलेंट के आधार पर आगे का विकल्प चुनता है। महाविद्यालयों को केवल एक पढ़ने-पढ़ाने के संस्थान के रूप में नहीं, बल्कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करना आवश्यक है।

इसलिए आगामी चरण में हमने 5 शासकीय महाविद्यालयों - रामभजन महाविद्यालय जशपुर, जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ महाविद्यालय, रायपुर, डॉ. वामन वासुदेव पाटणकर कन्या महाविद्यालय, दुर्ग, दाउ कल्याण सिंह कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, बलौदाबाजार तथा किरोड़ीमल महाविद्यालय, रायगढ़ को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में उन्नयन करने के लिए चयनित किया है, जिसके लिए इस बजट में 15 करोड़ का प्रावधान किया गया है। (मेजों की थपथपाहट)

अप्राधिकृत/प्रकाशन के लिए नहीं

बलौदाबाजार में नवीन बी.एड. कॉलेज, खड़गंवा एवं बड़ीकरेली में नवीन महाविद्यालय की स्थापना, मिनीमाता करमा महाविद्यालय, बलौदाबाजार, एवं स्वामी आत्मानंद शासकीय आदर्श महाविद्यालय अटारी, रायपुर का स्नातकोत्तर महाविद्यालय में उन्नयन हेतु बजटीय प्रावधान किया गया है।

सभापति महोदय, चित्रकोट, भानुप्रतापपुर, पोड़ीबचरा (कोरिया), बागबहार (जशपुर), जरहागांव (मुंगेली) एवं सिर्री (धमतरी) सहित 25 कॉलेजों के भवन निर्माण के लिए 25 करोड़ का प्रावधान किया गया है। (मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय, रायपुर प्रदेश का सबसे बड़ा परीक्षा केन्द्र है, जहां लगातार प्रतियोगी परीक्षाएं होती रहती हैं, जिसमें प्रदेश के अतिरिक्त मध्यप्रदेश, उड़ीसा एवं महाराष्ट्र से भी अभ्यर्थी यहां आते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए रायपुर को एक बड़े परीक्षा केन्द्र के रूप में और विकसित करने के लिए एक मेगा परीक्षा केन्द्र स्थापित करने के लिए 25 करोड़ का प्रावधान इस बजट में किया गया है। (मेजों की थपथपाहट) इससे राज्य को प्रतियोगी परीक्षाएँ करवाने में सहूलियत होगी तथा छात्रों को भी इसका लाभ प्राप्त होगा और रायपुर एक बड़े परीक्षा केन्द्र के रूप में आस-पास के राज्यों के बीच में डेवलप होगा।

सभापति महोदय, राज्य के विश्वविद्यालयों को अनुदान राशि दिये जाने के लिए 731 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिसमें इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय को 250 करोड़, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय को 40 करोड़, इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय को 16 करोड़, स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय को 50 करोड़ सम्मिलित है।

तकनीकी शिक्षा :-

सभापति महोदय, नवीन औद्योगिक नीति तथा आर्थिक सुधारों के कारण छत्तीसगढ़ में निवेश का बेहतर वातावरण निर्मित हुआ है।

विश्वस्तरीय तकनीकी मानव संसाधन सृजित करने के उद्देश्य से हमने छत्तीसगढ़ इंस्टीट्युट ऑफ टेक्नोलॉजी (CGIT) की स्थापना करने का निर्णय पिछले संकल्प पत्र में लिया था, अभी तक 4 CGIT कबीरधाम, जशपुर, रायगढ़, तथा जगदलपुर प्रारंभ किये जा चुके हैं तथा

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

3 नये CGIT रायपुर, बिलासपुर एवं दुर्ग हेतु इस बजट में प्रावधान किया गया है। (मेजों की थपथपाहट)

सभापति महोदय, आईटीआई तथा पॉलीटेक्नीक संस्थाओं के अधोसंरचनात्मक उन्नयन और सुदृढ़ीकरण हेतु 50 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय भिलाई को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन हेतु 20 करोड़ प्रदान किया जायेगा।

सभापति महोदय, PM-SETU योजना के तहत ITIs को अपग्रेड करने के लिए भी बजटीय प्रावधान किया गया है।

कौशल विकास :-

सभापति महोदय, अध्यक्ष महोदय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ देश का पहला ऐसा राज्य बना जिसने अपने युवाओं को कानून बनाकर कौशल प्राप्त करने का अधिकार दिया एवं प्रदेश के लाईवलीहुड कॉलेज पूरे देश के लिए मॉडल बनें।

युवाओं की ऊर्जा और क्षमताओं को बाजार मांग के अनुरूप विकसित करने के लिए, उन्हे कौशल विकास से जोड़ना आवश्यक है। अतः इसके लिए हमने स्किल डेवलपमेंट अंतर्गत 75 करोड़ का प्रावधान किया है। (मेजों की थपथपाहट)

युवा :-

सभापति महोदय, युवाओं के भविष्य में ही छत्तीसगढ़ का भविष्य निहित है। अतः हमने अपने युवाओं को विभिन्न स्तरों पर आवश्यक संसाधन, सहयोग एवं मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु बजट में प्रावधान किया है। हमने संकल्प पत्र में युवाओं के करियर काउंसिलिंग की व्यवस्था करने का उल्लेख किया था, जिसकी पूर्ति के लिए इस बजट में 10 करोड़ का प्रावधान है। हम नालंदा लाईब्रेरी को पढ़ाई के साथ-साथ युवाओं के करियर एवं उद्यमिता मार्गदर्शन का भी केन्द्र बनाएंगे।

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

सभापति महोदय, हमारे युवा राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध अवसरों के लिए प्रतिस्पर्धा कर सकें, इसके लिए उन्हें परीक्षा की तैयारी में आर्थिक सहायता हेतु हम एक नई योजना ला रहे हैं। इस योजना का नाम CG-ACE (Assistance for Competitive Exams) है, जिसके 3 घटक हैं- उड़ान, शिखर एवं मंजिल

उड़ान : NEET, CLAT एवं JEE प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए आर्थिक मदद की जायेगी।

शिखर : UPSC एवं CGPSC चयन परीक्षा की तैयारी के लिए प्रतिभाशाली युवाओं को आर्थिक मदद की जायेगी।

मंजिल : Banking, SSC एवं Railway चयन परीक्षाओं की तैयारी के लिए प्रतिभाशाली युवाओं को आर्थिक मदद की जायेगी। (मेजों की थपथपाहट)

इस योजना के लिए 33 करोड़ रूपये का बजटीय प्रावधान किया गया है।

सभापति महोदय, वैसे मेधावी छात्र जिन्हें शासकीय हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती है, उनको संभाग स्तर पर, स्वयं के व्यय से रहने की व्यवस्था करने पर, आर्थिक सहयोग देने हेतु हम एक नई योजना, मुख्यमंत्री शिक्षा सहयोग योजना लेकर आ रहे हैं, जिसके लिए इस बजट में 10 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। (मेजों की थपथपाहट)

सभापति महोदय, हमारी सरकार संकल्प पत्र में किये गए वायदे अनुसार रिक्त शासकीय पदों को भरने के लिए भी प्रतिबद्ध है, आगामी वर्षों में भर्ती प्रक्रिया को और गति प्रदान करने के लिए व्यापम की क्षमता विस्तार का कार्य किया जाएगा। इससे व्यापम ज्यादा से ज्यादा परीक्षाएं समयबद्ध तरीके से आयोजित कर सकेगा एवं अधिक से अधिक अभ्यर्थी उसमें भाग ले सकेंगे। इससे भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने की समयावधि भी कम होगी।

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी :-

सभापति महोदय, वर्तमान परिदृश्य में विश्व स्तर के मानव संसाधन तैयार करने के लिए हमें सूचना प्रौद्योगिकी तथा AI जैसे क्षेत्रों में अभी से निवेश करने की आवश्यकता है, इसी ध्येय के साथ हमने इस बजट में 36 Inc CG Innovation Centre तथा STPI सेंटर फॉर एक्सीलेंस की स्थापना हेतु 35 करोड़ का प्रावधान किया है। (मेजों की थपथपाहट)

A - अन्त्योदय

सभापति महोदय, मैं SANKALP थीम की अगली कड़ी "A" अर्थात अन्त्योदय की तरफ सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा -

पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय दर्शन जिसमें उन्होनें समाज के सबसे निर्धन, वंचित तथा अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के उत्थान की परिकल्पना की है, यही हमारे आर्थिक विकास तथा समावेशी समृद्धि का सिद्धांत है।

महोदय, श्रृंखला उतनी ही मजबूत होती है, जितनी मजबूत उसकी सबसे कमजोर कड़ी होती है, अर्थात सही मायने में हम उतने ही विकसित हुए हैं, जितने कि पंक्ति में खड़ा सबसे आखिरी व्यक्ति विकसित हो पाया है। हमारा बजट इन्हीं वंचित, शोषित, गरीब वर्गों के लिए समर्पित है।

खाद्य :-

सभापति महोदय, हमने मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना अंतर्गत बजट में 5,000 करोड़ का प्रावधान किया है एवं संपूर्ण पोषण सुरक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से चना, शक्कर, फोर्टिफाइड राईस, गुड़ तथा आयोडाईज्ड नमक के लिए 1,000 करोड़ का प्रावधान रखा है।

समाज कल्याण :-

सभापति महोदय, मैं संकल्प के अन्त्योदय के अध्याय को हमारे बुजुर्गों दिव्यांगजनों, विधवाओं, असहाय वर्गों के लोगों को समर्पित करना चाहूंगा।

हमने यह प्रयास किया है कि अन्त्योदय की सच्ची भावना के अनुरूप इन सभी के लिए सम्मान और सुरक्षा की व्यवस्था कर सकें। सामाजिक सुरक्षा सहायता अंतर्गत विभिन्न पेंशन योजनाओं हेतु कुल 1,422 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।

अप्रमाणित/प्रकाशन के लिए नहीं

सभापति महोदय, वरिष्ठ नागरिकों की गरिमा, स्वास्थ्य और सामाजिक सहभागिता को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के प्रत्येक जिला मुख्यालय में ''सियान गुड़ी'' को वरिष्ठ नागरिकों के डे-केयर सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसका संचालन सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से किया जाएगा। इस योजना हेतु इस बजट में 5 करोड़ रूपये का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है।

जिला सूरजपुर एवं रायगढ़ के पंडरीपानी में 100 सीटर दृष्टि एवं श्रवणबाधित विद्यालय एवं छात्रावास के लिए 6 करोड़ और रायपुर के मठपुरैना में दृष्टि एवं श्रवणबाधित विद्यालय के लिए 2 करोड़ 50 लाख रूपये का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है।

राज्य के सभी 33 जिलों में नशा मुक्ति केन्द्रों के संचालन के लिए 20 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।

उभयलिंगी कल्याण बोर्ड के लिए भी इस बजट में प्रावधान किया गया है।

जनजाति कल्याण :-

सभापति महोदय, अन्त्योदय की विचारधारा को वास्तविकता में बदलने की पहली शर्त है कि जनजातीय वर्ग के लोगों को संसाधन उपलब्ध करायें और उनके लिए अवसरों का निर्माण करें तथा उनकी संस्कृति और परंपराओं का संरक्षण करें। इस दिशा में हम लगातार प्रयास कर रहे हैं।

हमने जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय का निर्माण किया, जिसका लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के द्वारा किया गया। जनजातीय संस्कृति के संवर्धन, संरक्षण तथा इसके सम्मान में हमने जनजातीय संग्रहालय का भी निर्माण किया है।

सभापति महोदय, विशेष पिछड़ी जनजातियों के समग्र उत्थान के लिए महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री जनमन योजना अंतर्गत सड़क निर्माण के लिए 500 करोड़ तथा आवास निर्माण हेतु 200 करोड़ का प्रावधान किया गया है। (मेजों की थपथपाहट)

जनजातीय बाहुल्य ग्राम पंचायतों के लोगों के जीवन स्तर में सुधार हेतु संचालित धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान योजना अंतर्गत बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

आजीविका के क्षेत्र में मौजूद कमियों को दूर करने हेतु 200 करोड़ का प्रावधान किया गया है। (मेजों की थपथपाहट)

मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना अंतर्गत प्रदेश में 17 प्रयास आवासीय विद्यालय संचालित हैं, जिसके लिए 72 करोड़ का प्रावधान किया गया है। साथ ही, बीजापुर में प्रयास विद्यालय प्रारंभ करने हेतु प्रावधान इस बजट में विशेष रूप से किया गया है। (मेजों की थपथपाहट)

विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए कोरबा जिले में आवासीय विद्यालय निर्माण के लिए 5 करोड़ तथा बालक क्रीड़ा परिसर के निर्माण हेतु 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है। (मेजों की थपथपाहट)

एक प्रयास विद्यालय, एक क्रीड़ा परिसर, 22 अनुसूचित जनजाति प्रीमैट्रिक एवं पोस्ट-मैट्रिक बालक-बालिका छात्रावास भवनों के निर्माण हेतु 75 करोड़ रूपये का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। (मेजों की थपथपाहट)

सभापति महोदय, हमारी सरकार ने इस वर्ष जनजाति संस्कृति को देश-दुनिया तक पहुँचाने के लिए एक नई पहल के रूप में जनजातीय सुर-गुडी स्टूडियो की शुरुआत करने का निर्णय लिया है, जिसके लिए भी बजटीय प्रावधान किया गया है।

सभापति महोदय, अनुसूचित जनजाति बाहुल्य ग्राम पंचायतों में बैगा एवं पुजारी को प्रोत्साहन राशि दिए जाने का निर्णय लिया गया है, जिसके लिए बजट में 3 करोड़ से अधिक का प्रावधान किया गया है। (मेजों की थपथपाहट)

अनुसूचित जाति कल्याण :-

सभापति महोदय, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग को व्यवस्थित, सक्षम एवं क्रियाशील बनाने हेतु विभागाध्यक्ष कार्यालय का सेट-अप बजट में प्रावधानित किया जा रहा है।

सभापति महोदय, विगत दो वर्षों में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कई सतनाम भवन एवं समाज हेतु सामुदायिक भवनों की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसमें प्रमुख रूप से भण्डारपुरी में गुरुद्वारा (मोतीमहल) हेतु 17 करोड़, ग्राम मुंगेली में सतनाम भवन के पुनरुद्धार हेतु 25 लाख, ग्राम सेतगंगा में सामुदायिक भवन निर्माण हेतु 50 लाख, सतनाम भवन भिलाई में डोम निर्माण हेतु 50 लाख, ग्राम भंडारपुरी में डोम निर्माण हेतु 1 करोड़, रायपुर में समाज के भवन हेतु 1 करोड़,

मड़वा में सतनाम धर्मशाला हेतु 50 लाख शामिल हैं। इसके अलावा गिरौदपुरी मेला हेतु वार्षिक 25 लाख आवंटन को बढ़ाकर 50 लाख किया गया है। इसी कड़ी में माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा अनुरूप आगामी वर्ष से बाबा गुरु घासीदास जयंती कार्यक्रम हेतु ग्राम लालपुर थाना में 15 लाख, ग्राम सेतगंगा में 10 लाख, भिलाई में 10 लाख, भण्डारपुरी मेला हेतु 20 लाख प्रदाय किया जाएगा। (मेजों की थपथपाहट)

इसके साथ ही अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के कल्याण एवं विकास के लिए हमने-

4 अनुसूचित जाति प्री-मैट्रिक एवं पोस्ट-मैट्रिक बालक-बालिका छात्रावास, एक क्रीड़ा परिसर तथा एक प्रयास विद्यालय के भवन निर्माण हेतु कुल 25 करोड़ प्रावधान किया है। (मेजों की थपथपाहट)

श्री रामकुमार यादव :- साहब, एकाध पिछड़ा वर्ग के भी देख लेथन। ऊहु मन 52 प्रतिशत हे।

श्री ओ.पी. चौधरी :- धैर्य रखिये।

गुरु तीर्थ गिरौदपुरी एवं भण्डारपुरी के उन्नयन के लिए 5 करोड़ 60 लाख का प्रावधान किया गया है। (मेजों की थपथपाहट)

माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुरूप बजट में अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण की राशि 50 करोड़ से बढ़ाकर 75 करोड़ प्रावधानित किया गया है। (मेजों की थपथपाहट)

अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण :-

सभापति महोदय, अन्य पिछड़ा वर्ग विभाग को पूर्ण रूप से स्थापित करने, इसे और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से हम इसके विभागाध्यक्ष कार्यालय हेतु पदों का प्रावधान कर रहे हैं। (मेजों की थपथपाहट)

विगत दो वर्षों में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कुनकुरी में कुम्हार समाज हेतु मंगल भवन के लिए 25 लाख, फरसाबहार में 20 लाख, बालौद में सेन समाज भवन हेतु 20 लाख, कुनकुरी में 10 लाख, बगीचा में यादव समाज के वृंदावन भवन हेतु 50 लाख, नरदहा में कुर्मी समाज भवन विस्तार हेतु 50 लाख, तपकरा में सोनी समाज हेतु 20 लाख, साहू समाज हेतु श्री नर्मदा खण्ड में 25 लाख, मुंगेली में 25 लाख, ग्राम कान्दुल में आवंटित 5 एकड़ भूमि पर

बाउंड्रीवाल हेतु 25 लाख, सरगुजा में कोलता समाज हेतु 50 लाख इत्यादि अनेक भवनों की स्वीकृति प्रदान की गयी है। (मेजों की थपथपाहट)

सभापति महोदय, हमने अन्य पिछड़ा वर्ग की बेटियों के लिए रायपुर में 200 सीटर अन्य पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक छात्रावास तथा मनेंद्रगढ़ एवं रायगढ़ में 100-100 सीटर अन्य पिछड़ा वर्ग पोस्टमैट्रिक छात्रावास के लिए बजट में प्रावधान किया है। साथ ही बिलासपुर में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए प्रयास आवासीय विद्यालय भवन निर्माण के लिए 20 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

अध्यक्ष महोदय, अन्य पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण के लिए 80 करोड़ तथा माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुरूप मध्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण के लिए राशि 50 करोड़ से बढ़ाकर 75 करोड़ करने का प्रावधान बजट में किया गया है। (मेजों की थपथपाहट)

श्रम कल्याण :-

सभापति महोदय, हमने असंगठित श्रमिक सुरक्षा एवं कल्याण हेतु 128 करोड़ का प्रावधान किया है।

रायपुर एवं इसके आस पास के क्षेत्रों में तीव्रता के साथ औद्योगिकीकरण हो रहा है। जहां काम करने के लिए प्रवासी श्रमिक अन्य जिलों एवं विभिन्न क्षेत्रों से आते हैं, जिनके पास रहने की कोई आवासीय सुविधा नहीं होती है, इनकी सुविधा के लिए नवा रायपुर में प्रवासी मजदूर आवासीय परिसर का निर्माण किया जा रहा है। इसके लिए भी बजट में प्रावधान किया गया है।

भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों के लिये दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना के अंतर्गत 600 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। (मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय, हमारे संकल्प पत्र के वायदे के अनुरूप हम किसानों और मजदूरों का दुर्घटना बीमा भी कराएंगे, जिसके लिए बजटीय प्रावधान किया गया है।

L - लाईवलीहुड

अध्यक्ष महोदय, SANKALP थीम के अगले पड़ाव " L" अर्थात् लाईवलीहुड के संबंध में मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा- आधुनिक युग में आजीविका न केवल जीवन यापन का एक माध्यम है, बल्कि यह लोगों के आत्मसम्मान, पहचान और अपनी

आकांक्षाओं की पूर्ति करने का साधन भी है। छत्तीसगढ़ की बड़ी आबादी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, मत्स्यपालन, ग्रामोद्योग, लघु वनोपज इत्यादि से जुड़ी हुई है। कृषि, कुटीर उद्योग, हस्तशिल्प जैसे क्षेत्र हमारे राज्य में लाईवलीहुड के मजबूत आधार बनें, इसके लिए इनके विस्तार की कार्ययोजना बनाई गई है।

कृषि :-

सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ के समावेशी एवं सर्वांगीण विकास तथा खुशहाली का रास्ता खेतों से, खलिहानों से, मेड़ों से, नहरों से और तालाबों से होकर किसानों के घर तक पहुंचता है। छत्तीसगढ़ में कृषि एक व्यवसाय नहीं बल्कि हमारी संस्कृति है, हमारी पहचान है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की नींव है।

सभापति महोदय, हमनें खरीफ सीजन 2014 और 2015 के धान उत्पादन प्रोत्साहन की 3,716 करोड़ की बकाया राशि किसानों को देकर अपना वादा निभाया, (मेजों की थपथपाहट) साथ ही साथ हमने मोदी की गारंटी अंतर्गत अन्नदाताओं से प्रति एकड़ 21 क्विंटल, 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान की खरीदी सुनिश्चित करने के लिए कृषक उन्नति योजना प्रारंभ की है। (मेजों की थपथपाहट)

श्री रामकुमार यादव :- साहब, धान समर्पण कराये हो।

सभापति महोदय :- आप बैठिये। एक बार बोल दिये, बार-बार मत टोकिये न। आप बोलिये।

श्री ओ.पी. चौधरी :- खरीफ सीजन 2025-26 में 142 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी को मिलाते हुए हमने पिछले तीन खरीफ सीजन में 437 लाख मीट्रिक टन धान की ऐतिहासिक खरीदी की हे। जिससे किसानों के खाते में लगभग 1 लाख 40 हजार करोड़ से अधिक का भुगतान संभव हो रहा है। (मेजों की थपथपाहट)

फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो-कुटकी, रागी और कपास जैसे फसलों को भी कृषक उन्नति योजना में शामिल किया गया है। (मेजों की थपथपाहट) कृषक उन्नति योजना के लिए इस बजट में 10,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

सभापति महोदय, धान खरीदी में मार्कफेड की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, इसलिए मार्कफेड को धान उपार्जन हेतु 6,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

विगत दो वर्षों में हमने गन्ने की खेती करने वाले किसानों को 92 करोड़ से अधिक प्रोत्साहन राशि प्रदान की है। इसके लिए भी 60 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है।

सभापति महोदय, प्रदेश में नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग के लिए 40 करोड़, नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल के लिए 90 करोड़ और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन के लिए 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है। (मेजों की थपथपाहट)

इन योजनाओं के माध्यम से प्रदेश में प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन मिलने के साथ-साथ कृषि आधारित उद्योग स्थापित होंगे, जिससे कि रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे।

सभापति महोदय, हमारे किसान भाइयों को कृषि पंपों के लिए नि:शुल्क विद्युत प्रदाय करने हेतु 5,500 करोड़ का प्रावधान किया गया है। (मेजों की थपथपाहट)

उद्यानिकी :-

सभापति महोदय, हमारी सरकार ने खाद्य तेल के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए ऑयल पाम की खेती करने वाले कृषकों को केन्द्र सरकार द्वारा प्रदान किये जा रहे अनुदान के अतिरिक्त टॉपअप प्रदान करने का निर्णय लिया है। इसके लिए बजट में 150 करोड़ का प्रावधान किया गया है। (मेजों की थपथपाहट)

राज्य के उत्तरी पठारी क्षेत्र मैनपाट, शंकरगढ़, कुसमी तथा बगीचा में आलू की खेती करने वाले किसानों को प्रोत्साहित करने हेतु ''आलू प्रदर्शन विकास योजना'' भी प्रारंभ की गई है। इसके लिए भी बजटीय प्रावधान किया है। (मेजों की थपथपाहट)

श्री रामकुमार यादव :- चूहा ला खोजे के कुछ है का ? मूसवा खाए है धान तेला ।

श्री अजय चंद्राकर :- आलू से अब सोना बनाना, समझे या नहीं समझे ।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय सभापति महोदय, एक घंटा हो गया। पूर्व वित्तमंत्री बहिष्कार करके चले गये, अब और कितनी देर लगेगी ?

अशासकीय/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री ओ.पी. चौधरी : इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की सहायता से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना हेतु बजटीय प्रावधान किया गया है।

माननीय सभापति महोदय, अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं के प्रावधान इस प्रकार हैं -

- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए - 820 करोड़
- एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम के लिए - 170 करोड़
- कृषक समग्र विकास योजना के लिए - 150 करोड़
- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए - 130 करोड़
- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए - 130 करोड़

मत्स्य पालन :-

माननीय सभापति महोदय, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए बजट में 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। (मेजों की थपथपाहट)

कोरबा जिले के हसदेव बांगो जलाशय में मछली पालन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत् एकीकृत एक्वा पार्क प्रस्तावित है, इसके लिए बजट में 5 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। (मेजों की थपथपाहट)

पशुधन विकास :-

माननीय सभापति महोदय, यह अवसर उन लाखों चरवाहों, गोपालकों और पशुपालकों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का है, जो हमारी ग्रामीण अर्थप्व्यवस्था के असली स्तंभ हैं।

हमारी सरकार ने राज्य में डेयरी उद्यमिता को प्रोत्साहित कर आजीविका का प्रमुख साधन बनाने के लिए डेयरी समग्र विकास योजना प्रारंभ की है तथा इसके लिए बजट में 90 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। (मेजों की थपथपाहट) इस योजना के तहत् जगदलपुर, रायपुर एवं बिलासपुर के मिल्क प्रोसेसिंग सेंटर का उन्नयन भी शामिल है। (मेजों की थपथपाहट)

पशुओं के नस्ल सुधार तथा दूध उत्पादन में वृद्धि के उद्देश्य से समग्र पशु संवर्धन योजना के लिए 8 करोड़ का प्रावधान किया गया है। (मेजों की थपथपाहट)

अनुवाद/प्रकाशन के लिए नहीं

पशुओं को वर्ष भर हरा चारा की उपलब्धता सुनिश्चित कराने की दृष्टि से हरा चारा उत्पादन योजना हेतु 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है। (मेजों की थपथपाहट)

ग्रामोद्योग :-

माननीय सभापति महोदय, हस्तशिल्प हमारे राज्य में न केवल कला, संस्कृति एवं कौशल का संगम है, बल्कि आजीविका के क्षेत्र में भी हस्तशिल्प का व्यापक प्रभाव है। ढोकरा आर्ट हो, बांस कला हो या फिर माटी कला, बड़ी संख्या में ऐसे परिवार हैं, जो इन पर निर्भर करते हैं। इनके द्वारा बनाए गए उत्पादों को सही बाजार और सही दाम मिले, तो न केवल कला और हुनर का सम्मान होगा बल्कि ऐसे परिवारों के जीवन स्तर में भी सुधार होगा। इसलिए हमने यह निर्णय लिया है कि देश के 5 प्रमुख शहरों के एयरपोर्ट पर **शो-रूम** खोले जाएंगे, इसके लिए भी हमने बजटीय प्रावधान किया है। (मेजों की थपथपाहट)

हस्तशिल्पियों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मेलों, प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए वित्तीय सहयोग के लिए भी बजट में प्रावधान किया गया है।

माननीय प्रधानमंत्री जी की पहल से रायपुर में **यूनिटी मॉल** का निर्माण हो रहा है। जिससे हस्तशिल्पियों के द्वारा निर्मित प्रोडक्टस को आधुनिक प्लेटफॉर्म मिलेगा, इसके लिए 93 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। (मेजों की थपथपाहट)

माननीय सभापति महोदय, माटी शिल्पकला के नए डिजाईन तैयार करने एवं इन्हें बाजार के लिए आकर्षक स्वरूप देने के लिए, **कुनकुरी के ग्राम गोरिया** में **ग्लेजिंग यूनिट** की स्थापना की जाएगी, इसके लिए 2 करोड़ 86 लाख रूपए का प्रावधान किया गया है । (मेजों की थपथपाहट)

P - पॉलिसी से परिणाम तक

माननीय सभापति महोदय, **SANKALP** थीम की अंतिम कड़ी "P" अर्थात् पॉलिसी से परिणाम तक है।

माननीय सभापति महोदय, चाणक्य ने कहा है लोक प्रशासन का चरित्र उसकी नीतियों में समाहित होता है और उन नीतियों का मूल्य उसके उद्देश्य से नहीं, उसके परिणाम से आंका जाना

चाहिए। नीति वही सार्थक है जो लोक कल्याण, प्रभावी क्रियान्वयन और अनुशासन के साथ धरातल पर परिणाम दे ।

माननीय सभापति महोदय, नीति का क्या परिणाम हो सकता है इसका उदाहरण है कि हमारी सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम को छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ के माध्यम से संचालित करने का निर्णय लिया और इससे दो महीनों में ही रायपुर में 2 अंतर्राष्ट्रीय मैच इंडिया वर्सेज साऊथ अफ्रीका, इंडिया वर्सेज न्यूजीलैंड का आयोजन संभव हो पाया ।

श्री रामकुमार यादव :- जिसमें टिकट नहीं मिली। माननीय सभापति महोदय, विधायक लोगों को टिकट नहीं मिली। आपको भी नहीं मिला था।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- पहली बार हुआ है।

श्री ओ.पी.चौधरी :- क्या विधायकों को फ्री में लेना चाहिए ?

सभापति महोदय :- बैठिए। चर्चा में बोल लीजियेगा ।

श्री ओ.पी. चौधरी :- विधायकों को फ्री में क्यों लेना चाहिए ? पूरी जनता को जैसे मिलता है वैसे ही मिलना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, हमारे प्रशासनिक सुधारों से सरकारी कामकाज में ईमानदारी, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने का काम किया है।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय सभापति महोदय, वित्तमंत्री पिछले बजट में भाजपा के अध्यक्ष ने भी समर्थन नहीं किया है। सभापति महोदय, भा.ज.पा. के अध्यक्ष का समर्थन नहीं है। आपको पार्टी का समर्थन नहीं है। आप देख लीजिए आपके अध्यक्ष कहां हैं?

श्री रामकुमार यादव :- स्वयं चन्द्राकर जी, काला जैकेट पहन के आए हे।

श्री ओ.पी. चौधरी :- वह संगठन के काम से गये हैं।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- एक भी वरिष्ठ सदस्य ने आपके भाषण का स्वागत नहीं किया है।

सभापति महोदय :- हो गया। उनको बोलना है, आप सुन लीजिए। मंत्री जी आप बोलिए।

श्री ओ.पी चौधरी :- सभापति महोदय, हमने प्रशासनिक सुधारों से सरकारी कामकाज में ईमानदारी, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने का काम किया है, जिससे जनमानस में सरकार के प्रति आस्था और विश्वास पुन: स्थापित हुआ है।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

सभापति महोदय, हमारी सरकार प्रथम दिवस से प्रशासनिक सुधार के लिए संकल्पित तथा प्रयासरत रही है, मंत्रालय से लेकर जिला स्तर ई-फाईल के माध्यम से सरकारी कामकाज का क्रियान्वयन, बायोमैट्रिक अटेंडेंस, हितग्राही मूलक योजनाओं में हितग्राहियों का e-KYC जैसे अनेकों रिफॉर्म्स उसी का परिणाम हैं।

सभापति महोदय, योजनाओं की प्रगति की समीक्षा स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा अटल मॉनिटरिंग पोर्टल से की जा रही है। यह प्रयास किया जा रहा है कि राज्य में सभी जिलों के मध्य विभिन्न योजनाओं में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो, जिले नवाचार के लिए प्रेरित हों और जो अच्छे काम हों, दूसरे जिले उनका अनुसरण करें। सुशासन एवं अभिसरण विभाग के माध्यम से जिलों और विभागों को पुरस्कृत भी किया गया, जिन्होंने अच्छी कार्ययोजना बनाकर शासकीय योजनाओं का सफल क्रियान्वयन किया।

अध्यक्ष महोदय, हमारे संकल्प पत्र में जनता से किये गए वायदों को सर्वोपरि मानते हुए हमने उन्हें पूर्ण करने का हर संभव प्रयास किया तथा मोदी की गारंटी के रूप में किये गए भागीरथ संकल्प को पूरा किया है। मोदी जी की रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार होकर हमारी सरकार पॉलिसी से परिणाम तक का सफर सायं-सायं तय कर रही है।

श्री रामकुमार यादव :- सायं-सायं ला देखकर, हमन आएं-बाएं हो गे हन।

श्री ओ.पी. चौधरी :- वित्तीय रिफॉर्म्स:-

सभापति महोदय, कार्य निष्पादन में गति लाने के लिए वित्त विभाग द्वारा सभी विभागों के लिए वित्तीय अधिकारों की प्रत्यायोजन सीमा बढ़ाई गई है, साथ ही नवीन मद के कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति की सीमा 3 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ कर दी गई है, ताकि विभाग द्रुत गति से कार्य कर सके।

हमने पिछले बजट में छत्तीसगढ़ पेंशन फंड तथा छत्तीसगढ़ ग्रोथ एण्ड स्टेबिलिटी फंड के गठन करने का निर्णय लिया था, जिसे हमने पूर्ण भी कर लिया है तथा बजट में इनके लिए क्रमश: 500 करोड़ और 250 करोड़ प्रावधान किया गया है। (मेजों की थपथपाहट)

सभापति महोदय, रिफॉर्म्स के क्रम को आगे बढ़ाते हुए छत्तीसगढ़ स्टेट फाईनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है, जो राज्य के विकास के लिए उचित दरों पर फंड उपलब्ध कराने का प्रयास करेगी। इस संस्थान की स्थापना के लिए 2 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

रियल टाईम पेमेंट, SNA स्पर्श के क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ राज्य देश में अव्वल रहा, जिसके लिए केंद्र से राज्य को 500 करोड़ की अतिरिक्त राशि प्राप्त हुई है। (मेजों की थपथपाहट) SNA स्पर्श के सुचारू संचालन करने के लिए सेन्ट्रल ट्रेजरी स्थापना हेतु इस बजट में प्रावधान किया गया है। हम अगले वित्तीय वर्ष से राज्य पोषित योजनाओं के लिए भी SNA मॉडल लागू करने का प्रयास करेंगे। (मेजों की थपथपाहट)

सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ राज्य क गठन के प्रावधानों के तहत् अविभाजित म.प्र. के शासकीय सेवकों के पेंशन भुगतान की जिम्मेदारी मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ दोनों की संयुक्त रूप से है। पेंशनरों का डेटाबेस डिजिटाईज्ड नहीं होने तथा पेंशन भुगतान को ट्रैक करने की कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण लेखा मिलान सुव्यवस्थित नहीं था। हमने 8 महीनों की कड़ी मेहनत से पेंशनरों का Database डिजिटाईज किया, जिसके विश्लेषण से यह ज्ञात हुआ कि हमें मध्यप्रदेश से आगामी वर्षों में 10 हजार करोड़ से अधिक की राशि मिलेगी एवं पेंशन के व्यय भार में भी हर वर्ष कमी होगी।

राज्य में हमारे द्वारा किये गये रिफॉर्म्स के एवज में केन्द्र सरकार से SCA अंतर्गत प्राप्त राशि में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। हमें 2 वर्षों में लगभग 13 हजार करोड़ की राशि प्राप्त हुई है, जो 2020-21 में मात्र 286 करोड़ थी।

राजस्व रिफॉर्म्स :-

सभापति महोदय, राजस्व कार्यों में पारदर्शिता, सरलता और दक्षता लाने के लिए हमने अनेक सुधार किये हैं, जिसमें स्वतः नामांतरण, Auto Diversion, जियो-रिफरेंसिंग इत्यादि शामिल हैं। इन सुधारों को आगे बढ़ाते हुए हम एकीकृत प्लेटफार्म UPAHAR लागू करेंगे, जिसके लिए 25 करोड़ का प्रावधान किया गया है। (मेजों की थपथपाहट)

प्रदेश में अविवादित नामांतरण, बंटवारा एवं अन्य राजस्व प्रकरणों के त्वरित निराकरण एवं फेसलेस व्यवस्था के निर्माण के लिए साईबर तहसील की स्थापना की जाएगी, जिसके लिए बजटीय प्रावधान किया गया है। (मेजों की थपथपाहट)

सभापति महोदय, राजस्व व्यवस्था के प्रशासनिक सुदृढ़ीकरण हेतु नरहरपुर, कांकेर एवं अंबागढ़ चौकी में नए एस.डी.एम. कार्यालय प्रस्तावित हैं। (मेजों की थपथपाहट)

अप्रकाशित/प्रकाशनार्थ के लिए नहीं

पंजीयन रिफॉर्म्स :-

सभापति महोदय, 10 क्रांतिकारी रिफॉर्म्स ने पंजीयन व्यवस्था की तस्वीर बदल दी है- ऑनलाइन सर्च एवं डाउनलोड, भारमुक्त प्रमाण पत्र, व्हाट्सएप सूचना सेवा तथा मॉडल रजिस्ट्री ऑफिस जैसी सुविधाएँ अब नागरिकों को उपलब्ध हैं। इन सुधारों को आगे बढ़ाने के लिए 10 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। (मेजों की थपथपाहट)

सभापति महोदय, भाटापारा, भिलाई, केशकाल सहित 15 स्थानों पर मॉडल उप पंजीयक भवन के लिए भी बजटीय प्रावधान किया गया है। (मेजों की थपथपाहट)

जीएसटी रिफॉर्म्स :-

सभापति महोदय, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने एक राष्ट्र, एक कर के रूप में जीएसटी लागू कर, कर व्यवस्था में एक क्रांतिकारी सुधार का आगाज किया। इसी के तार्किक क्रम में व्यापारियों और नागरिकों के सुविधा की दृष्टि से जीएसटी 2.0 रिफॉर्म लाया गया।

राज्य शासन ने बिजनेस इंटेलिजेंस यूनिट, जीएसटी कॉल सेंटर, Ease of Doing Business Cell की स्थापना जैसे तकनीकी सुधार कर जीएसटी रिफॉर्म को और कारगर बनाया है। तकनीकी सुधारों को निरंतर गति प्रदान करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अंतर्गत 25 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

सभापति महोदय, इसके साथ ही हम जनता की समस्याओं के निराकरण हेतु मुख्यमंत्री हेल्पलाईन पोर्टल की शुरूआत करने जा रहे हैं, इसके लिए बजट में 22 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

सभापति महोदय, विकसित छत्तीसगढ़ हेतु छत्तीसगढ़ अंजोर विजन-2047 के बेहतर और व्यवस्थित क्रियान्वयन के लिए एक प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट की स्थापना हेतु भी 3 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

सभापति महोदय, ग्राम पंचायत स्तर पर होने वाले विकास कार्यों के क्रियान्वयन में पारदर्शिता के साथ-साथ जनभागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश

पर, हमारी सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि 50 लाख तक होने वाले सभी विभागों के निर्माण कार्यों की एजेंसी यथासंभव ग्राम पंचायत ही रहेगी। (मेजों की थपथपाहट)

सभापति महोदय, हम यह प्रयास करेंगे कि SANKALP के माध्यम से जन भावना की आंकाक्षाओं को पूरा करें, अपनी नीतियों एवं योजनाओं को धरातल पर उतारें।

अगले क्रम में कुछ प्रमुख विभागों से संबंधित उपलब्धियों एवं प्रावधानों को मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत करना चाहता हूँ।

ग्रामीण विकास :-

सभापति महोदय, जब भी कोई अर्थव्यवस्था तीव्र गति से आगे बढ़ती है, तो यह आशंका स्वाभाविक रूप से मन में जन्म लेती है कि कहीं विकास की इस दौड़ में गाँव, शहरों से पीछे न छूट जाएँ। गांवों और शहरों में विकास के समान संसाधन और समान अवसर उपल्ब्ध हों, यही हमारी सरकार के लिए विकास का पैमाना है।

महोदय, हमने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत इस वर्ष 1,700 करोड़ से अधिक का प्रावधान किया है। जिसमें लोरमी पण्डरिया रोड से सिंघनपुरी, सिलतरा से बेलसरा, टेकर से सेलर व्हाया कबरीपारा, रबेली रोड से जरती, हथबंद से शिकारी केसली व्हाया जांगड़ा, भिलाईबाजार से कटसीरा अखरापाली, बैकुण्ठपुर से सरईगहना, दुलदुला से कुनकुरी लावाकेरा व्हाया चटकपुर लोटापानी, फरसागुड़ापारा से कुंगारपाल, बड़ेडोंगर से कोनगुड़, पिकरी से नवलपुर, करौंधा से पाकरडीह तथा जोबा से पीढ़ी-सिरपुर समेत 70 नवीन सड़कों एवं 21 पुल जैसे कार्य भी शामिल हैं। (मेजों की थपथपाहट)

इसके साथ ही मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत कोर्रा से टिपानी पहुंच मार्ग, सिंगपुर मोहेरा सरईरूख से बेन्द्राचुवा, पारागांव से देवरी व्हाया सलौनी, कोरना मुख्यमार्ग से कछुआटांगर, बनगांव आश्रम चौंक से मुड़ाटोली, झाल-सिंगपुर से खण्डसरा, माटीपहाड़ छर्रा बरगोड़ा से तोलमा, पासीद से बासीन, खुंटेरी से ठाकुरटोला, उड़ेला से नेवधा जैसे 150 से अधिक नवीन सड़कों सहित कुल लागत राशि 475 करोड़ का प्रावधान बजट में किया गया है। (मेजों की थपथपाहट)

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री भूपेश बघेल :- सभापति महोदय, आप नाम बता रहे हैं तो जिला भी बता दीजिए । अब मंत्री के पास तो कोई काम नहीं रहेगा । आप सभी गांव का नाम बता रहे हैं तो जिला भी बता दीजिए ।

श्री ओ.पी. चौधरी :- वह पूरा लिखा हुआ है ।

मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना हेतु भी 100 करोड़ का प्रावधान रखा गया है।

सभापति महोदय, हमने लोगों के आवास के अधिकार की लड़ाई लड़ी थी, मोर आवास-मोर अधिकार का अभियान चलाया था और जब से हमारी सरकार आई है, हमने 26 लाख आवासों की स्वीकृति प्रदान की है। (मेजों की थपथपाहट) इस बजट में भी हमने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) हेतु 4,000 करोड़ का प्रावधान रखा है। (मेजों की थपथपाहट)

श्रीमती अनिला भेंडिया :- सभापति महोदय, अभी पुराना किस्त ह मिले नहीं ए न ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय, सेकण्ड किस्त अभी तक नहीं आया है । उनको दिलवा देते तो उनका उद्धार हो जाता ।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- घर अधूरा हे, बने नहीं हे ।

श्री रामकुमार यादव :- रेत ला फ्री में देबे केहे रेहेव, लेकिन ओकर पईसा लेवथे । ओकर रायल्टी लेवथे । सदन में घोषणा होए रिहीस हे ।

सभापति महोदय :- रामकुमार जी, आप बैठिए ।

श्री दिलीप लहरिया :- सभापति जी, उसके रेट को बढ़ायी जाये । आवास योजना की दर को बढ़ायी जाए। उतने में नहीं बन पाएगा ।

सभापति महोदय :- लहरिया जी, आप उप सचेतक हैं । वित्त मंत्री जी के भाषण में इतना ज्यादा टोका-टाकी ठीक नहीं है । अभी तो बहस होगी। एकाध बड़े नेता कर लिये तो ठीक है।

श्री उमेश पटेल :- बाकी मंत्रियों के लिए कुछ छोड़ेंगे या नहीं? पूरा बजट बड़ा है, कहकर कोड करके बता रहे हैं।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- वित्त मंत्री जी इतना विस्तार से बता रहे हैं, मंत्रियों के लिए कुछ नहीं छोड़ रहे हैं।

श्री कवासी लखमा :- वित्त मंत्री जी पहली बार गांव, टोला को बता रहे हैं। तो बाकी मंत्री अपने भाषण में क्या बोलेंगे? उन लोगों के लिए कुछ नहीं छोड़ रहे हैं। इसीलिए तो हम लोग थक गये हैं।

श्री ओ.पी. चौधरी :- हमने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण हेतु ४ हजार करोड़ का प्रावधान रखा है।

श्री ओ.पी.चौधरी :- सभापति महोदय, वर्ष 2005 में जब मैं IAS में भर्ती हुआ था, तब मनरेगा योजना प्रारंभ हुई थी और आज 20 साल के बाद, जब मैं यहां खड़ा हूँ, तब से लेकर आज तक इस योजना में कोई भी आमूल-चूल परिवर्तन नहीं हुआ था।

सभापति महोदय, "बहता पानी निर्मला"- अर्थात् बहता पानी ही शुद्ध रहता है। जब देश निरंतर आगे बढ़ रहा हो तब ऐसी परिस्थिति में 20 साल पुरानी योजनाओं में बिना कोई प्रासंगिक परिवर्तन किये हम देश को आगे नहीं बढ़ा सकते, यही कारण है कि केन्द्र सरकार, और अधिक बजट तथा महत्वकांक्षा के साथ नवीन योजना, Viksit Bharat G RAM G प्रारंभ करने जा रही है। (मेजों की थपथपाहट)

श्री कवासी लखमा :- सभापति महोदय, G RAM G को वोट में तब्दील करेंगे। G RAM G भी नहीं छोड़े हो।

श्री दलेश्वर साहू :- सभापति महोदय, श्यामा प्रसाद मुकर्जी रूरबन योजना का क्या हुआ ?

श्री ओ.पी. चौधरी :- सभापति महोदय, Viksit Bharat G RAM G योजना केवल विकास कार्यक्रम नहीं है, यह संकल्प है ग्रामों को आत्मनिर्भर इकाई में परिवर्तित करने का। इस योजना में मनरेगा के 100 दिन की तुलना में 125 दिनों के रोजगार की गारंटी तथा मजदूरी भुगतान की सीमा 15 दिन के स्थान पर 7 दिन, लिये जाने वाले कार्यों का विस्तारित दायरा, जैसे अनेक प्रावधान हैं, जो इस योजना को विकासोन्मुखी एवं अधिक प्रभावशाली बनाते हैं। (मेजों की थपथपाहट)

Viksit Bharat G RAM G योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए हमने मनरेगा की तुलना में बजट में ऐतिहासिक वृद्धि करते हुए 4 हजार करोड़ का प्रावधान किया है। (मेजों की थपथपाहट)

स्कूल शिक्षा :-

सभापति महोदय, शिक्षा के माध्यम से हम, लोगों में व्याप्त अनगिनत संभावनाओं को अवसर में बदल देते हैं, जिसके आधार पर न केवल अर्थव्यवस्था बल्कि सम्पूर्ण समाज सर्वांगीण विकास के रास्ते पर अग्रसर होता है। शिक्षा मानव पूंजी का केन्द्र भी है और निवेश भी। शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ एवं आधुनिक बनाने के लिए हमने प्रयास किये हैं।

सभापति महोदय, पी.एम-श्री योजना के माध्यम से राज्य के लगभग 350 स्कूलों को मॉडल स्कूल बनाया जा रहा है। (मेजों की थपथपाहट) इसी तर्ज पर हम भी राज्य में चरणबद्ध तरीके से विद्यालयों को आदर्श शैक्षणिक संस्था के रूप में विकसित करने की एक नई योजना, स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट शाला योजना की शुरूआत करने जा रहे हैं।(मेजों की थपथपाहट)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- नर्सरी स्कूल को भी चालू करवा दीजिये, आप बंद करवा दिए थे।

श्री ओ.पी. चौधरी :- ऐसे कैम्पस जहां पर प्राथमिक शाला से लेकर उच्चतर माध्यमिक शाला एक साथ संचालित हो रही है, वहां इस योजना के माध्यम से गुणवत्ता युक्त शैक्षणिक वातावरण का निर्माण होगा। प्रथम चरण में इसमें 150 विद्यालय चयनित किये जाएंगे तथा इसके लिए 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है।(मेजों की थपथपाहट)

सभापति महोदय, राज्य में संचालित कोई भी स्कूल भवन विहीन ना रहे इसके लिए सरकार गंभीर है। हमने बजट में 500 प्राइमरी स्कूल, 100 मिडिल स्कूल, 50 हाई स्कूल तथा 50 हायर सेकेण्डरी स्कूल भवन निर्माण के लिए कुल 123 करोड़ का प्रावधान किया है।(मेजों की थपथपाहट)

सभापति महोदय, NCC छात्रों हेतु स्वल्पाहार की राशि को भी बढ़ाकर दोगुना किया जाएगा।(मेजों की थपथपाहट)

गृह :-

सभापति महोदय, माननीय गृहमंत्री श्री अमित शाह जी ने मार्च 2026 तक नक्सलवाद को समाप्त करने का जो संकल्प लिया था, वह आज साकार हो रहा है। पिछले 2 सालो में 487 नक्सली मुठभेड़ में मारे गए, 1,853 गिरफ्तार हुए तथा हमारी पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर 2,336 नक्सलियों ने आत्म-समर्पण किया है।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

सभापति महोदय, हमारे लिए यह गर्व का विषय है कि छत्तीसगढ़ में DGP-IG कॉन्फ्रेंस आयोजित हुआ, जहाँ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी और देश भर के शीर्ष पुलिस अधिकारी शामिल हुए।

रायपुर शहर में पुलिस व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए हमने पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली की भी स्थापना की है।(मेजों की थपथपाहट)

सभापति महोदय, बस्तर में हमने इस वर्ष 1587 पदों पर बस्तर फाईटर बल हेतु भर्ती की अनुमति दी और आगामी साल में भी हमने बस्तर फाईटर के लिए 1500 नवीन पदों का प्रावधान रखा है। (मेजों की थपथपाहट) पिछले 2 वर्षों में हमारी सरकार ने गृह विभाग के लिए लगभग 6,000 पदों का सृजन किया है एवं 4,000 से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ की है।

सभापति महोदय, आम नागरिकों से ठगी करने वाले साइबर अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिये हमारी सरकार ने पिछले 2 वर्षों में 15 साइबर थाने स्थापित किये हैं। इसी क्रम में बालोद, बेमेतरा, खैरागढ़, सक्ती एवं बलरामपुर में 5 नए साइबर थानों की स्थापना का इस बजट में प्रावधान रखा गया है। (मेजों की थपथपाहट)

सभापति महोदय, सरोना और जरवाय (रायपुर), पोटाली (दंतेवाड़ा), सिलगेर (सुकमा), पुजारी (बीजापुर), कोरचोली (कांकेर) और गारपा (नारायणपुर) सहित कुल 15 नए पुलिस थानें स्थापित किये जाने के लिए बजट में प्रावधान है। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए हमने महिला थानों की संख्या को भी बढ़ाकर 10 कर दिया है।

इसके साथ-साथ सन्ना (जशपुर), मोहन नगर (दुर्ग), तेलीबांधा (रायपुर), सिटी कोतवाली (मनेन्द्रगढ़), चरचा (कोरिया) सहित 25 पुलिस थानों हेतु नवीन भवन के निर्माण का बजट प्रावधान किया गया है।

अपराध की विवेचना विज्ञान और साक्ष्य आधारित हो, इसके लिए पुलिस विभाग में सीन ऑफ क्राईम यूनिट की स्थापना की जा रही है, इसके लिए बजट में 3 करोड़ 50 लाख का प्रावधान रखा गया है।

16 जेलों में PRISON CALLING SYSTEM हेतु 1 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

वन एवं जलवायु परिवर्तन :-

सभापति महोदय, वनांचल क्षेत्र न केवल पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यहां होने वाले वनोपज से संबंधित व्यापार पर राज्य की एक बड़ी आबादी आजीविका के लिए निर्भर है। वनोपज संग्राहकों एवं वन प्रबंधन समितियों की बेहतर आय निरंतर बनी रहे, इसके लिए वनों के संरक्षण हेतु 930 करोड़ का प्रावधान रखा गया है, इसके साथ ही वन विभाग में 1,000 से अधिक पदों के सृजन हेतु भी प्रावधान किया गया है।

सभापति महोदय, हमने चरण पादुका योजना अंतर्गत 60 करोड़, तेंदूपत्ता पारिश्रमिक हेतु 204 करोड़ तथा राजमोहिनी देवी तेंदूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना के लिए 50 करोड़ का प्रावधान किया है।

प्रदेश में स्थित राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्यों के विकास के लिए 11 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

पर्यटन एवं संस्कृति :-

सभापति महोदय,

जिहां दाई कौशल्या के शक्ति हे,

अउ माँ कर्मा के भक्ति हे,

बबा घासी के तप हे,

संत वल्लभ के जप हे,

सरगुजा ले बस्तर तक जिहां के सबो रपटा, पथरा अउ रस्ता इतिहास के जिंदा प्रमाण हे,

जेकर कन-कन म हमर वीर पुरखा के त्याग आउ बलिदान हे,

मां दंतेश्वरी, मां बम्लेश्वरी, मां महामाया के अचरा म बसे,

हमर छत्तीसगढ़ महान हे।।

(मेजों की थपथपाहट)

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

सभापति महोदय, हम छत्तीसगढ़ आस्था पथ (शक्तिपीठ भ्रमण) योजना प्रारंभ करने जा रहे हैं. जिसमें पांचों शक्तिपीठों का भ्रमण एवं दर्शन कराया जाएगा, इसके लिए 5 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

इसके अलावा हमने प्रदेश के पांच शक्तिपीठों – कुदरगढ़, डोगरगढ़, रतनपुर, चन्द्रपुर एवं दंतेवाड़ा को शक्तिपीठ सर्किट के रूप में विकसित करने के लिए बजटीय प्रावधान किया है।

सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी के घोषणा के अनुरूप माता राजिम की भव्य कांस्य प्रतिमा स्थापित करने के लिए 5 करोड़ का प्रावधान भी शामिल है। (मेजों की थपथपाहट)

सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ के धार्मिक, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक धरोहर सिरपुर के विकास के लिए नई परियोजनाओं का प्रावधान किया गया है, जिसमें ग्लोबल मेडिटेशन सेंटर, म्यूजियम, महानदी तट पर रिवर फ्रंट, जन-सुविधाओं के विकास तथा वृहद सड़कों के निर्माण हेतु कुल 36 करोड़ शामिल हैं।

श्री रामलला (अयोध्या धाम) दर्शन योजना से अब तक 42 हजार से अधिक श्रद्धालुओं को प्रभु श्री रामलला का दर्शन कराया गया है। इस योजना के लिए बजट में 36 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

सभापति महोदय, प्रदेश को राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ईको टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में पहचान देने के लिए FICCI के साथ MOU किया गया है। नई दिल्ली में छत्तीसगढ़ टूरिज्म रोड शो के आयोजन से राज्य को पर्यटन क्षेत्र में 500 करोड़ से अधिक का निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

पर्यटन विभाग के द्वारा 350 करोड़ की लागत से चित्रोत्पला फिल्म सिटी तथा ट्रायबल एवं कल्चरल कन्वेन्शन सेंटर विकसित की जा रही है।

अध्यक्ष महोदय, राज्य में डबल ईंजन की सरकार होने का फायदा हमें पर्यटन विकास में भी मिल रहा है। केन्द्र की स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत् कबीरधाम के भोरमदेव मंदिर परिसर के छेरकी महल, मड़वा महल, सरोधा डैम इत्यादि के लिए 146 करोड़ के विकास कार्यों की स्वीकृति प्रदान की गई है।

शासकीय विद्यालयों के प्रतिभाशाली छात्रों को छत्तीसगढ़ के भ्रमण कराने के लिए छत्तीसगढ़ युवा दर्शन योजना प्रारंभ की जाएगी, जिसके लिए 5 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

सभापति महोदय, कोपरा जलाशय को वैश्विक स्तर पर रामसर साइट के रूप में मान्यता मिलना छत्तीसगढ़ के लिए गौरव का विषय है। यह राज्य का पहला रामसर साइट है। इस मान्यता से जैव विविधता संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ेगी तथा प्रवासी पक्षियों एवं जलीय जीवन के संरक्षण के साथ, इको-टूरिज्म के नए अवसर विकसित होंगे।

सभापति महोदय, दमऊधारा को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने, मैनपाट, बस्तर सर्किट, श्रीयंत्र भवन-डोंगरगढ़ एवं मां कुदरगढ़ी के दरबार में पहुंचने के लिये रोप-वे एवं अन्य परियोजनाओं के लिए नवीन मद में 35 करोड़ का प्रावधान किया गया है। (मेजों की थपथपाहट)

सभापति महोदय, रायपुर प्रवास के दौरान स्वामी विवेकानंद जी के निवास स्थल (डे-भवन) को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में विकसित कर, इसका संरक्षण करने के लिए 5 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। (मेजों की थपथपाहट)

सभापति महोदय, पूरा भारतवर्ष वन्दे मातरम् के 150 वर्ष पूर्ण होने का उत्सव मना रहा है। वन्दे मातरम् हमारी राष्ट्रीय विरासत का अभिन्न हिस्सा है। प्रदेश के कवि ने लिखा है –

आजादी का बुलंद जयघोष है वन्दे मातरम्

आजाद की पिस्तौल और भगत का जोश है वन्दे मातरम्

अंग्रेजों के खिलाफ वीरनारायण की तलवार है वन्दे मातरम्

अन्याय के विरुद्ध गुण्डाधूर की ललकार है वन्दे मातरम्

(मेजों की थपथपाहट)

सभापति महोदय, हम भी इस उत्सव को पूरे धूम-धाम से मनाएंगे, जिसमें सार्वजनिक स्थलों पर सामूहिक गायन तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए संस्कृति विभाग अंतर्गत 2 करोड़ रुपये का विशेष प्रावधान किया गया है।

जन संपर्क :-

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

सभापति महोदय, हमने पिछले बजट में पत्रकार साथियों के भ्रमण की योजना बनाई थी, इसका सफलतापूर्वक संचालन किया जा रहा है तथा इसकी निरंतरता बनाए रखने के लिए बजटीय प्रावधान किया गया है। छत्तीसगढ़ की संस्कृति, साहित्य एवं लेखनी से विश्व को अवगत कराने के लिए हमारे द्वारा रायपुर साहित्य उत्सव मनाया गया तथा इसकी सफलता और स्वीकार्यता को देखते हुए इसे प्रतिवर्ष करने का निर्णय लिया गया है, जिसके लिए भी बजट में प्रावधान किया गया है।

सभापति महोदय, छत्तीसगढ़िया अप्रवासी भारतीय जो विदेशों में जाकर छत्तीसगढ़ का नाम रोशन कर रहे हैं, उनके लिए प्रतिवर्ष NRI सम्मेलन कराने का निर्णय लिया गया है। इस प्रयोजन के लिए भी इस बजटीय में प्रावधान किया गया है।

इस वर्ष योजनाओं के क्रियान्वयन प्रचार-प्रसार के लिए जन संपर्क विभाग का कुल बजट **475 करोड़ रुपये** रखा गया है।

परिवहन :-

सभापति महोदय, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में हमारी सरकार EV वाहनों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। मैं सदन को बताना चाहूंगा कि इस योजना के तहत हमने 100 करोड़ से ज्यादा के पुरानी लंबित सब्सिडी समेत लगभग 150 करोड़ रुपये का भुगतान किया है। इस वर्ष EV वाहनों की सब्सिडी हेतु 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

ड्राइविंग लाइसेंस की प्रक्रिया को तकनीक आधारित बनाने के लिए ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक स्थापित करने का निर्णय लिया गया, जिसके तहत इस वर्ष 8 जिलों - बलौदाबाजार-भाटापारा, राजनांदगांव, जांजगीर-चांपा, कवर्धा, बालोद, गरियाबंद, नारायणपुर एवं कोंडागांव में ई-ट्रैक निर्माण के लिए 15 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

खेल :-

सभापति महोदय, आज विकास, समृद्धि और उन्नति का पैमाना केवल आर्थिक आंकड़े नहीं बल्कि खेल जगत में हमारा प्रदर्शन भी है। हमने राज्य के विभिन्न अंचलों में खेल सुविधा के विस्तार के लिए बजट में प्रावधान किया है।

अप्रकाशित/प्रकाशन के लिए नहीं

जशपुर में तीरंदाजी अकादमी और नवा रायपुर में राष्ट्रीय तीरंदाजी अकादमी की स्थापना की जा रही है।

सर्व सुविधायुक्त खेल अधोसंरचना उपलब्ध कराने हेतु नवा रायपुर अटल नगर में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जा रहा है।

सभापति महोदय, प्रथम खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स की मेजबानी हमारे राज्य को सौंपी गई है, जो हमारे लिए गौरव की है।

रायपुर एवं बिलासपुर में खेल अकादमी संचालित हो रही है तथा इस वर्ष हम बस्तर में भी खेल अकादमी की शुरुआत करने जा रहे हैं। इन सभी के लिए 19 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

सभापति महोदय, हमने निर्णय लिया है कि छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों की प्रतिभा के सम्मान एवं प्रोत्साहन के लिए ओलम्पिक स्वर्ण पदक विजेता को 3 करोड़, रजत पदक विजेता को 2 करोड़, कांस्य पदक विजेता को 1 करोड़ तथा ओलम्पिक प्रतिभागी खिलाड़ियों को 21 लाख रुपये की सम्मान राशि दिये जाएंगे। (मेजों की थपथपाहट)

छत्तीसगढ़ क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना के लिए 57 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

सभापति महोदय, खेल अधोसंरचना विकास के तहत 45 करोड़ के नवीन निर्माण कार्यों को बजट में रखा गया है, जिसमें प्रमुख रूप से बालोद, सुकमा, जांजगीर-चांपा, अंबिकापुर, रायपुर के सरोना तथा जशपुर के गारीघाट में स्टेडियम शामिल हैं।

कर्मचारी कल्याण :-

सभापति महोदय, iGot कर्मयोगी अभियान के माध्यम से शासकीय सेवकों के प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास के लिये हम सतत रूप से कार्य कर रहे हैं। मंत्रालय में जो कर्मचारी अच्छा काम कर रहे हैं, उनके प्रयासों को पुरस्कृत कर, सराहा जा रहा है ।

सभापति महोदय, वर्तमान में शासकीय सेवकों को उपचार के दौरान चिकित्सा व्यय का वहन स्वयं करना होता है और उपचार के पश्चात बिल जमा करने पर प्रतिपूर्ति की जाती है । यह प्रक्रिया अत्याधिक लम्बी तथा जटिल होती है, जिसके कारण इसकी प्रतिपूर्ति में विलम्ब होता है और कर्मचारी साथियों को अनेक दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।

हम राज्य के शासकीय सेवकों के लिये कैशलेस चिकित्सा सुविधा की नई योजना प्रारंभ करने जा रहे हैं । (मेजों की थपथपाहट) इस योजना में ई-हेल्थ कार्ड के माध्यम से कर्मचारी कैशलेस उपचार प्राप्त कर सकेंगे । इसके लिये 100 करोड़ का बजटीय प्रावधान रखा गया है। (मेजों की थपथपाहट)

सभापति महोदय, शासकीय कर्मचारियों को अपने दायित्वों के निर्वहन में परेशानी न हो तथा वर्क लाईफ संतुलन बना रहे, इसके लिये आवश्यक है कि कार्यस्थल के नजदीक ही उनके लिये आवास की व्यवस्था हो। नवीन नियुक्तियों के कारण बढ़ते कर्मचारियों की संख्या को देखते हुये हमने यह निर्णय लिया है कि जिला तथा विकासखंड स्तर पर क्वार्टर्स बनायेंगे। इस वर्ष 11 जिला मुख्यालय तथा 25 विकासखंड मुख्यालयों में क्वार्टर निर्माण के लिये 20 करोड़ का प्रारंभिक प्रावधान किया गया है। (मेजों की थपथपाहट)

मुख्यमंत्री मिशन :-

सभापति महोदय, विकास के लिये जिस रफ्तार की परिकल्पना हमने की है, उसे एक सामान्य ग्रोथ रेट से प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसके लिए आवश्यकता है कि चिन्हांकित क्षेत्रों में मिशन मोड में काम किया जाए। इस उद्येश्य से आज हम इस बजट के माध्यम से ५ मिशन लॉच करने जा रहे हैं । प्रत्येक मिशन के लिये हम अगले 5 वर्षों तक प्रतिवर्ष कम से कम 100-100 करोड़ की राशि का प्रावधान करेंगे:-

1. मुख्यमंत्री Al मिशन
2. मुख्यमंत्री पर्यटन विकास मिशन
3. मुख्यमंत्री खेल उत्कर्ष मिशन
4. मुख्यमंत्री अधोसंरचना मिशन
5. मुख्यमंत्री स्टार्ट-अप एवं NIPUN मिशन

(मेजों की थपथपाहट)

मुख्यमंत्री AI मिशन :-

सभापति महोदय, इस मिशन का उद्देश्य, राज्य में AI टैलेंट का विकास करना, AI से संबंधित स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करना तथा विभिन्न क्षेत्रों में AI संबंधित शोध एवं अनुसंधान को गति

प्रदान करना है। आज विश्व में मैन्यूफैक्चरिंग, सर्विस सेक्टर, इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी एवं ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी जैसे लहर के बाद AI की लहर हम सभी देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं और हमारे लिये यह एक सुनहरा अवसर है, जब हम अपने AI मिशन के माध्यम से छत्तीसगढ़ को न केवल देश में बल्कि पूरी दुनिया में एक केन्द्र के रूप में स्थापित कर सकते हैं।

मिशन के माध्यम से राज्य में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना, पायलेट प्रोजेक्ट और नवाचार इत्यादि के लिये ईको-सिस्टम तैयार किया जाएगा।

मुख्यमंत्री पर्यटन विकास मिशन :-

सभापति महोदय, हमारे मुख्यमंत्री पर्यटन विकास मिशन का उद्देश्य है- राज्य के पर्यटन स्थलों, टूरिस्ट सर्किट्स का विकास और संवर्धन, त्यौहार, मेलों, प्रदर्शनियों की ब्रांडिंग एवं उनकी विजिबिलिटी को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पटल पर स्थापित करना । यह मिशन होम स्टे, गाईड सेवाओं, हस्तशिल्प को प्रोत्साहित करना, टूर संचालन एवं अन्य प्रासंगिक सेवाओं का विस्तार करना, पर्यटन स्थलों की लास्ट माइल कनेक्टिविटी, स्वच्छता, पेयजल एवं आगंतुक सुविधाओं में मौजूद वर्तमान कमियों को चिन्हांकित कर उन्हें दूर करना तथा आवश्यक अधोसंरचना का निर्माण एवं सुदृढीकरण करने जैसे महत्वपूर्ण कार्यों के लिये समर्पित रहेगा।

मुख्यमंत्री खेल उत्कर्ष मिशन :-

सभापति महोदय, आज की तारीख में हम सभी इस बात से सहमत होंगे कि खेल-कूद ना केवल मनोरंजन का साधन है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सॉफ्टपॉवर का प्रतीक है, जो किसी राष्ट्र को वैश्विक प्रतिष्ठा तथा सॉस्कृतिक पहचान दिलाती है । एक तरह से यह अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की तरकश का एक प्रभावी तीर भी है।

सभापति महोदय, भविष्य में खेल-कूद के क्षेत्र की क्षमता एवं उससे होने वाले सकारात्मक परिणाम को ध्यान में रखते हुये माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी की सरकार ने इस बजट में मुख्यमंत्री खेल उत्कर्ष मिशन लाने का निर्णय किया है । इस मिशन के कुछ विशेष उद्येश्य रहेंगे, जैसे- प्रतिभाओं का चिन्हांकन एवं उसे निखारने-तराशने का काम करना, संभाग, जिला और विकासखण्ड स्तर पर लक्षित खेलों के लिये आधुनिक खेल अधोसंरचना का निर्माण करना, प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को राष्ट्रीय एवं अंतराष्ट्रीय स्तर पर भाग लेने के लिये प्रोत्साहित

अप्रमाणित/प्रकाशन के लिए नहीं

करना एवं उन्हें आर्थिक रूप से मदद करना, महिलाओं की भागीदारी को खेल क्षेत्र में बढ़ावा देना तथा राष्ट्रीय योजनाओं के कियान्वयन को छत्तीसगढ़ में बढ़ावा देना।

मुख्यमंत्री अधोसंरचना मिशन :-

सभापति महोदय, माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार ने सदैव यह प्रयास किया है कि सामाजिक पूंजी निर्माण के साथ-साथ पूंजीगत निवेश को भी त्वरित गति मिले। अधोसंरचना निर्माण विकास की वह बुनियाद है, वह नींव है जिस पर छत्तीसगढ़ सुदृढ़, समावेशी, आधुनिक एवं फ्यूचर रेडी सुविधाओं का स्तंभ खड़ा कर रहा है । आने वाले समय में हमारी प्रतिस्पर्धा केवल अन्य राज्यों से ही नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उभर रहे नए विकास केन्द्रों से भी होगी तथा अगर हमें अपने आप को भविष्य में प्रासंगिक बनाए रखना है, तो चाहे सड़क हो, रेल हो, पेयजल हो, दूरसंचार हो या हवाई अड्डे हों, इन सभी क्षेत्रों में लम्बी अवधि तक नियोजन के साथ निवेश की आवश्यकता पड़ेगी।

महोदय, इन सभी परिकल्पनाओं को फलीभूत करने के लिए आवश्यक है कि हम भविष्य के हिसाब से अधोसंरचना के लिए गैप एनालिसिस करें, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं के साथ साझा कार्यक्रम के संभावनाओं को तलाशें तथा चल रही परियोजनाओं का माईलस्टोन तैयार कर, समयावधि में पूर्ण करने हेतु आवश्यक कदम उठाएं।

मुख्यमंत्री स्टार्ट-अप एवं NIPUN मिशन :-

सभापति महोदय, मुख्यमंत्री स्टार्ट-अप एवं NIPUN मिशन हमारे उन प्रयासों और संकल्पों को साकार करेगा, जिसके माध्यम से हम छत्तीसगढ़ के युवाओं को जॉब-सीकर से जॉब-क्रिएटर बनने के लिए उत्साहित करेंगे, उनको आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे और उनके सपनों को पंख देंगे। आज का समय दुनिया भर में उत्पन्न हो रहे नए अवसरों और संभावनाओं को तलाश कर अपने करियर को उस अनुरूप ढालने का है। किसी ने कहा है :-

अपनी बातों को तोलना होगा,

यानी सूरज को बोलना होगा,

धूप कमरे में यूँ ना आएगी,

उठ के दरवाजा तो खोलना होगा,, (मेजों की थपथपाहट)

मुख्यमंत्री स्टार्ट-अप एवं NIPUN मिशन के माध्यम से हम उन युवा उद्यमियों का हाथ थामना चाहते हैं जिनके पास नई सोच नवीन अवधारणाएँ और अभिनय उद्यमी विचार तो हैं, किंतु संसाधनों और पहुँच के अभाव में वे संघर्ष कर रहे हैं, ऐसे युवाओं को तकनीकी आर्थिक और संस्थागत सहयोग प्रदान कर हैंड होल्डिंग की जाएगी ताकि सनके विचार Conceptualization से लेकर Marketable Product तक की यात्रा सफलतापूर्वक पूरी कर सकें।

सभापति महोदय, वर्तमान में AI के दौर में तथा वैश्विक तथा राष्ट्रीय स्तर की अर्थव्यवस्था के बदलते स्वरूप की यह सच्चाई है कि उद्योग एवं सेवा क्षेत्र दोनों में नवीन कौशल एवं दक्षता की आवश्यकता है। यह कौशल किसी क्लासरूम या कॉलेज की चार दीवारी मात्र में प्राप्त नहीं की जा सकती, अपितु इसके लिए उद्योग जगत के साथ मिलकर अप्रेन्टिसशिप एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था करने की आवश्यकता है। इसके साथ यह भी जरूरी है कि हम अपने राज्य के वर्कफोर्स का उन्नयन कर रोजगार के लिए तैयार करें, जिससे उन्हें उद्योग जगत से जोड़ा जा सके। मिशन NIPUN (New-Age Industry Preparedness through Up-skilling of New Generation Youth) के माध्यम से हम अपनी युवा शक्ति को आधुनिक तकनीक एवं कौशल से सुसज्जित कर उच्च आय के रोजगार के लिए तैयार करेंगे।

वित्त आयोग की अनुशंसा :-

सभापति महोदय, चौथे राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं को 16वें केंद्रीय वित्त आयोग की अवार्ड अवधि के समतुल्य करते हुए वर्ष 2026-27 से 2029-30 तक लागू किया जाएगा। स्थानीय निकायों को राज्य के शुद्ध कर राजस्व का 9 प्रतिशत अंतरण का निर्णय लिया गया है, इसमें से 70 प्रतिशत राशि पंचायतों को तथा 30 प्रतिशत नगरीय निकायों को दी जाएगी।

महोदय, अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम पंचायतों को 2.50 लाख प्रतिवर्ष अतिरिक्त अनुदान भी दिया जाएगा, जिसके लिए 120 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। (मेजों की थपथपाहट) नगरीय निकायों एवं ग्राम पंचायतों को राजस्व वृद्धि के लिए पुरस्कृत करने के उद्देश्य

से उनके द्वारा कर राजस्व में 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि के बराबर राशि परफार्मेंस ग्रान्ट के रूप में दी जायेगी।

बजट अनुमान :-

सभापति महोदय, अब मैं वर्ष 2026-27 का बजट अनुमान सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूँ।

वर्ष 2026-27 में 01 लाख 72 हजार करोड़ की कुल प्राप्ति का अनुमान है, जो गत वर्ष की अनुमानित प्राप्तियों से 4.2% अधिक है। कुल प्राप्तियों में राज्य की राजस्व प्राप्तियां 77 हजार करोड़, केन्द्र से प्राप्तियां 66 हजार करोड़ एवं पूंजीगत प्राप्तियां 29 हजार करोड़ अनुमानित है।

वर्ष 2026-27 के लिए विनियोग का आकार 01 लाख 87 हजार 500 करोड़ का है। सकल व्यय से ऋणों की अदायगी एवं पुनर्प्राप्तियों को घटाने पर शुद्ध व्यय 01 लाख 72 हजार करोड़ अनुमानित है। राजस्व व्यय 01 लाख 45 हजार करोड़ एवं पूंजीगत परिव्यय 27 हजार करोड़ है।

प्रदेश में अनुसूचित जनजाति वर्ग एव अनुसूचित जाति वर्ग के विकास के लिए आदिवासी उप योजना मद में 34% एवं अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना मद अंतर्गत 12% राशि का प्रावधान किया गया है।

वर्ष 2026-27 के बजट में सामाजिक क्षेत्र के लिये 40%, आर्थिक क्षेत्र के लिये 36% एवं सामान्य सेवा क्षेत्र के लिये 24% का प्रावधान किया गया है।

इस बार बजट में नवाचार करते हुए, विभागों के बजट में ग्रीन बजटिंग किया गया है तथा हमारे बजट के कुल आकार में 14 हजार 300 करोड़ ग्रीन बजट को समर्पित है।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

राजकोषीय स्थिति :-

वर्ष 2026-27 में राज्य का सकल वित्तीय घाटा 28 हजार 900 करोड़ अनुमानित है। जिसमें केन्द्र से पूंजीगत व्यय हेतु विशेष सहायता ऋण 8 हजार 500 करोड़ शामिल है। राज्य का शुद्ध वित्तीय घाटा 20 हजार 400 करोड़ होगा। जो राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 2.87 % है। जो FRBM सीमा के पूर्णत: अंदर है।

राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियां 1 लाख 43 हजार करोड़ एवं कुल राजस्व व्यय 1 लाख 45 हजार करोड़ अनुमानित है। अतः वर्ष 2026-27 में कुल 2 हजार करोड़ का राजस्व घाटा (Revenue Deficit) अनुमानित है।

कर प्रस्ताव :-

सभापति महोदय, महिलाओं के आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तिकरण हेतु सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयासों में निरंतरता रखते हुए एवं हमारे संकल्प पत्र के अनुरूप आगामी वर्ष से महिलाओं के नाम से अचल सम्पत्ति क्रय पर भारित पंजीयन शुल्क में आधी अर्थात् 50 प्रतिशत की छूट दिया जाना प्रस्तावित है। (मेजों की थपथपाहट)

सभापति महोदय, सुशासन की परिभाषा क्या हो सकती है-इस विद्वान सदन में उपस्थित प्रत्येक माननीय सदस्य के अपने-अपने पैमाने और मापदंड हो सकते हैं। किन्तु यदि कोई मुझसे यह प्रश्न करे, तो मैं पूर्ण विश्वास और दृढ़ प्रतिबद्धता के साथ यह कह सकता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय जी के नेतृत्व में सुशासन की यह सरकार नीति, न्याय, निवेश, निर्माण और नवाचार - इन पंचतत्वों पर आधारित है।

हमारे SANKALP का कण-कण इन्हीं पंचतत्वों से निर्मित है। यह संकल्प मात्र शब्दों की अभिव्यक्ति नहीं, बल्कि हमारी शासन-दृष्टि का प्रतिरूप है-जो जनता के प्रति हमारी निष्ठा, प्रतिबद्धता और समर्पण का श्वेत पत्र है।

सभापति महोदय, मैं राज्य के तीन करोड़ भाई-बहनों को नमन करता हूँ, जिनका आशीर्वाद, स्नेह और विश्वास हमें बड़े निर्णय लेने की शक्ति देता है, सुशासन के पथ पर अडिग

अशोधित/असंपादन के लिए नहीं

रहने का संबल देता है और छत्तीसगढ़ के विकास के इस महायज्ञ में स्वयं की आहूति देने की प्रेरणा भी देता है।

सभापति महोदय, अंत में मैं इन पंक्तियों के साथ अपनी बात को समाप्त करना चाहूँगा:-

जब जलती संकल्प की ज्वाला है
तम् का साहस खोता है
मन के संशय, भय के बादल
क्षण भर में क्षीण हो जाता है।

जो ठान लिया अंतर्मन में
वह पथ खुद बन जाता है
भाग्य नहीं पुरुषार्थ जगाता-
मानव इतिहास बनाता है।

विपदा चाहे वज्र बन आए
संकल्प न झुकने पाता है
दीप अकेला भी जल उठे तो
रात स्वयं झुक जाता है। (मेजों की थपथपाहट)

सभापति महोदय, मैं आपका, माननीय मुख्यमंत्री जी का, अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों का तथा इस सदन में उपस्थित सभी सम्माननीय सदस्यों का अंत:करण से धन्यवाद करता हूं।

जय भारत! जय छत्तीसगढ़! वन्दे मातरम्!

सभापति महोदय :- मैं आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा के लिए दिनांक 26 एवं 27 फरवरी, 2026 की तिथियां नियत करता हूं। आय-व्ययक में सम्मिलित अनुदानों की मांगों पर कटौती प्रस्तावों की सूचना बुधवार, दिनांक 25 फरवरी, 2026 को मध्यान्ह 12 बजकर 30 मिनट तक दी जा सकती है। कटौती प्रस्ताव के प्रपत्र सूचना कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

सभापति महोदय :- सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 25 फरवरी, 2026 को पूर्वाह्न 11.00 बजे दिन तक के लिए स्थगित।

(अपराह्न 02 बजकर 18 मिनट पर विधान सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 25 फरवरी, 2026 (फाल्गुन 6, शक संवत् 1947) को पूर्वाह्न 11.00 बजे दिन तक के लिए स्थगित की गई)

दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा

दिनांक : 24 फरवरी, 2026
नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं